हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 अगस्त, 2019

खण्ड–2, अंक–2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 5 अगस्त, 2019

पृष्ठ संख्या

प्रशंसात्मक प्रस्ताव

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनंदन

प्रशंसात्मक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

पंजाब विधान सभा के सदस्यों का अभिनंदन

प्रशंसात्मक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

ओएसिस सैनिक स्कूल, हनुमानगढ़, राजस्थान के अध्यापकगण तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

शाहबाद–मारकण्डा जिला कुरूक्षेत्र के पत्रकारों का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

बैठक का स्थगन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यगण के त्यागपत्रों से संबंधित घोषणा

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना/विभिन्न मामले उठाना

राज्य में मादक पदार्थो की लत के अधीन पड़े होने के कारण बढ़ते अपराध के साथ सामाजिक चुनौतियों के बारे स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति

बैठक का समय बढ़ाना

राज्य में मादक पदार्थो की लत के अधीन पड़े होने के कारण बढ़ते अपराध के साथ सामाजिक चुनौतियों के बारे स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)

वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा
सोमवार 5 अगस्त, 2019

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

प्रशंसात्मक प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, आज का दिन भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है । आज जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित धारा–370 के प्रभाव को समाप्त करने के लिए राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया है । (इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए गए ।) सारे हिन्दुस्तान को आज का दिन सैलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि बहुत वर्ष पहले हमारे देश के साथ ज्यादती हुई थी । उस वक्त की कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने ऐसा काम किया कि जो जम्मू–कश्मीर हमारा था उसमें धारा–370 लगाकर हमारा होते हुए भी उसको हमसे अलग करके रख दिया गया । इसको लेकर आज केन्द्र सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है । आज के सरदार पटेल श्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में इस बारे में वह संकल्प प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से धारा–370 के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाएगा । (इस समय सदन में 'भारत माता की जय' के नारे लगाए गए ।) इस धारा का प्रभाव समाप्त होने के बाद धारा–35 ए भी ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी । अतः आज का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है । मैं कहना चाहूंगा कि आज सदन में मिठाई बंटनी चाहिए ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आज बहन गीता भुक्कल, सी.एल.पी. लीडर श्रीमती किरण चौधरी, आई.एन.एल.डी. के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश बरवा, अकाली दल के माननीय सदस्य श्री बलकौर सिंह कालांवाली, बी.एस.पी. के माननीय सदस्य श्री टेक चन्द शर्मा सदन में उपस्थित हैं । आज पार्लियामैन्ट ने गम्भीर और ऐतिहासिक फैसला किया है । बी.एस.पी., जे.डी.यू., आप, शिवसेना और डी.एम.के. ने इस ऐतिहासिक फैसले का समर्थन किया है । यह देश की एकता और अखण्डता से जुड़ा हुआ मुद्दा था । In 1952, Dr. Shyama Prasad Mukharjee was the Minister for Industry in Pt. Jawahar Lal Nehru's Government और वे पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे । उन्होंने वहां पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था । इस समय सदन में हमारे वरिष्ठ साथी डॉ. कादियान साहब भी आ गए हैं । डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में एक तकरीर के माध्यम से कहा कि एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे । उस समय हमें जम्मू–कश्मीर में परमिट लेकर जाना पड़ता था । डॉ. मुखर्जी ने कहा था I am resigning from the Industry

Ministership and I am going to my Kashmir. पठानकोट से आगे जाने पर उनको साम्बा से पहले माधोपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया । उस समय अब्दुल्ला जी वजीर–ए–आला कहलाते थे । इसके बाद 23 जून, 1953 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू–कश्मीर से लाश आई थी । उस दिन को हमने पूरे हिन्दुस्तान में बलिदान दिवस के रूप में मनाया । अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में कई ऐतिहासिक मुकाम हासिल किये हैं ।

(इस समय सदन में 'भारत माता की जय' के नारे लगाए गए ।)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं कि–

जहां हुआ बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वह जम्मू एवं कश्मीर हमारा है।

(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, यह धारा 370 किसी पार्टी का मैटर नहीं है बल्कि देश के जर्रे–जर्रे से जुड़ी हुई श्रद्धा का मुद्दा है। कश्मीर से कन्याकुमारी को सही मायने में जोड़ने के लिए श्री अमित शाह जी ने संकल्प रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने आज लोगों को यह समझाया है कि अटक से कटक क्या है और कश्मीर से कन्याकुमारी क्या है ? मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि पार्लियामैंट का सैशन चल रहा है और हरियाणा विधान सभा का सैशन भी चल रहा है इसलिए सभी माननीय सदस्य सर्वसम्मति से इसके समर्थन में यह प्रस्ताव पारित करें। यह मेरी सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है।

———————

हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष एवं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, आज हरियाणा विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी गोपीचन्द गहलोत और हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री अत्तर सिंह सैनी सदन की कार्यवाही देखने के लिए वी.आई.पीज. गैलरीज में बैठे हैं। हम सदन की तरफ से उन सबका स्वागत करते हैं।

——————————

प्रशंसात्मक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा भावनापूर्ण बात है, जैसे हम

बी.जे.पी. पार्टी के सदस्य होने के नाते से कहते हैं कि हमने जम्मू एवं कश्मीर को अपने खून से सींचा है और वहां पर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। यह विधान सभा हर सत्र के शुरूआत में ही प्रदेश के 30–35 जवानों को श्रद्धांजलि देती है और उनमें से ज्यादातर जवान कश्मीर में ही शहीद होते हैं। हमारे प्रदेश के गांवों में उन संबंधित शहीद जवानों के स्मृति स्मारक भी बने हुए हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के जवानों ने कश्मीर को अपने रक्त से सींचा है। अगर धारा 370 हटाने से जम्मू एवं कश्मीर के हालात बदलते हैं तो यह हरियाणा प्रदेश के लिए राहत की बात होगी। जम्मू एवं कश्मीर को एक रखने में बहुत बड़ा योगदान हरियाणा प्रदेश के उन जवानों का है जो बॉर्डर पर डटे रहते हैं और आतंकवादियों से लड़ते रहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर को बचाने में हरियाणा प्रदेश के जवानों के रक्त की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इसमें श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रक्त के साथ हरियाणा के वीर जवानों का रक्त भी बहुत मात्रा में बहा है। आज के केन्द्र सरकार के फैसले से कश्मीर के हालत बदलेंगे तो हमारे घरों में भी अमन–चैन रहेगा और यह बहुत खुशी की बात है इसलिए हरियाणा के सदन को विशेष तौर से प्रसन्नता जाहिर करते हुए इस पर विधान सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में एक प्रशंसात्मक प्रस्ताव रखना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन में रखना चाहता हूं:–

> "यह सदन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रभाव को समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारत सरकार का आभार प्रकट करता है।"

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> "यह सदन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रभाव को समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारत सरकार का आभार प्रकट करता है।"

श्री सुभाष बराला (टोहाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है जिसकी चर्चा पहले माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी और माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी की है।

इसमें मुझे लगता है कि सारे सदन को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो प्रस्ताव सदन में रखा है उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक मैंने अभी टेलीविजन पर देखा है, उसके अनुसार यह केवल एक प्रैजिडैंशियल रेफरैंस जारी हुआ है। मेरा निवेदन है कि बेहतर यह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव मूव करने से पहले सदन को यह बतायें कि यह पूरा मामला क्या है ? जो प्रैजिडैंशियल रेफरैंस आया है उसको टेबल पर रखना चाहिए था ताकि जिसको पढ़कर सभी माननीय सदस्यों को उसके कन्टैंट्स का पता चल जाता और उसी के आधार पर माननीय सदस्य अपनी बात कहें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव भारत सरकार का आभार प्रकट करने के लिए लेकर आया हूं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात समझ नहीं पाये हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज राज्य सभा में जो यह घटनाक्रम हुआ है, उसके ऊपर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। इसलिए मेरा यह कहना है कि जब प्रदेश की सरकार इतनी खुशी जाहिर कर रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सदन में यह विस्तार से बताना चाहिए कि असलियत में वहां पर क्या हुआ है ? माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहिये कि यह कोई प्रेजिडैंशियल रैफरैंस है या फिर हाउसिज में कोई बिल मूव हुआ है ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज राज्य सभा में हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो संकल्प पेश किया गया है, हम उस संकल्प का स्वागत करने के लिए यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम उस संकल्प को चुनौती नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह फैसला हमारा नहीं है, बल्कि केन्द्र सरकार का फैसला है और हम इस फैसले का आभार प्रकट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा राज्य सभा में जो संकल्प लाया गया है, उसका सभी माननीय सदस्यों को समर्थन करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में जो प्रस्ताव लेकर आये हैं, वह केवल दो लाइनों का प्रस्ताव है। आज केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विषय में धारा–370 और धारा–35(ए) के अधिकांश प्रावधानों को हटाते हुए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद लैजीस्लेचर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी माना है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने आज जो संकल्प राज्य सभा में सदन के पटल पर रखा है, उसके समर्थन में मुख्यमंत्री जी यह प्रस्ताव लेकर आए हैं और पूरे सदन को सर्व–सम्मति से यह प्रस्ताव पास करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे इस प्रस्ताव से कोई एतराज नहीं हैं। मेरा सवाल यही है कि जो वह डॉक्यूमैंट है, अगर वह प्रैजिडैंशियल रैफरैंस है या फिर कोई बिल है तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में जानकारी देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद पता नहीं है कि आखिर राज्य सभा में आज क्या हुआ है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: करण सिंह जी, क्या आप सरकार के इस प्रयास का स्वागत कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो फैसला देश हित में लिया जायेगा, हम उसके साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता (पंचकुला): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य करण सिंह दलाल जी को कहना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा आज राज्य सभा में जो संकल्प पेश किया गया है, उस संकल्प के ऊपर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो फैसला देश हित में होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन मैं यह

कहना चाहूंगा कि हमारे पास उस संकल्प का कंटेंट भी तो होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथी इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं या नहीं।

श्री अध्यक्षः ज्ञान चंद गुप्ता जी, श्रीमती किरण चौधरी जी ने कहा है कि जो देश हित में फैसला है, उसका वे समर्थन करती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं, लेकिन ये अनजान बनना चाहते हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्य सभा में बिल पेश किया है, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है और बाकायदा वोटिंग से वह बिल पास भी हो जायेगा और इस बिल का दोनों सदनों में पास होने के बाद उसके ऊपर माननीय राष्ट्रपति महोदय अपनी मोहर भी लगायेंगे। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रही हूं कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या नहीं, इन्हें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं कृपया आप सभी लोग बैठ जायें।

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य .....(विघ्न)

श्री मनोहर लालः दांगी जी, आप एक बार मेरी बात सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दांगी जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे जो डॉक्यूमैंट मिला है, उसे मैं इस सदन में पढ़कर सुना देता हूं। विधि एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से आज दिनांक 05.08.2019 को एक अधिसूचना जारी हुई है, जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूंः–

''राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित अदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019

संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं:–

1. (1.) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 है।

(2.) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय–समय पर यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 का अधिक्रमण करेगा।

2. समय–समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और आशोधनों के अधीन ये लागू होंगे वे निम्न प्रकार होंगे:–

अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

'' (4) संविधान, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है, के प्रयोजनों के लिए–

(क) इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जायेगा,

(ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर–ए–रियासत, जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप में तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जायेगा।

(ग) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जायेगा, तथा

(घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के परंतुक में ''खंड (2) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा'' अभिव्यक्ति को ''राज्य की विधान सभा'' पढ़ा जायेगा।''

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान की धारा 370 के फैसले को महान सदन में पढा है। हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण इसी प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। यह देशहित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए इस प्रस्ताव की फोटो कॉपी करवाकर के सदन की टेबल पर रखा जाये ताकि हम सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को पढ़ सकें कि

देश में क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है? उसके बाद ही इस विषय पर सदन में चर्चा करें तो हमें इस प्रस्ताव से कोई एतराज नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता 2 लाईनों का प्रस्ताव इस महान सदन में लेकर आये हैं। आज पूरे हिन्दुस्तान और हरियाणा प्रदेश की जनता इस महान सदन की तरफ देख रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता उन जवानों की शाहदत को और उनके बलिदान को महसूस कर रही है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर के देश की सेवा की है। अध्यक्ष महोदय, यह वक्त की पुकार है कि यह सदन एक मत होकर के इस प्रस्ताव का समर्थन करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता 2 लाईनों का प्रस्ताव इस महान सदन में लेकर आये हैं। डॉ. कादियान जी, श्री करण सिंह दलाल जी और बहन श्रीमती किरण चौधरी जी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पलवल जिले के नजदीक डिघोट गांव हैं और मैं उस गांव में पिछले दिनों गया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि जम्मू–कश्मीर में आतंकी हमले के दौरान एक पायलेट शहीद हो गया था। उस शहीद को एक 9 महीने के बच्चे ने श्रद्धांजलि दी थी। जैसा कि माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है, जहां पर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश के 10 प्रतिशत से अधिक जवान शहीद हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. कादियान जी को कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ दो लाइनों का प्रस्ताव है। इसको सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से आग्रह करूंगा कि यह बहस का मुद्दा नहीं हैं यह तो भावना का मुद्दा है इसलिए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास होने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश की अस्मिता का मुद्दा है और यह कोई सवाल जवाब का मुद्दा नहीं है। यह देश की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान) जो लोग देश से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वे लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करें और जो लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वे लोग इस प्रस्ताव का

समर्थन न करें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह तो केवल और केवल भावनात्मकता का विषय है। (विघ्न)

———————

पंजाब विधान सभा के सदस्यों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब विधान सभा के गढ़शंकर से विधायक श्री जय सिंह गुर्जर और कोटकपुरा से विधायक श्री कुलतार सिंह हरियाणा विधान सभा की वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

——————

प्रशंसात्मक प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री राम बिलास जी ने मेरा नाम लिया है। मैं तो इस विषय पर यही कहना चाहूंगा कि अगर सरकार प्रदेश के लोगों के हितों से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला करती है या कोई भी डिसीजन लेती है या कोई भी बिल पास करती है या फिर कोई भी आर्डिनेंस जारी करती है तो हम उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर एक resolution on the floor of the House सदन के नेता ने रखा है तो वह प्रस्ताव किस विषय पर है उसकी कॉपी सदन में रखनी चाहिए या नहीं? इस विषय पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. कादियान जी, इस संकल्प की एक कॉपी आपको उपलब्ध करवा दी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठ जाईये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं और हम इस विषय को पढ़कर ही फैसला करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व स्पीकर साहब ने सदन में बहुत बड़ी बात कही है। डॉ. कादियान जी ने सदन में जो सवाल किया है, वह बहुत ही वाजिब है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनके सवाल पर रूलिंग देकर के इस प्रस्ताव को पारित करवायें। आप डॉ. कादियान जी को यह भी रूलिंग दे दें कि दो लाईनों का प्रस्ताव इस महान सदन में रखा जा सकता है या नहीं। आप इनको स्पष्ट कर दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव से संबंधित विषय की कॉपी सदन की टेबल पर आनी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ. कादियान जी, आप प्लीज बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं इस सम्बन्ध में एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसको अक्सर पण्डित राम बिलास शर्मा जी सुनाया करते हैं कि एक घर में पति–पत्नी लड़ रहे थे पति कह रहा था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाउंगा और पत्नी कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाउंगी। गली से कोई समझदार व्यक्ति निकल रहा था उसने उनके पास जाकर पूछा कि आपका बच्चा कितना बड़ा है तो उन्होंने बताया कि जिस बच्चे के बारे में वे बात कर रहे हैं वह तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अब आप बैठ जायें।

कैप्टन अभिमन्यु : स्पीकर सर, यह देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ बहुत ही गम्भीर मामला है इसलिए आपके माध्यम से मेरी डॉ. कादियान से रिकवैस्ट है कि वे इसको हल्के में न लें बल्कि इसकी गम्भीरता को समझें। (शोर एवं व्यवधान) यह पूरा मामला देश हित से जुड़ा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, आज केन्द्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है उससे हमारा देश कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक वास्तव में अखण्ड भारत के रूप में सही साबित हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जम्मू व कश्मीर पर धारा 370 लगाकर जो कांटे बोये थे आज उनको भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने उखाड़कर फैंक दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, इस मामले से सम्बंधित जो संकल्प है वह तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में सारा पढ़कर सुना दिया है। फिर भी अगर आपको उसकी कॉपी चाहिए तो वह आपको मिल जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) यह देश में आज अपने आपमें एक अलग तरह की घटना है। (शोर एवं व्यवधान) इससे आज पूरे देश में खुशी की लहर है।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यहां पर बैठे हैं। इस मामले में सारे सदन की जनभावना जुड़ी हुई है इसमें कोई पार्टी मैटर नहीं है। श्री करण सिंह दलाल जी भी इसके विरोध में नहीं हैं और डॉ. रघुवीर सिंह

कादियान ने इसके समर्थन में जो बात कही है वह बिलकुल सही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): स्पीकर सर, आज सदन के नेता एक प्रस्ताव लेकर आये हैं। मैंने भी टी.वी. पर देखा था कि जम्मू व कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया है। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि धारा 370 आज से पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। यह केन्द्र सरकार के स्तर पर उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है। जहां हम इसका समर्थन करते हैं वहीं मैं इस सम्बन्ध में सदन के नेता से एक बात कहना चाहता हूं कि हमें एक लाईन का प्रस्ताव और केन्द्र की सरकार को यह भी भेजना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां आज भी धारा 370 जैसी धारायें लगा करके इस देश के आम नागरिकों को उन जगहों पर जाकर के कोई कारोबार करने, कोई जमीन या घर की खरीद करने पर आज भी पाबंदियां हैं। हमारी इस तरह की कोई 10–12 स्टेट्स हैं जिनमें इस किस्म की दिक्कत आती है। इनमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ है। इसी प्रकार से झारखण्ड और राजस्थान में भी ऐसा ही है इसलिए सरकार को इनके लिए भी दो लाईन का प्रस्ताव पास करवाकर इसके साथ जोड़ देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, यह मामला अलग है। धारा 370 का विषय तो बहुत ही बड़ा है।

कैप्टन अभिमन्यु : स्पीकर सर, अफसोस की बात यह है कि अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ में और अपने तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के कारण से देश हित से जुड़े हुए इतने बड़े मुद्दे के साथ इतने हल्केपन में उसके साथ दूसरी चर्चा जोड़ी जा रही है यह बहुत ही शर्मनाक बात है। अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इसके ऊपर अलग तरीके से ही चर्चा होनी चाहिए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होना चाहिए ताकि हम अपने देश के जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इसके विपरीत अगर हम इसको अन्य मुद्दों के साथ जोड़कर देखेंगे तो इससे देश व समाज में छोटी, तुच्छ और गन्दी राजनीति का मैसेज जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, प्लीज आप कंटीन्यू करें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन मैंने जो दो लाईनें और बोली हैं वे भी इसके साथ जोड़ कर भेज दी जायें।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, शायद मुख्यमंत्री जी भी पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि रेजोल्यूशन लाने से पहले मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि विधि एवं न्याय विभाग की तरफ से राष्ट्रपति जी द्वारा यह जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, मैं श्योर नहीं हूं, तो यह कानून बन चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने दोनों सदनों का नाम लिया है। इस बारे में सरकार सारी बातें बताए कि इस पर बहस होगी या नहीं होगी। इस बारे में किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें हुआ क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय सिर्फ इतना है कि इस काम के लिए संबंधित जिस सदन में जितनी चर्चा होनी है वह होगी। आज की तारीख में तो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है जो मैंने पढ़ी है। आज की तारीख में इसका केवल इतना हेतू है कि आर्टिकल 370 के प्रभाव को समाप्त किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रभाव को समाप्त करते हुए जम्मू एवं कश्मीर को यू.टी. विद लैजिस्लेचर तथा लद्दाख को सिर्फ यू.टी. रखा गया है। इस सारे विषय के लिए हम केन्द्र सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं। इससे आगे की लिटिगेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यह बतायें कि क्या यह संकल्प दोनों सदनों में पारित होना है या उसकी जरूरत नहीं है?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल को कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव का हिस्सा ही नहीं है। इसकी पूरी डिटेल कल के अखबार में पढ़ लें। इनका सामान्य ज्ञान बढ़ाने का काम हमारा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल से पूछना चाहता हूं कि क्या वे आर्टिकल 370 को हटाने से खुश हैं या

नहीं। अगर वे इससे खुश हैं तो इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई): अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्र सरकार ने जो फैसला किया है वह भारतीय जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में भी था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको इम्पलीमैंट किया है और कोई भी पार्टी हो, उसको अपना मेनीफेस्टो इम्पलीमैंट करना चाहिए क्योंकि वह उसकी जवाबदेही होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनीफेस्टो में 154 वायदे किये थे, उनके बारे में भी बता दें कि आपने कितने वायदे पूरे किये हैं? इनको कुछ तो मोदी जी से सीखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। यहां पर बात देश हित और राष्ट्रहित की हो रही है और ये राष्ट्रहित की बात न करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम देश की बात कर रहे हैं और ये अपनी छोटी राजनीति में उलझे हुये हैं। देशहित से इनका कोई लेना देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे एक वायदा तो बता दें जो इनकी सरकार ने पूरा किया हो। अगर सरकार अपना घोषणा पत्र लागू करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे तथा इस प्रस्ताव का भी समर्थन करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, जिस विषय पर आपकी राय मांगी गई थी उस विषय पर तो आपने अपनी राय नहीं दी । आप तो अपनी बात को दूसरी तरफ ले गए कि भारतीय जनता पार्टी की 154 घोषणाएं थी उनको लागू कीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, ––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, प्लीज आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, –––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञान चन्द जी, प्लीज, आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की गलती की वजह से ही सारा देश आज तक उसकी सजा भुगत रहा था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, 'छाज तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें सत्तर छेद ।'(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठिए । राम बिलास जी कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, ––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, प्लीज आप बैठिए । राम बिलास जी कुछ कहना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठिए । राम बिलास जी कुछ कहना चाहते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धारा 370 को खत्म करने के बारे जो यह दो लाईन का प्रस्ताव रखा है वह सर्व सम्मति से पास होना चाहिए क्योंकि यह देश केवल हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं है । इस देश की आजादी में आदरणीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के दादा चौधरी मातू राम हुड्डा ने भी बहुत योगदान दिया था और इस प्रस्ताव के लिए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने भी समर्थन किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक राष्ट्रवादी परिवार से हूं । हम तो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष के साथियों से यह पूछिए कि वे धारा 370 को हटाने के प्रस्ताव से खुश हैं या नहीं । आज देश की खुशी में ये देश के साथ हैं या नहीं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, प्लीज आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, ––– (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असीम जी, प्लीज आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र लागू करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे । इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुख्यमंत्री जी, जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसका समर्थन करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है । इसके साथ ही मैंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि हरियाणा का बी.जे.पी. का जो घोषणा पत्र है उसमें से किसी एक वायदे को भी पूरा कर दीजिए । अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी, मोदी जी से कुछ तो सीख ले लें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि उनकी एक–एक बात महत्वपूर्ण होती है । चाहे वह सत्ता पक्ष से हों, चाहे विपक्ष से हों लेकिन जब कोई संदर्भ की बात हो तो संदर्भ से बाहर जाना मुझे नहीं लगता कि किसी सदस्य को शोभा देता होगा। हम हुड्डा साहब की बात का जवाब भी दे देंगे लेकिन कभी भी इस प्रकार के मिक्सचर करना कम से कम सभ्य सदन में तो शोभा नहीं देता है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यहां किसी ने भी कोई असभ्य बात नहीं कही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि हुड्डा साहब ने असभ्य बात कही है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी असभ्य या अशोभनीय बात कह दी है जिसकी वजह से सदन की भावना आहत हो गई। अगर मैंने कोई अशोभनीय बात कही है तो मुझे बताया जाये, मैं उसी अशोभनीय बात को वापिस ले लूंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि हुड्डा साहब ने अशोभनीय बात कही है। मैं यह कह रहा हूँ कि देशहित के महत्व की किसी बात को मिक्सचर बनाकर कहना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आज देश के लिए एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है

जिसके लिए धन्यवाद व आभार प्रकट करने के एक पंक्ति के प्रस्ताव पर विपक्ष के हमारे सदस्यों द्वारा यदि दस और उलझाने वाली बातें जोड़कर कही जायेंगी तो इसका सीधा–साधा अर्थ यह होगा कि यह कार्य उस महत्वपूर्ण विषय के महत्व को कम करने का प्रयास है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अति देशहित महत्व के किसी विषय के महत्व को कदापि कम करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा न होता तो शायद इस मुद्दे को प्रश्नकाल से पहले उठाने की आवश्यकता न पड़ती। निःसंदेह यह मुद्दा सामान्य गतिविधियों से भी बड़ा मुद्दा है और यदि दो पंक्ति का धन्यवाद आभार–प्रस्ताव हम इस सदन के माध्यम से प्रकट करते हैं तो निश्चित रूप से हम सबकी शोभा बनी रहेगी। इस विषय के बाद में जो चर्चाएं होंगी उन सभी चर्चाओं का उत्तर तो हम देंगे ही क्योंकि हमारे पास सदन में आज और कल का पूरा दिन है, इस पूरे समय में सभी बातों व चर्चाओं का उत्तर दिया जा सकता है और जहां तक हुड्डा जी ने आज प्रश्न पूछा है तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि कल इसी सदन में उनकी हर बात का उत्तर दिया जायेगा और वे इसको सुनने के लिए तैयार रहें।

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, अब आप अपनी बात रखें।

श्री जय प्रकाश (कलायत): अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदन के नेता ने सदन में जो आभार प्रस्ताव रखा है, मैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो धारा 370 है, इसको हटाने का भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जब वर्ष 1996 में भारतीय जनता पार्टी और बंसी लाल जी की हरियाणा विकास पार्टी का सांझा चुनावी घोषणा पत्र बनाया गया था तो उस वक्त भी सांझा घोषणा पत्र में कश्मीर में धारा 370 को हटाने की बात कही गई थी और इसके बाद भी न जाने कितनी ही बार यह बात भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में लिखी गई। निश्चित रूप से धारा 370 का हटाना एक अच्छा फैसला है और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक चुनावी घोषणा पत्र में शामिल वायदे को पूरा करने का काम ही किया है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ और वह यह है कि जिस प्रकार धारा 370 के साथ प्रेजिडेंशियल रैफरेंस जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार एस.वाई.एल. नहर के विषय पर प्रेजिडेंशियल रैफरेंस जुड़ा हुआ था लेकिन सरकार ने इस विषय पर कोई काम करना उचित नहीं समझा? यही नहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा

पत्र में यह भी पूरी तरह स्पष्ट था कि इनकी सरकार आने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जायेगा। इसके लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, सदन में विषय कुछ चल रहा है और आप इस विषय को एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर लेकर आ रहे हो, यह गलत बात है। आप विषय पर बात करें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, इस अवस्था में मैं समझता हूँ कि मेरा बोलना आवश्यक हो गया है। माननीय सदन के नेता ने कश्मीर में धारा 370 हटाने के केन्द्र सरकार के कार्य पर आभार प्रकट करने के लिए स्पेसिफिक प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा और जिसको चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का भी समर्थन मिला, चौधरी अभय सिंह चौटाला का भी समर्थन मिला और यही नहीं हमारे अकाली दल पार्टी के सदस्य ने भी इस आभार प्रस्ताव का समर्थन किया और अगर एक लाइन में कहूं तो लगभग सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, आप प्लीज बैठिए। आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए सदन के दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात रखने दीजिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः स्पीकर सर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित बात पूरी करने दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नही–नहीं, आप प्लीज बैठिए।(शोर एवं व्यवधान) किरण जी अब आप अपनी बात रखिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यदि धारा 370 को हटाना शामिल था तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। इसको लागू करने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अलाउ किया है लेकिन मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः स्पीकर सर, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू कर दे तो इससे किसान और खेतीहर मजदूरों को बहुत फायदा होगा। (शोर एवं व्यवधान) ऐसा होने पर किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल सकेंगे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का विरोध क्यों करती है जबकि इसको लागू करना भी इनके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। इसलिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके सरकार को किसानों व खेतीहर मजदूरों के हित में भी काम करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बात करने का समय नहीं है। जब इस विषय पर चर्चा होगी तब आप अपनी बात रख लेना।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः स्पीकर सर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना बहुत जरूरी है। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाती है तो किसान, खेतीहर मजदूर के हालात में बहुत सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना एक चुनावी वायदा पूरा करके नाच रही है उसको किसानों के हित की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरा देश धारा 370 को हटाने की खुशी में नाच रहा है।(शोर एवं व्यवधान) इस फैसले से पूरा देश खुश है।(शोर एवं व्यवधान) अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बात करने का समय नहीं है और आप ऐसा करके एक तरह से विषय को भटकाने की ही बात कर रहे हैं। अतः आप अभी बैठिए और किरण जी को उनकी बात रखने दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने खून का कतरा–कतरा बहाने का काम किया है। देशहित में जो काम करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी हर उस देशहित के काम को करने के लिए सदा आगे खड़ी होती है और भविष्य में भी हमारी कांग्रेस पार्टी किसी भी देशहित के काम को करने में सबसे आगे खड़ा होने का काम करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस के लोग खून का कतरा–कतरा बहाने की बात करते हैं जबकि यह धारा 370 कांग्रेस के द्वारा ही पैदा की गई एक समस्या थी जिसका खामियजा यह देश पिछले 70 सालों से झेलता चला आ रहा था। इनको देशहित से कोई लेना–देना नही है। ये लोग तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, देश का विभाजन करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। (शोर एवं व्यवधान) लाखों लोगों का कत्ल करने वाली कांग्रेस पार्टी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, देश के टुकड़े–टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने कराए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने खून का बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी देश का इतिहास नहीं बदल सकती है। (शोर एवं व्यवधान) जो भी देश हित में काम होगा कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे खड़ी मिलती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन किरण जी, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) धनखड़ साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : देश का बंटवारा करनी वाली कांग्रेस पार्टी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, शायद मेरी बात माननीय सदस्यों को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए बोले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अनुच्छेद– 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा–पत्र में शामिल था, इसलिए सरकार को पिछली बार ही यह काम कर देना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : 'भारत माता की जय', 'भारत माता की जय'। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी देश के दो टुकड़े करने वाली पार्टी है। (शोर एवं व्यवधान) यदि कांग्रेस पार्टी ऐसा काम नहीं करती तो आज यह समस्या पैदा नहीं होती। देश के टुकड़े करने वाली पार्टी के सदस्य भी सदन में बैठे हुए हैं। देश को बांटने वाली पार्टी अगर कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव के खिलाफ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम सहयोग देने के लिए ही खड़े हुए हैं, लेकिन यह बात माननीय मंत्री जी को समझ में नहीं आ रही है। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही है और माननीय मंत्री जी गलत बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जम्मू एवं कश्मीर में सारे फसाद की जड़ कांग्रेस पार्टी ही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो भी काम देश हित में है उसके लिए कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रहती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, देश को बांटने में नेहरू जिम्मेवार है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, देश को बांटने वाली कांग्रेस पार्टी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ0 साहब, प्लीज बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, देश का इतिहास कांग्रेस पार्टी ही बदल सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस प्रस्ताव पर काफी चर्चा हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में एक झंडा एक संविधान लागू कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि–

> 'यह सदन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रभाव को समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारत सरकार का आभार प्रकट करता है।'

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है ।

To Provide 24 Hours Electricity

***3091. Smt. Geeta Bhukkal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that an announcement has been made by the Government to provide 24 hour electricity to villages located within 10 K.M. radius of Jharli Thermal Power Plant and CLP Plant Khanpur together with the status of abovesaid announcement?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : हाँ, श्रीमान्। तदनुसार, इन 31 गांवों को मई, 2013 में शहरी पद्धति पर बिजली आपूर्ति की गई थी। यद्यपि, असामान्य रूप से अधिक लाइन लॉस होने के कारण इन गांवों में बिजली आपूर्ति पीआरएम (पॉवर रेगुलेटरी मेजरस) के अनुसार ग्रामीण घरेलू आपूर्ति (आर.डी.एस.) श्रेणी यानी 16 घंटे प्रतिदिन दी जा रही है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे समय में 24 घंटे बिजली देने की बात हुई थी। 31 गांवों में से 14 गांव मेरे झज्जर इलाके के हैं। इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली, झज्जर में 500–500 मेगावाट के तीन यूनिट हैं तथा सी.एल.पी. प्लांट खानपुर में 1320 मेगावाट का है। रेवाड़ी और दादरी को भी इन थर्मल प्लांटों का फायदा मिल रहा है। इन 31 गांवों में विशेषकर 14 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की घोषणा हुई थी तो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि आज ग्रामीण घरेलू आपूर्ति (आर.डी.एस.) श्रेणी यानी 16 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बिजली दी जा रही है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने लिखित में रिप्लाई दिया है। अध्यक्ष महोदय, कई गांवों में तो बिजली केवल 2 या 4 घंटे ही आती है और कई बार 10–10 और 12–12 घंटे ही बिजली आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि अब तक 24 घंटे बिजली देना क्यों सुनिश्चित नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, हमने अपने समय में 20 घंटे बिजली देना सुनिश्चित किया था वहां के लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के लिए हजारो एकड़ जमीन दी थी । इसके बदले में हमने उन्हें भूमि अधिग्रहण मुआवजे के साथ–साथ 15–15 हजार रूपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया था जोकि अब 20 हजार रूपये प्रतिवर्ष हो चुके हैं । इसके साथ–साथ हमने जिन लोगों की जमीन थर्मल प्लांट्स के लिए एक्वायर हुई थी उनमें से 250 लोगों

को नौकरियां भी दी थी । हमारे समय में 4 थर्मल पावर प्लांट्स और एक न्यूक्लीयर प्लांट लगाया गया था लेकिन इस सरकार ने आज तक इनके अतिरिक्त कहीं से एक भी यूनिट बिजली बनाने का काम नहीं किया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन थर्मल पावर प्लांट्स से पावर की सप्लाई क्यों बंद की गई ? इसके अलावा साल्हावास और मातनहेल में जो मॉडल आई.टी.आइज. थी और इनमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी । आज सरकार लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दे रही है । मेरा कहना है कि लाइनलॉसिज तो सारे प्रदेश में हैं और कई जगहों पर बिजली के बिल भी नहीं भरे जाते हैं । मेरा प्रश्न है कि क्या कारण है कि सरकार पावर सप्लाई में इतने ज्यादा कट लगा रही है ?

.....

ओएसिस सैनिक स्कूल, हनुमानगढ़, राजस्थान के अध्यापकगण तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, ओएसिस सैनिक स्कूल, हनुमानगढ़, राजस्थान के अध्यापकगण तथा विद्यार्थी सदन की दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं । मैं सदन की तरफ से उन का अभिनन्दन करता हूँ ।

.....

शाहाबाद–मारकण्डा जिला कुरूक्षेत्र के पत्रकारों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, शाहाबाद–मारकण्डा जिला कुरूक्षेत्र के पत्रकार सदन की दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं । मैं सदन की तरफ से उन सभी का अभिनन्दन करता हूँ ।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि अतीत के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 12.12.2008 को 10 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले 31 गांवों को 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी । झाड़ली में एन.टी.पी.सी. ने 500–500 मेगावाट के दो यूनिट्स और सी.एल.पी. ने भी 600–600 मेगावाट के 2 यूनिट्स स्थापित किये थे । इनसे जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए अतीत की सरकार ने ट्रंकी कांट्रैक्टर से सामान लेने का कांट्रैक्ट किया था । उस समय 24 घंटे पावर सप्लाई के लिए 3 कंडीशंज

लगाई गई थी – पहली कंडीशन थी कि अतिरिक्त खम्भे, ट्रांसफार्मर्ज, ए.सी.एस.आर. और कंडक्टर्स को ए.पी. केबल पर बदलना है । इसके लिए ठेकेदार ने 15.05.2009 को 4.60 करोड़ रूपये की लागत से 88 किलोमीटर ए.पी. केबल बिछाकर 3497 बी.सी.सी. खम्भों तथा 34 ट्रांसफार्मर्ज लगाकर एल.वी.बी.एस. प्रणाली में सुधार किया था । इसमें दूसरी कंडीशन थी कि पुराने मीटर्स को इलैक्ट्रोनिक मीटर्स में बदलना पड़ेगा और तीसरी कंडीशन थी कि बिजली के मीटर्स को बाहर लगाना होगा । उस समय गांव वालों ने इन कंडीशंज का विरोध किया और इस काम को रोक दिया गया । ग्रामीणों के कड़े विरोध के बाद 31.03.2012 को यह प्लांट चालू हो गया । गांवों में बिजली की आपूर्ति के लिए 12.12.2008 को दोबारा मीटिंग हुई और कहा गया कि उनको 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर देंगे लेकिन इससे पहले उनको इन कंडीशंज को पूरा करना होगा । ये कंडीशंज थी – पहली, ए.पी. लाइनलॉसिज 25 प्रसैंट से कम होने चाहिए, दूसरी, मीटर घरों के बाहर लगे होने चाहिए, तीसरी, केबल घरों से बाहर होनी चाहिए । ग्रामीणों ने इन कंडीशंज का भी विरोध किया और काम नहीं होने दिया । इनमें सुंदरहेड़ी फीडर पर 66.16 परसैंट लाइनलॉसिज, खानपुर कलां फीडर पर 44.3 परसैंट लाइनलॉसिज, लाद्यान फीडर पर 63.97 परसैंट लाइनलॉसिज, ढुढ़ियावास फीडर पर 45.96 परसैंट लाइनलॉसिज, आदमपुर फीडर पर 88.34 परसैंट लाइनलॉसिज और सेलंगा फीडर पर 82.51 परसैंट लाइनलॉसिज हैं । इसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक स्कीम 'हमारा गांव जगमग गांव' लांच की । इस स्कीम के तहत पूरे प्रदेश से 6841 गांवों को इलैक्ट्रोफाइड चिन्हित किया गया और इनमें से 3748 गांवों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को कहा है कि अगर वे 'हमारा गांव, जगमग गांव' स्कीम की कंडीशंज पूरी कर देंगे तो उनको 24 घंटे बिजली की सप्लाई करवा देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 2 गांवों को 'हमारा गांव, जगमग गांव' स्कीम में शामिल किया गया था परन्तु उनमें 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही है। अभी माननीय मंत्री जी ने लाइन लॉसिज की बात की है। लाईन लॉस कम करना विभाग के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। सरकार ने 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की बात की थी परन्तु 16 घंटे ही बिजली सप्लाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने लाइन लॉस कम करने के लिए कदम क्यों नहीं

उठाये ? आपकी यह बात तो ठीक है कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें विभागीय अधिकारी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अगर गांव वाले सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पॉवर प्लांट, सी.एल.पी. प्लांट, जे.के. लक्ष्मी कारखाना, अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना तथा दूसरी कई फैक्ट्रीज भी हैं। इनमें कोयला पहुंचाने के लिए गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है। वहां से ओवरलोडिंग ट्रक गुजरते रहते हैं और मालगाड़ियां सामान लेकर आती जाती रहती हैं। झाड़ली और मोहन बाड़ी के बीच में एक्सीडैंट्स होते रहते हैं जिसके कारण घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी रहती हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों की बहुत समय से मांग है कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) विभाग द्वारा वहां पर पूल बनवाया जाए। दूसरी बात जो एन.टी.पी.सी. (नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन) लगा हुआ है उसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को कॉरपोरेट रेस्पांसिब्लिटी के तहत फायदा होना चाहिए था। एन.टी.पी.सी. में हरियाणा सरकार का पैसा लगा हुआ है परन्तु इस प्लांट की ज्यादातर यूनिट्स बन्द कर दी गयी हैं इनको फिर से चालू करवाया जाए। एक तरफ सरकार कह रही है कि बिजली सरप्लस है परन्तु बहुत से गांवों में बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही है। हमारी सरकार के समय में जो 5 अलग–अलग कारखानें लगाये गये थे (जिसमें एक न्यूक्लीयर प्लांट भी शामिल है) उनकी सभी यूनिट्स को अब बन्द कर दिया गया है। सरकार कहती है कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री सिंधिया जी ने एन.टी.पी.सी. में 660–660 यूनिट्स के दो कारखाने लगाने की घोषणा की थी परन्तु वे कारखाने भी अभी तक नहीं लगाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वहां पर ओवर ब्रिज कब तक बना दिया जाएगा ? इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में जो वॉटर टैंक्स बनाये गये हैं उनमें पानी की सीपेज हो रही है और उस पानी को पीने की वजह से पशुओं को बीमारियां हो गयी हैं। मेरे हल्के में पानी भरने के कारण ज्यादातर जमीन खराब हो गयी है और वह जमीन खेती के योग्य नहीं है। सरकार द्वारा कॉरपोरेट रेस्पॉसिब्लिटी के तहत जो पैसा हमारे क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए था वह मेरे क्षेत्र के एडज्वाईनिंग गांवों में खर्च करने के बजाए दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है।

श्री अध्यक्षः गीता जी, आपने तो सवाल को उलझा दिया है।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कई सवाल किये हैं। एक सवाल तो यह पूछा है कि हरियाणा प्रदेश का एन.टी.पी.सी. में क्या हिस्सा है ?

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि एन.टी.पी.सी. में हरियाणा प्रदेश का 25 प्रतिशत हिस्सा है।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, एन.टी.पी.सी. की 500–500 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं उनमें 50 प्रतिशत एन.टी.पी.सी., 25 प्रतिशत हरियाणा प्रदेश और 25 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली सरकार का है। इसके अतिरिक्त सी.एल.पी. प्लांट, खानपुर के 10 किलोमीटर की परिधि में बसे गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की बात की गयी है। इसमें अगर लोगों के घर के बाहर मीटर लगाये जाएं और केबल लगवायी जाएं, लाइन लॉसिज कम हो जाएं और 90 प्रतिशत बिजली के बिल्ज की रिकवरी हो जाए तो विभाग 24 घंटे बिजली देने के लिए तैयार है। इसके लिए बिजली उपभोक्ता सरकार का सहयोग कर दें तो उसी दिन से 18 घंटे बिजली की सप्लाई करवा देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, ये काम पूरे करवाने की जिम्मेवारी माननीय मंत्री जी के विभाग की है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि वहां पर ओवर ब्रिज का काम कब तक पूरा करवा दिया जाएगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो सवाल पूछ रहीं हैं, वह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, आप जो बात कह रही हैं, वह अलग विषय है।

———————————

तारांकित प्रश्न संख्या 3103

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जसबीर देसवाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

To Start the Bus Service

***3098. Shri Anoop Dhanak** : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start the bus service from Agroha to Barwala via

Shyamsukh and Agroha to Sabarwas; if so, the time by which the abovesaid bus services are likely to be started?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अग्रोहा से बरवाला वाया श्यामसुख मार्ग पर प्रतिदिन 06 बस सेवा के एकल फेरे तथा बरवाला से अग्रोहा वाया श्यामसुख मार्ग पर प्रतिदिन 03 एकल बस सेवा के फेरे पहले से ही संचालित हैं।

श्री अनूप धनकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अग्रोहा से बरवाला वाया श्यामसुख 6 बस प्रतिदिन और बरवाला से अग्रोहा वाया श्यामसुख 3 बस प्रतिदिन संचालित हैं। इसके संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन 9 बसों में से केवल 3 बसें ही उस रूट पर चल रही हैं। हमने इसके संबंध में वहां के जी. एम. से बार–बार कहा भी है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ मेरा दूसरा प्रश्न अग्रोहा से साबरवास तक बस चलाने से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अभी साबरवास से अग्रोहा तक 1 बस तथा हिसार से साबरवास तक 1 बस ही चल रही हैं, जोकि 4 दिन पहले ही शुरू हुई हैं, उससे पहले उस रूट पर कोई बस नहीं चलती थी। जो दो बसें शुरू भी हुई हैं, उनमें एक सुबह 7 बजे साबरवास से अग्रोहा तक तथा दूसरी बस दोपहर 1 बजे हिसार से साबरवास तक चल रही है, जिसका वहां के स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि साबरवास से अग्रोहा तक सुबह 8.30 या 9.00 बजे के बीच में एक बस चलाने का काम करें और जो बस दोपहर 1 बजे हिसार से साबरवास तक चल रही है, उसके अलावा उसी रूट पर दोपहर 3 बजे भी एक बस चलाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन रूट्स पर बस चलाने का काम करें ताकि वहां बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो साबरवास से अग्रोहा तक बस चलाने का जिक्र किया है, वहां बस चला दी गई है। यह बस दोपहर 12.45 बजे चल रही है और उसकी रूटेशन 13.45 बजे कर दी गई है।

श्री अनूप धनकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो साबरवास से अग्रोहा तक बस चल रही है, उसकी टाइमिंग सही नहीं है और इससे वहां के बच्चों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने वहां के जी.एम. को अधिकार दिया हुआ है और अगर माननीय सदस्य जी.एम. को बस की टाइमिंग के हिसाब से लिखित में दे देंगे तो गांव के बच्चों की सहूलियत के हिसाब से बस की टाइमिंग चेंज करवा दी जायेगी।

श्री अनूप धनकः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो बता रहे हैं कि अग्रोहा से बरवाला वाया श्यामसुख और बरवाला से अग्रोहा वाया श्यामसुख तक 9 बसें चल रही हैं तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि उस रूट पर केवल 3 ही बसें चल रही हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को इसका जवाब पहले ही दे दिया है और मैंने इस प्रश्न के जवाब में जिन बसों का जिक्र किया है, वे सारी बसें निश्चित रूप से संचालित हैं।

.....

To Improve Sanitation in Bus Stand

***3075. Shri Ved Narang :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that sanitation arrangements are not proper in Bus Stand of Barwala City; if so, the steps taken by the Government to improve the sanitation in abovesaid Bus Stand?

परिवहन मन्त्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, नहीं।

श्री वेद नारंगः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने जो प्रश्न पूछा था, वह यह था कि बरवाला शहर का जो मेन बस स्टैंड है, वह रोड से काफी नीचे है और उसकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही ठप्प पड़ी हुई है। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस मेन बस स्टैंड की सुधारीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है या नहीं ? लेकिन इसमें मेरा जो क्वैश्चन लगा हुआ है, उसकी भाषा बिल्कुल ही बदली हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह बस स्टैंड सड़क से काफी नीचे है और उस बस स्टैंड की गहराई ज्यादा नीचे होने के कारण थोड़ी सी बारिश होते ही उस बस स्टैंड में पानी भर जाता है। जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और

महिलायों को वहां पर खड़े होने में बहुत परेशानी होती है। उसकी सफाई व्यवस्था इतनी ठप है कि उससे बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है और हमारे माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि उसकी सुधारीकरण की कोई योजना नहीं है। सरकार का एक तरफ ''स्वच्छ भारत–स्वच्छ हरियाणा'' का नारा है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, दोनों तर्कसंगत नहीं है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये दोबारा इसके ऊपर विचार करें।

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में इस बस स्टैंड की सुधारीकरण के लिए 30.27 लाख रुपया खर्च किया गया था और इस बस स्टैंड के साथ लगती हुई जो सड़क है, उसके ऊपर उठने के कारण इस बस स्टैंड का फर्श 1 मीटर नीचे जा चुका है और मैं माननीय सदस्य की बातों से सहमत हूं कि बारिश के दौरान इस बस स्टैंड में पानी भर जाता है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग के द्वारा हमेशा इस बस स्टैंड में भरे हुये पानी को पम्प आउट करवाया जाता है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि हमने आज ही अपने विभाग के ए.सी.एस. के साथ मीटिंग की थी और उस मीटिंग में हमने उनको कहा कि इस बस स्टैंड के सुधारीकरण की कोई योजना बनाये और इसके ऊपर विभाग विचार भी कर रहा है।

श्री वेद नारंगः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसकी सफाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास कर सकते हैं ?

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, हमने अपने विभाग के ए.सी.एस. से उस बस स्टैंड की फोटोग्राफ्स मंगवाई थी और हमने उसमें देखा कि वह बस स्टैंड बिल्कुल साफ था। इसके बावजूद मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर वहां पर सफाई से संबंधित या बिल्डिंग से संबंधित उसमें जो भी सुधारीकरण की जरूरत होगी, उसे हम करेंगे।

.....

Scam of Overloading of Vehicles

***3096. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any FIR has been registered regarding scam of overloading of vehicles in the State during the year 2019; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the status of investigation ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) जी हां।

(ख) एफ.आई.आर. का ब्यौरा तथा जांच की स्थिति निम्नलिखित है :–

क्रम सं0	एफ.आई.आर. का ब्यौरा	जांच की स्थिति
1.	230 दिनांक 18/5/2019 धाराधीन 384 भा0द0सं0 तथा 7, 7ए 8, 9, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 थाना सांपला जिला रोहतक	यह अभियोग शुरूआत में रविन्द्र उर्फ काला पुत्र नफे सिहँ वासी खरमाण व सुरेंद्र राठी पुत्र श्री भगवान निवासी डेयरी मोहल्ला रोहतक के विरुध ओवर लोडिड वाहनों के चालकों/मालिकों से अवैध वसूली करके डस्ट, रेती, रोडी के वाहनों को जिला दादरी, नारनौल, झज्जर, रोहतक, भिवानी व सोनीपत से बिना चालान क्रॉस करवाने बारे अंकित किया गया था। अनुसन्धान के दौरान इस अभियोग में निम्नलिखित पांच लोगों (i) मनीश मदान पुत्र महेन्द्र सिंह (ii) रविन्द्र उर्फ काला पुत्र श्री नफे सिंह (iii) सुरेन्द्र राठी पुत्र श्री भगवान (iv) अमित पुत्र कुलदीप (v) सुरेश पुत्र रुपचन्द सिंह को गिरफ्तार किया गया है और बरामदगी की गई है। उपरोक्त अभियोग के अनुसन्धान हेतू श्री मकसूद अहमद, भा.पु.से., सहायक पुलिस अधीक्षक, रोहतक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। उपरोक्त अभियोग में पहला चालान दिनांक 15.07.2019 को न्यायालय में दाखिल किया गया है जोकि जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय, रोहतक में दिनांक 17.08.2019 को सुनवाई के लिए लगा हुआ है। अभियोग में आगामी अनुसन्धान अभी जारी है।

15:00 बजे

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में माना है कि ओवर लोडिंग के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह हरियाणा प्रदेश में ओवर लोडिंग का बहुत बड़ा स्कैम है। अध्यक्ष महोदय, गैर कानूनी तरीके से जैसे हमारे महेन्द्रगढ़, नारनौल, यमुनानगर, पलवल, होडल और इसके साथ लगते हुए क्षेत्रों में पुलिस नाके पर पुलिस की मौजूदगी में रात को रेती और पत्थर की चोरी होती है।

इन सभी क्षेत्रों में बड़े–बड़े ट्रकों द्वारा रेती और पत्थरों की ओवर लोडिंग करके पुलिस की निगरानी में चोरी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ियां भी इन ट्रकों के आगे–आगे चलती हैं और इस बात को माननीय मंत्री जी ने भी माना है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस का काम कानून–व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए लेकिन पुलिस ऐसा न करके रेती और पत्थरों से भरे ट्रकों में ओवर लोड करवाकर पैसा लेने में लगी हुई है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने ओवर लोडिंग के मामले में एफ.आई.आर. का जिक्र किया है। इस स्कैम में कुछ राजनैतिक लोग, सरकार के कुछ बड़े और छोटे अधिकारी और इसके अलावा जो बीच के बिचौलिए हैं वे भी इस स्कैम में शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा प्रदेश में इस स्कैम के बारे में कोई सामूहिक कार्रवाई करने का विचार किया जायेगा?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी दलाल साहब को बताना चाहूंगा कि रविन्द्र उर्फ काला पुत्र श्री नफे सिंह निवासी खरमाण, सुरेन्द्र राठी पुत्र श्री भगवान निवासी डेयरी मोहल्ला रोहतक के रहने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इनके खिलाफ धारा 230 दिनांक 18.05.2019 को अंडर सैक्शन–384, आई.पी.सी. की धारा 7, 7ए, 8, 9 और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने एक आई.पी.एस. अधिकारी श्री मकसूद अहमद, ए.एस.पी. रोहतक हैं, इनको इस केस की अच्छी तरह से और गहराई से जांच करने के लिए लगाया गया है, जिससे कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और माननीय न्यायालय में उनका चालान भी पेश किया गया है। आज के दिन इस केस की तफ्तीश भी बड़ी गहराई से चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस केस के रिगार्डिंग अंदेशा है कि कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह अच्छी तरह से मालूम है कि आर.टी.ए. ऑफिस में चपड़ासी से लेकर के अस्सिटैंट सैक्रेटरी तक की नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से होती हैं और वहां बाकायदा सौदेबाजी के द्वारा ही नियुक्तियां की जाती हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस अधिकारी/कर्मचारी को कौन सा स्थान दिया जाये और कौन सा स्थान न दिया जाये? अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि माननीय मंत्री जी

जांच की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि श्री मकसूद अहमद, आई.पी.एस. ऑफिसर इस केस की जांच करेंगे। जहां सारी की सारी सरकार इस स्कैम में शामिल हैं तो भला यह अधिकारी कैसे जांच कर पायेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां इतना बड़ा घोटाला सरकार की निगरानी में चल रहा है और ऊपर से कह दिया जाता है कि एक आई.पी.एस. अधिकारी इस केस की जाच करेंगे यह बात समझ से बाहर है। वह अधिकारी इस केस की क्या जांच करेगा? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पूरे घोटाले की ज्यूडिशियल जांच करवाई जाएगी? (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि क्या इस महान सदन में इस केस की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवाने का आश्वासन देंगे क्योंकि यह ओवर लोडिंग का स्कैम राज्य सरकार की निगरानी में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि एफ.आई.आर. दर्ज किस व्यक्ति ने करवाई है, उसका नाम इस सदन में बतायें। हरियाणा प्रदेश में पुलिस विभाग और सिविल सर्वेंट में इस बात को लेकर आये दिन झगड़े होते रहते हैं कि ओवर लोडिंग का काम सिविल सर्वेंट के पास रहे या पुलिस विभाग के पास रहे क्योंकि पुलिस वालों की भी यही कोशिश रहती है कि यदि चालान काटने का काम उन्हें मिल जाये तो उनका धंधा ठीक से चल पड़ेगा तथा इसके मुकाबले सिविल सर्वेंट्स की भी यही कोशिश रहती है कि यह काम उनके हिस्से में आ जाये ताकि उनका धंधा भी अच्छी तरह से चलने लगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि एफ. आई.आर. दर्ज किस व्यक्ति ने करवाई है और क्या इस केस की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवाने का आदेश करेंगे?

Shri Ram Bilas Sharma : Speaker Sir, Police is the permanent agency to investigate everything. हमारी सरकार का श्री मकसूद अहमद, आई.पी.एस. बहुत ही प्रतिष्ठित और ईमानदार अधिकारी है। मेरे ख्याल से दलाल साहब को श्री अभय सिंह चौटाला जी वाला चश्मा तो नहीं चढ़ा है लेकिन दलाल साहब सदन में अपने अनुभव की बात करते हैं। ये मेरे बहुत प्रिय साथी हैं। मैंने इनको कई बार कहा है कि श्रावण का महीना चल रहा है, गंगा बह रही है, क्यों नहीं आप इस

श्रावण के महीने में गंगा में डुबकी मार लें। ये पांचवीं बार विधायक बने हैं इसलिए ये अनुभवी आदमी हैं और इनका किठवाड़ी से सम्बंधित सारा किस्सा मुझे मालूम है। प्रदेश में ओवरलोडिंग पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। इस मामले में सरकार का छोटा या बड़ा जो भी अधिकारी/कर्मचारी शामिल पाया जाएगा उसको बचाने का प्रयास नहीं किया जायेगा। अगर इस मामले में कोई आई.ए.एस. अधिकारी भी शामिल पाया गया तो उसके विरूद्ध भी एक्शन लिया जायेगा। मैं माननीय साथी करण सिंह दलाल जी को यही बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की चक्की धीरे पीसती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की चक्की धीरे पीसती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। इस सम्बन्ध में मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी सरकार की बातों को नहीं मानते हैं कहीं उनको चक्की का सहारा लेकर पीसने की योजना तो नहीं है?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इन्होंने अपने रिटन जवाब में कहा है कि "Part challan of the case has been put up in the court on 15.07.2019 and which is now fixed for hearing on 17.08.2019 in the Hon'ble Court of Additional Session Judge, Rohtak. Further investigations are still being carried out." इस बारे में माननीय मंत्री जी यह बतायें कि हम ओवरलोडिंग के मामले को इतने दिन से उजागर कर रहे हैं। हमने ओवरलोडिंग के बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन भी दिया था लेकिन शायद उसको तो सरकार द्वारा विचारोपरांत नामंजूर कर दिया गया (विघ्न) । अब मैं इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी अभी भी पार्ट चालान की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि इस केस का अभी तक पूरा चालान भी पेश नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी यह भी बताये कि क्या कोई इस मामले में ऐसी एफ.आई.आर. भी रजिस्टर्ड हुई थी जिसको बाद में वापिस ले लिया गया हो? इस मामले में दूसरी बात यह बताई जाये कि इससे स्टेट एक्सचैकर को कितना नुक्सान हो रहा है?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय बहन किरण चौधरी जी के तोशाम हल्के में खानक की पहाड़ी है जोकि तोशाम हल्के का मेन रेवेन्यू सैंटर है। बहन किरण चौधरी जी उस तोशाम हल्के को रिप्रेजैंट करती हैं। स्पीकर सर, बहन जी तो बहुत ही अनुभवी हैं मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि दो महीने के अंदर इस मामले में चालान पुट–अप कर दिया गया है। आई.पी.एस. रैंक के अधिकारी द्वारा इस मामले की दिन और रात गहराई से जांच की जा रही है। इस मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी के चालान को पुट–अप कर दिया गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि उन्होंने इस मामले में पार्ट चालान पुट–अप किया। मैंने इसी आधार पर माननीय मंत्री जी से क्लैरीफिकेशन मांगी थी।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं कि जब कोई बड़ा इनवैस्टीगेशन होता है तो उसमें 90 दिन की एक टाईम–लिमिट पुलिस विभाग के पास होती है। यह प्रक्रिया धारा 302 और धारा 307 के मुकद्दमों में अपनाई जाती है। इस मामले में हमने दो महीने के अंदर ही चालान पुट–अप कर दिया और उसके बाद की इनवैस्टीगेशन जारी है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी से मैंने यह भी पूछा था कि इससे स्टेट एक्सचैकर का कितना नुक्सान हो रहा है?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, यह सैपरेट मैटर है इसलिए इसके लिए माननीय सदस्या पृथक प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अब आप कृपया करके बैठ जायें।

———

To Construct A Bye – Pass In Ganaur

***3077. Shri Kuldip Sharma** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye Pass / circular road for the Ganaur town; if so, the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न का जवाब नहीं में था लेकिन मैं माननीय साथी को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस पर विचार किया गया है और इसी वित्त वर्ष में हम इसको बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

.....

To Fill Up Vacant Posts of Doctors

***3085. Shri Jagbir Singh Malik:** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the strength of senior doctors in B.P.S Mahila Medical College, Khanpur Kalan, is not as per norms, if so, the time by which the vacant posts of senior doctors are likely to be filled up in abovesaid Medical College;

(b) the number of total tests being carried out in B.P.S Mahila Medical College, Khanpur Kalan in June, 2019; and

(c) the number of medicines available free of costs for the patients in B.P.S Mahila Medical College, as on today and in January, 2014?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी,

(क) बी0पी0एस0 राजकीय महिला महाविद्यालय खानपुर कलां में वरिष्ठ डॉक्टरों की संख्या में कमी की स्थिति निम्नानुसार हैः–

पद का नाम	MCI मानदंडों के अनुसार कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
प्रोफेसर	28	16	12
असोसिएट प्रोफेसर	43	22	21
असिस्टेंट प्रोफेसर	69	48	21

रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा तथा re-designation द्वारा भरने का प्रयास जारी है।

(ख) बी0पी0एस0 राजकीय महिला महाविद्यालय, खानपुर कलां के विभागों में माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायो–कैमिस्ट्री में जून, 2019 में किये गये परीक्षणों की कुल संख्या 1,16,565 (एक लाख सोलह हजार पांच सौ पैंसठ) है।

(ग) जनवरी, 2014 में उपलब्ध 230 प्रकार की दवाओं के मुकाबले वर्तमान में बी0पी0एस0 राजकीय महिला महाविद्यालय, खानपुर कलां में 248 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हर सत्र में यह प्रश्न उठता है कि प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है और वह भी मेडिकल कॉलेज में जहां बहुत सारे मरीज दूर–दूर से आते हैं। अगर आपके लिखित जवाब को ही देखें तो पता चलता है कि प्रोफैसर के 28 में से 16 पद भरे हुये हैं और 12 की कमी है। इसी प्रकार से ऐसोसिएट प्रोफैसर के 43 पदों में से 22 भरे हुये हैं और 21 खाली पड़े हुये हैं तथा असिसटैंट प्रोफैसर के भी 69 पदों में से 48 भरे हुये हैं तथा 21 की कमी है। इस तरीके से कोई मेडिकल कॉलेज गोहाना जैसे रिमोट एरिया में कैसे चलाया जा सकता है? वहां पर एक भी कार्डियोलोजिस्ट नहीं है जो कि एक मुख्य बीमारी है। इस बीमारी का ईलाज करवाने के लिए मरीज दूर–दूर से आते हैं और लोगों को वहां से रेफर करवा कर रोहतक जाना पड़ता है और उनकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। इसी प्रकार से अगर वहां पर कोई हैड इंजरी का मरीज आता है तो वहां पर कोई न्यूरो सर्जन भी नहीं है। इसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी का भी वहां पर डॉक्टर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य बीमारियां हैं उनके डॉक्टर्स वहां पर उपलब्ध ही नहीं हैं तो मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा है? अध्यक्ष महोदय, सवाल के दूसरे भाग में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एक महीने में 1,16,565 लैब टैस्ट किये गये हैं तो मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां पर एक महीने में नई और पुरानी दोनों मिला कर 50 हजार से ऊपर तो ओ.पी.डी. ही नहीं है, फिर लैब टैस्ट 1,16,565 कैसे हो गये? जहां तक टैस्ट की बात है तो इस मेडिकल कॉलेज में लीवर फंक्शन का टैस्ट नहीं होता है, इसी प्रकार से किडनी फंक्शन का टैस्ट भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन का, क्रिटिनाइन तथा यूरीन का 24 आवर टैस्ट नहीं होता है। कॉलेस्ट्रोल का भी टैस्ट यहां पर नहीं होता है। इस प्रकार के बहुत सारे टैस्ट हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है अगर मंत्री जी लेना चाहें तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूं, जो यहां पर नहीं होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मेडिकल कॉलेज में ये टैस्ट उपलब्ध करवाए जायेंगे? अगर करवायेंगे तो वे कब तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। इसी प्रकार से डॉक्टर्स की कमी कब तक पूरी कर ली जायेगी?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर्स को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है और 18 असिसटैंट प्रोफैसर्स के पद विज्ञापन के लिए भेजे हुये हैं जिनके इन्टरव्यू अगस्त और सितम्बर में हो जायेंगे। इसी प्रकार से हमारे 4 जो असिसटैंट प्रोफैसर हैं will be redesignated to the post of Associate Professor in the month of August और जो बाकी पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया भी जारी है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, ये जो टैस्ट मैंने बताये हैं ये नॉर्मल टैस्ट हैं जो एक आम आदमी को करवाने पड़ते हैं। वहां पर एक भी टैस्ट नहीं होता है तथा बाहर लैब वालों ने लूट मचा रखी है। बाहर इनके ऐजेन्ट बैठे हुये हैं जो एक–एक टैस्ट के कई–कई सौ रुपये लेते हैं। इसी प्रकार से वहां पर कोई दवाई भी नहीं मिलती है और टैस्ट भी वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर टैस्ट, डॉक्टर्स और दवाइयां कब तक उपलब्ध करवा दी जायेंगी?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि माईक्रो बायोलॉजी में 30 तरह के टैस्ट होते हैं जिसमें टैस्ट टर्न की संख्या 12442 है, डिपार्टमैंट ऑफ एथोलॉजी में 35 तरह के इन्वेस्टीगेशन टैस्ट होते हैं जिसमें टैस्ट टर्न की संख्या 39636 है, उसी प्रकार से बायो कैमेस्ट्री में 27 तरह के टैस्ट होते हैं जिसमें टैस्ट टर्न की संख्या 25858 है। सर, मैडिकल कॉलेज में ये सभी प्रकार के टैस्ट होते हैं । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बहुत छोटे–छोटे टैस्ट हैं जो हर अस्पताल में और हर लैब में होते हैं । खानपुर एक अच्छा मैडिकल कॉलेज है वहां पर भी ये सारे टैस्ट करवाए जाते हैं ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को वहां की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं कि अब वहां क्या हो रहा है कि जो अन–स्किल्ड वर्कर हैं वे तो लैब टैस्ट कर रहे हैं और जो लैब टैस्ट पास हैं वे अन–स्किल्ड का काम कर रहे हैं । वहां पर जो आउट सोर्सिंग से भर्ती की हुई है उन कर्मचारियों को तो लैब टैस्ट करने में लगा रखा है और जो लैब टैक्निसियन हैं उनको अन–स्किल्ड में लगा रखा है । मंत्री जी, क्या आप इसकी जांच करवाकर इस पर कार्रवाई करेंगे ?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, माननीय सदस्य बिल्कुल बेबुनियादी बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैडिकल कॉलेज में अन–स्किल्ड आदमी को लैबोरेट्री में टैस्ट करने की इजाजत दी जाए । ये पता नहीं किस आधार पर

इस प्रकार की बातें कर रहे हैं । सरकारी अस्पतालों में ऐसा कुछ नहीं होता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि हमारे डबवाली के सिविल होस्पीटल में केवल एक महिला डॉक्टर थी । मंत्री जी ने उस महिला डॉक्टर का ट्रांसफर करके सिरसा सिविल होस्पीटल में भेज दिया है । अब दो महीने से डबवाली के सिविल होस्पीटल में कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है। जितनी भी महिलाएं वहां डिलीवरी के लिए आती हैं उनको ईलाज के लिए या तो बठिंडा जाना पड़ता है या फिर सिरसा जाना पड़ता है । इसके अलावा चौटाला गांव के सरकारी अस्पताल में भी कोई महिला डॉक्टर नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या डबवाली का सिविल होस्पीटल सिविल होस्पीटल नहीं है ? जोकि वहां सिविल होस्पीटल का इतना बुरा हाल हो रहा है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं इनेलो पार्टी की विधायक श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी से पहले यह जानना चाहूंगा कि अब वह कौन सी पार्टी से हैं ? पहले जब ये सामने बैठती थी तब तो ये इनेलो पार्टी से थी क्या अब ये किसी और पार्टी में चली गई हैं ? आजकल पता ही नहीं लग रहा है कौन किस पार्टी से है क्योंकि धड़ाधड़ पार्टी बदली जा रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, विधान सभा के रिकॉर्ड में तो अभी इनकी इनेलो पार्टी ही है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मंत्री जी की यह बात बिल्कुल गलत है । इन्होंने किसी के बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए । इन्होंने मंत्री जी से एक सवाल पूछा है । मंत्री जी ने उसका जवाब देना चाहिए । मंत्री जी ने इस तरह से कोई गैर जिम्मेदारान बात नहीं कहनी चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मंत्री जी ने तो उनकी पार्टी का ही नाम लिया है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या गैर जिम्मेदाराना बात है । मैं तो अपना ज्ञान बढ़ाना चाह रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या गैर जिम्मेदारान बात हुई । वे जिस पार्टी की विधायक हैं उसी पार्टी का नाम तो लिया जाएगा ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी बात गलत है तो वे खुद बता दें कि वे कौन सी पार्टी में हैं । मैं तो अपना ज्ञान बढ़ाना चाह रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, क्या मंत्री जी को इस तरह से गलत बोलने का लाईसैंस मिला हुआ है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, मंत्री जी ने तो केवल इतना ही कहा है कि माननीय सदस्या इनेलो की विधायक हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपके सदन में महिलाओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या यही उत्तर है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अब इनका इनेलो पार्टी की विधायक होना क्या इन्सल्टिंग बात है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, केवल मेरे सवाल का जवाब दें ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब ही तो दे रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, क्या इनके प्रश्न का यह जवाब बनता है । अगर यह जवाब बनता है तो आप बता दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने क्या गलत बात कही है। बिना कोई वजह बात को तूल दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इन लोगों को किस बात से तकलीफ है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला सदस्य हूँ बावजूद इसके मेरी बात का सीधा जवाब न देकर मंत्री जी द्वारा बात को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक महिला सदस्य हूँ और एक महिला सदस्य होने के नाते इतना जरूर कहना चाहूंगी कि किसी महिला सदस्य के द्वारा किए गए प्रश्न का संबधित मंत्री द्वारा सीधा जवाब देना चाहिए न की कोई टीका–टिप्पणी करनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, मंत्री जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यही कहा था कि इनेलो की विधायक ने जो प्रश्न पूछा है। (शोर एवं व्यवधान) मैंने सिर्फ यही कहा था कि इनेलो की विधायक ने प्रश्न पूछा है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं तो महिलाओं का बहुत आदर करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) क्या इनेलो की विधायक कहना कोई गलत बात है? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भी ऐसी–वैसी बात नहीं की है जिससे किसी का अपमान हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, किसी भी मंत्री से जो सवाल पूछा जाता है, उस मंत्री को केवल उस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। व्यर्थ की टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है बल्कि महिला सदस्य का सम्मान करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नैना जी, मंत्री जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जोकि किसी महिला के सम्मान के खिलाफ हो। मंत्री जी ने कहा था कि इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी की सदस्या ने प्रश्न पूछा है। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी ने तो पार्टी का ही नाम लिया है। (शोर एवं व्यवधान) क्या पार्टी का नाम लेना कोई गलत बात है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मै सीधी सी बात करती हूँ और वह यह है कि मैंने जो प्रश्न किया था मुझे उसका जवाब दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नैना जी, आपकी बात ठीक है लेकिन मंत्री जी ने यदि उस पार्टी का नाम ले लिया जिसकी आप सदस्या हैं तो इसमें क्या गलत कह दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, विधायक किसी भी पार्टी का हो उसे प्रश्न पूछने का अधिकार है। अगर कोई विधायक प्रश्न करता है तो मंत्री जी द्वारा उसके प्रश्न का सीधा जवाब दिया जाये। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अब गीता जी बोल रही हैं और मैं इनके लिए कह दूं कि गीता जी कांग्रेस की विधायक हैं तो क्या यह कहना गलत बात हो गई। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, गीता जी कांग्रेस की विधायक हैं तो मैं इनको कांग्रेस की विधायक ही कहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को केवल सवाल का जवाब देने का काम करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, अतः आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ इस समय मेरा बोलना जरूरी हो गया है। आज नैना जी द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा गया था कि डबवाली के सब डिवीजन में जो अस्पताल है वहां पर दो महीने पहले लेडी डॉक्टर को लगाया गया था लेकिन अब यहां पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। इस प्रश्न का जवाब देने की बजाय मंत्री जी ने मैम्बर को उलझाने की कोशिश की कि आप किस पार्टी से हो। अध्यक्ष महोदय, यह जानना इनका काम नहीं है बल्कि आपने इस बाबत जो नोटिस दिए हुए हैं उनके आधार पर आने वाली 6 तारीख को आप स्वयं इस बात का फैसला करने वाले हो कि कौन किस पार्टी का विधायक है। मंत्री का काम सिर्फ इतना होता है कि यदि कोई मैम्बर प्रश्न करता है तो वह उसका सीधा जवाब दे। यह कभी नहीं होना चाहिए कि मंत्री प्रश्न का जवाब देने की बजाय कोई नुक्ताचीनी करने लग जाये। यह काम अध्यक्ष का है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यदि वे प्रश्न का उत्तर देने तक ही सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। (विघ्न)

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, अभय जी बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं और आज सदन में बहुत ज्ञान की बातें भी कर रहे हैं। उनकी ज्ञान की बातें सुनकर कहना चाहूंगा कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। मैंने माननीय सदस्या के प्रश्न का जवाब देते हुए इतना कहा था कि इनेलो की विधायक बहन ने यह प्रश्न पूछा है कि इनके यहां डबवाली सब डिवीजन में जो अस्पताल है उसमें लगाये गए डॉक्टर की ट्रांसफर हो गई है। मैंने बस इतनी ही बात कही थी इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी प्रश्न का स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं दे रहे। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, स्पेशिफिक जवाब यही है कि यह एक सैपरेट क्वैशचन है और जब माननीय सदस्या इसके लिए अलग से प्रश्न लगायेंगी तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात देखी है कि स्वास्थ्य मंत्री जी किसी भी महिला सदस्या का सही जवाब नहीं देते। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, जब तक आप नहीं बोलते तब तक आपको चैन नहीं आता। आप प्लीज बैठिए। ललित जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

————————

Compensation to the Farmers

***3083. Shri Lalit Nagar:** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the time by which the enhanced compensation of land acquired for Greater Faridabad fixed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court is likely to be paid to the land owners of 19 villages of Tigaon Assembly Constituency togetherwith the detail thereof?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के विरूद्ध एस.एल.पी. फाईल करने की समय सीमा अभी समाप्त नही हुई है और जब तक कानूनी प्रकिया को अन्तिम रूप नही दिया जाता, कोई समय सीमा नही दी जा सकती।

.....

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, इस विषय में माननीय हाई कोर्ट का फैसला अभी 31.5.2019 को आया है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दाखिल करने के लिए अभी समय बाकी है और यदि कोई पार्टी चाहे तो इस फैसले के अगेंस्ट एस.एल.पी. डाल सकती है और यही कारण है माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

श्री ललित नागरः स्पीकर सर, यह मुद्दा बहुत पुराना चला आ रहा है और इसी के मद्देनज़र मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत आये? किसानों की अधिग्रहित जमीन का मामला है। किसानों की 1029 एकड़ जमीन अधिग्रहित हुई है और इसके लिए वे पिछले 5 वर्ष से लगातार हर संडे धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों को सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा सरकार द्वारा रिलीज कर दिया जायेगा। ये किसान हाई कोर्ट इसलिए नहीं गए क्योंकि इनको उम्मीद थी कि शायद सरकार स्वयं ही मुआवजा बढ़ाकर दे दे। स्पीकर सर, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि क्यों न मंत्री जी, मैं स्वयं और किसान इस विषय पर इक्ट्ठा बैठकर एक बार चर्चा कर लें तो

संभव है कि इस समस्या का निपटारा हो जाये। स्पीकर सर, यह पहली बार हुआ है जबकि माननीय हाई कोर्ट द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 1860 रूपये प्रति स्केयर यार्ड की दर से डिक्लेयर किया गया है और उसको घटाकर सरकार ने 1760 रूपये प्रति स्केयर यार्ड की दर से देने का काम किया है। स्पीकर सर, अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश को किसान भी मानने के लिए तैयार हैं। अतः भविष्य में सरकार भी हाई कोर्ट का दरवाजा न खटखटाये और किसान भी हाई कोर्ट का दरवाजा न खटखटायें, इसका समाधान यही है कि इस मसले को मिल बैठकर सुलझाकर खत्म कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा अगर ऐसा नहीं है तो सरकार साफ ही कह दे कि सरकार अधिग्रहित भूमि का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देगी तो फिर किसान कम से कम दर की दर ठोकरें तो नहीं खायेंगे।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही किसानों की भूमि अधिगृहीत हुई थी। यह मामला भाई ललित नागर के विधान सभा क्षेत्र के 19 गांवों के किसानों से जुड़ा हुआ है। मैं यह भी माननीय सदस्य को बता दूं कि यह अधिगृहीत 1647.20 एकड़ भूमि का मामला पिछली सरकार के समय का है। भाई ललित जी शायद 1031 एकड़ का ही आंकड़ा बता रहे हैं। यह जमीन फरीदाबाद के सैक्टर 75,76,77,78,80 और 89 के लिए अधिगृहीत की गई थी। अध्यक्ष महोदय, तत्कालिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 955.12 करोड़ रुपये की राशि का अवार्ड मुआवजे के लिए घोषित किया हुआ था, जिसके लिए 872 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया था। इस हिसाब से केवल लगभग 83 करोड़ रुपये की राशि ही मुआवजे के लिए बकाया है। उसके बाद ए.डी.जे. कोर्ट ने कंपनसेशन की राशि को बढ़ाया था और उस हिसाब से 882.63 करोड़ रुपये और कंपनसेशन बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, इसमें से 209.78 करोड़ रुपये मुआवजा किसानों को दे दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में भू–मालिक भी गए और इस फैसले के खिलाफ सरकार भी गई। यह सरकार की कार्यवाही एक सामान्य सहज कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रकार से भूमि अधिगृहीत ऑरिजनल अवार्ड से ज्यादा कंपनसेशन अगर माननीय ए.डी.जे. कोर्ट ने दिया है तो ऐसे कई केसिज में सरकार अपील में गई तो कंपनसेशन कम भी हुआ और ज्यादा भी हुआ तथा कई केसिज में भू–मालिक माननीय न्यायालय में गए तो उनको एन्हांसमैंट भी मिला है। एस.एल.पी. लगाने का अधिकार भू–मालिक का भी है और सरकार की भी जिम्मेवारी

बनती है। क्योंकि अंततोगत्वा जो भी एन्हांसमैंट दी जायेगी उस एन्हांसमैंट का प्रभाव अल्टीमैटली प्लॉट लेने वालों पर ही पड़ने वाली है। इस प्रकार से सरकार की पब्लिक इन्ट्रस्ट की भी जिम्मेवारी बनती है। दूसरी तरफ भू–मालिक का भी अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, जो पैनल्टी इसमें ज्यूडीशियल प्रोसैस से आ जायेगी तो कंपनसेशन निश्चित तौर पर भू–मालिकों को दे दिया जायेगा।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि यह कोई जरूरी नहीं है कि इस मामले में माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : यह आपका प्रश्न नहीं है बल्कि यह आपका एक सुझाव है।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न भी है और एक सुझाव भी है कि न तो सरकार माननीय न्यायालय में जाए और न ही किसान माननीय न्यायालय में जाए। आज किसान इस मसले पर आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से आई.एम.टी. के किसानों की भी यही समस्या है। आज हजारों किसानों ने बल्लभगढ़ के अंदर आई.एम.टी. में पावर हाउस का घेराव किया हुआ है और सब–पावर हाउस को बंद कर रखा है। यह सब सरकार की गलत नीतियों और मुआवजा न देने के कारण हो रहा है। इस प्रकार से आज हजारों किसान परेशान होकर आंदोलनरत हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नागर साहब, माननीय मंत्री जी ने आपके सवाल का जवाब क्लीयर शब्दों में दे दिया है।

.....

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, श्री राजबीर सिंह तथा डॉ0 सीता राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की वी.आई.पीज. गैलरी में मौजूद हैं। मैं अपनी एवं पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूँ।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Number of Beneficiaries Under The Aayushman Bharat Yojna

***3104. Shri Aseem Goel :** Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the number of card holders under the Aayushman Bharat Yojna in State-

(b) the number of beneficiaries under the said scheme; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to make cards of those eligible persons who do not have cards under the said scheme?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : (क) श्रीमान जी, कुल कार्ड धारक 12,31,132 हैं।

(ख) उक्त योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने 30.07.2019 तक लाभ लिया है, उनकी संख्या 37,885 है।

(ग) नहीं, श्रीमान जी।

.....

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, 'आयुष्मान भारत योजना' बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना से 'स्वस्थ जीवन मेरा अधिकार' जुड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस योजना की शुरूआत की थी। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के दिशा निर्देश से हरियाणा में 'आयुष्मान भारत योजना' को भली भांति लागू किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आयुष्मान काड्र्स वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बने हैं । इसके बाद कभी भी जनगणना नहीं की गई है । अब वर्ष 2019 चल रहा है । अतः इन 8 वर्षों के गैप की वजह से बहुत–से लोगों के आयुष्मान काड्र्स बन नहीं पा रहे हैं । इस कारण बहुत–से जरूरतमंद लोग जिनको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हैं और ऐसी बीमारियों के इलाज का खर्च वहन करते–करते उनके परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल डगमगा चुकी है वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं । अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों के लिए हरियाणा सरकार कोई स्कीम बना रही है ?

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बहुत–सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए सिर्फ बी.पी.एल. कार्डधारक ही इलीजिबल होते हैं । भगवान ने आदरणीय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी को उनके उद्धार के लिए इस धरती पर उतारा है और उन्होंने उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं । मेरा कहना है कि हमारे प्रदेश में बहुत–से ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक बी.पी.एल. कार्ड नहीं बने हैं । उन गरीब परिवारों के सदस्यों को कई बार कैंसर जैसी क्रौनिक डिजीज हो जाती हैं । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे परिवारों को भी इस योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाए । इसके साथ ही हमारे बहुत–से पत्रकार साथी बड़ी मुसीबतें झेलकर हर घटना की कवरेज करते हैं । ऐसे में कई बार उनको भी गम्भीर बीमारियां हो जाती हैं । अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उनको भी इस योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाए ।

श्री अनिल विज : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 'आयुष्मान भारत योजना' केन्द्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है । इस योजना में कवर होने वाले परिवारों को एक साल में 5 लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज करवाने का प्रावधान किया गया है । इस योजना के लाभार्थियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता, किसी बिल की पेमेंट नही करनी होती और न ही किसी बिल को रिम्बर्स करवाना होता है । यह योजना पूर्णतया कैशलैस बेस्ड है । अध्यक्ष महोदय, इस योजना को लागू करने में भारत सरकार ने हरियाणा प्रदेश को पहले नंबर पर रखा है । इसके संबंध में उन्होंने हमें एक एप्रेशियेशन लैटर भी लिखा है । इसके अलावा केन्द्र सरकार ने अन्य राज्यों को कहा है कि आप हरियाणा सरकार से जाकर पता कीजिए कि उन्होंने इस स्कीम को किस ढ़ंग से लागू किया है । सारे देश में हमारी रिम्बर्समैंट भी पहले स्थान पर है । इस योजना के तहत जहां तक अन्य लोगों को कवर करने की बात है तो इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसी को आधार मानकर इस योजना को लागू किया गया है । मुझे उम्मीद है कि यह सर्वे जल्द ही दोबारा किया जाएगा । जब यह सर्वे दोबारा किया जाएगा तो जो लोग इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनको भी इस योजना में कवर कर लिया जाएगा और जो लोग इस योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं उनका भी डाटा कलैक्ट करके रैक्टिफाई किया जाएगा । इस तरह से हम इस योजना में कवर होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाएं देंगे ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बी.पी.एल. कार्ड बनाने में भी अपने लोगों को प्राथमिकता दी है । उन्होंने इस कार्य में गरीबी के किसी क्राइटेरिया को नहीं अपनाया था । अगर कोई आदमी गरीब है और वह अन्य दल से संबंध रखता है तो उसका बी.पी.एल. कार्ड नहीं बनाया गया । पूर्ववर्ती सरकारों ने इस मामले में 'अंधा बांटे रेवड़ी और अपनों–अपनों को दे' कहावत को चरितार्थ किया है । अतः जो व्यक्ति सही मायने में बी.पी.एल. कार्ड के पात्र थे उनके किन्हीं कारणों से ये कार्ड नहीं बनाए गए । अभी जैसा माननीय सदस्य डॉ. पवन सैनी कह रहे थे कि सरकार बी.पी.एल. कार्ड बनाने जा रही है तो मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार अब हर नये बी.पी.एल. कार्डधारक को इस योजना के दायरे में लाकर इस योजना के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करेगी ? अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में कमाने वाला कोई नहीं होता और एक घर में 2–2 सदस्यों को गम्भीर बीमारी हो जाती है और उनका प्रतिमाह लाख–लाख रुपये खर्च आता है। संबंधित दम्पति गम्भीर बीमारी होने के कारण अपनी मौत का इन्तजार कर रहे होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह के पीड़ित परिवारों के लिए कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे उनको लाभ हो सके।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आयुष्मान भारत योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसमें केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार का 60:40 के हिसाब से खर्चे का रेशो है। अगर भविष्य में केन्द्र सरकार इस योजना में कोई बदलाव करेगी तो उसको हरियाणा प्रदेश में भी लागू किया जाएगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी तंत्र से जुड़े हुए कर्मचारी ऐसे लोगों को एप्रोच करते हैं जिनका बी.पी.एल. कार्ड है यानी वे आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं और वे कर्मचारी संबंधित लाभार्थियों को कहते हैं कि आपको 5–6 दिन तक हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़ेगा और आपको वहां पर हलवा–पूरी भी खिलाएंगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 10,000/– रुपये भी दिये जाएंगे परन्तु उन संबंधित लाभार्थियों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता है। इसमें लाभार्थियों

को लालच देकर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है और संबंधित हॉस्पिटल्ज ऐसे गिरोह के माध्यम से ऑनलाईन पेमैंट ले लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके ध्यान में ऐसा कोई स्पेसिफिक केस है ? मेरे पास जहाजगढ़ गांव के ऐसे ही 2–3 केसिज हैं जिनमें लाभार्थियों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया परन्तु वे बीमार नहीं थे। उनका ऑपरेशन करने की फोटोग्राफी भी करवायी गयी है और ईलाज करवाने के नाम पर पेमैंट भी ली गयी है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग के पास एक केस आया था जिसमें संबंधित लोगों के एगेंस्ट एफ.आर.आई. दर्ज करवायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त फर्जी गोल्डन कार्ड बनाने का मामला भी आया था जिसमें किसी आई.टी. प्रोफेशनल ने 3 फर्जी गोल्डन कार्ड बनाये थे उनके एगेंस्ट भी एफ.आर.आई. दर्ज करवायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी भी पूर्व में स्पीकर के पद पर रहे हैं। अगर इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य विभाग के पास कोई केस भेजेंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।

———————————

Present Status of Sports Stadium

***3092 Smt. Geeta Bhukkal :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state the present status of district level sports stadium in Jhajjar Assembly Constituency?

Health Minister (Shri Anil Vij): Sir, administrative approval of Rs. 19,77,53,701/- has been issued to PWD B&R on 03.06.2019 for construction of District Level Sports Stadium in Village Silana (Jhajjar). Detailed notice inviting tender for construction of the Stadium is under approval.

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि district level sports stadium in Jhajjar Assembly Constituency के बारे में जो हमारी सरकार के समय में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा जी की घोषणा थी जिसके लिए झज्जर जिले के 2 सैक्टर में लगभग 41 एकड़ लैंड एक्वायर करने का कार्य अंडर प्रोसैस था। माननीय

मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बादली विधान सभा क्षेत्र के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जो योजनाएं/परियोजनाएं चल रही थी उनको हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों से दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है ? मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ बहुत भेदभाव किया गया है। वर्तमान सरकार ने 4 साल पहले डिस्ट्रिक्ट झज्जर के हॉस्पिटल में डायलेसिस की सुविधा देने की घोषणा की थी परन्तु आज तक वहां पर डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। हमारी सरकार के समय में झज्जर जिले में स्पोर्टस स्टेडियम बनाने के लिए सैक्टर 2 में लैंड एक्वायर करने का कार्य अंडर प्रोसैस था परन्तु वर्तमान सरकार ने उसको नॉट फिजिबल करके ड्रॉप कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से स्पोर्टस स्टेडियम बनाने के प्रपोजल को बादली हल्के में क्यों शिफ्ट किया गया है ?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि एक जिले में एक ही डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस स्टेडियम बनाया जाता है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का झज्जर भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर ही है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि मैं कई बार झज्जर गया भी हूं परन्तु यह बात मेरे सामने नहीं आयी कि स्पोर्टस स्टेडियम के लिए लैंड एक्वायर की गयी थी या नहीं और अगर लैंड एक्वायर की गयी थी तो वह किस कारण से कैंसिल की गयी।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मेरे पास इससे संबंधित कागज हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि वे संबंधित कागज हमारे पास भिजवा दें तो मैं एग्जामिन करवा लूंगा।

———————

Three Pond System in Villages

***3088. Shri Jagbir Singh Malik** : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the details of the villages where the Government has started three pond system in Gohana Assembly Constituency; and

(b) whether it is a fact that the three pond system has become source of diseases and foul smell?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान् जी, गोहाना विधानसभा क्षेत्र के 16 गाँवों में तीन/पाँच तालाब प्रणाली के 16 कार्य शुरू करवाए गए थे जिनमें से 5 कार्य **संलग्न** पूर्ण हो चुके हैं व 11 कार्य प्रगति पर हैं **(विवरण अनुबन्ध "क" पर है)**।

(ख) नहीं श्रीमान् जी।

Annexure- "A"

Workwise status report of *SLWM Projects started in Gohana Constituency as on 1.8.2019								
							Amount : Rs. in lakh	
Sr. No.	**Financial Year**	**Name of GP**	**Name of Block**	**Sanctioned Amount**	**Released Amount**	**Expenditure**	**Balance Amount**	**Physical status**
Fiancial Year - 2014-15								
1	2014-15	Nagar	Gohana	36.58	17.25	33.41	-16.16	Work Completed
2	2014-15	Hullaheri	Sonipat	67.67	30.32	30.62	-0.30	90% Work Completed
Sub Total				**104.25**	**47.57**	**64.03**	**-16.46**	
3	2015-16	Kalana Khas	Gohana	30.04	21.66	28.05	-6.39	Work Completed
4	2015-16	Gangeser	Gohana	39.91	16.43	40.05	-23.62	Work Completed
5	2015-16	Dodwa	Gohana	40.22	21.77	21.33	0.44	Work Completed
6	2015-16	Garhi Hakikat	Gohana	33.87	24.62	11.96	12.66	Work Completed
7	2015-16	Luhari Tibba	Gohana	44.82	16.39	10.12	6.27	80% Work Completed
8	2015-16	Gamri	Gohana	47.9	22.73	42.21	-19.48	80% Work Completed
9	2015-16	K.P Jat Majra	Gohana	56.95	25.76	19.20	6.56	70% Work Completed
10	2015-16	Wajirpura	Gohana	39.35	20.47	26.51	-6.04	60% Work Completed
11	2015-16	Barota	Gohana	50.58	23.56	21.98	1.58	50% Work Completed
12	2015-16	Chatiya Deva	Gohana	16.46	8.31	5.96	2.35	40% Work Completed

13	2015-16	Kasandi	Gohana	49.44	23.20	14.87	8.33	20% Work Completed
14	2015-16	Tihar khurd	Gohana	23.29	12.56	0.00	12.56	15% Work Completed
15	2015-16	Badshapur machhri	Gohana	31.47	5.64	0.07	5.57	10% Work Completed
16	2015-16	Jaji	Gohana	15.43	4.81	5.10	-0.29	10% Work Completed
Sub Total				519.73	247.904	247.41	0.499	
Grand Total				**623.98**	**295.47**	**311.44**	**-15.96**	
*	**A SLWM Project include construction/completion of Drainange Network (Small/Medium/Big Drains and Nalas etc.), Waste Stablization Ponds System (Three/Five Ponds System) and Shed for Solid Waste Management.**							

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गोहाना विधान सभा क्षेत्र के गांवों के तालाबों में गंदा पानी भरा हुआ है और वह बीमारियों का घर बना हुआ है। जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 16 गांवों में तीन/पांच तालाब प्रणाली का कार्य शुरू करवाया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उन गांवों में पिछले 2 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं खुद हर गांव में जाता हूं और उन गांवों में बहुत सारे तालाब तो रोड के किनारे पर हैं। उन तालाबों में इतना गंदा पानी है कि लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी हमें बतायेंगे कि पिछले तीन सालों में सैंट्रल गवर्नमैंट से हरियाणा गवर्नमैंट को इस काम के लिए कितना पैसा मिला है और उन पैसों का कहां पर खर्च किया गया है? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास इसकी भी रिपोर्ट है कि पिछले 3 सालों में 8 लोग उन तालाबों में गंदा पानी भरे होने की वजह से बीमार पड़ गये थे, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी इक्वयारी करवायें कि सैंट्रल गवर्नमैंट से इस काम के लिए जो पैसा आया था, वह कहां गया? मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि उन 16 गांवों में तीन/पांच तालाब प्रणाली के 16 कार्य शुरू करवाये गये थे, जिनमें 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 11 कार्य प्रगति पर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर कोई भी कार्य नहीं करवाया गया है और मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स भी हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप इसकी इन्क्वायरी करवायें कि किस आदमी ने यह आधा–अधूरा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये इन तालाबों की सफाई करवायें,

वरना इनसे बीमारी फैलेगी और लोग बीमार पड़ेंगे जिसके लिए जिम्मेवारी सरकार ही होगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर वे इस विषय से संबंधित कोई स्पेसिफिक जानकारी देंगे तो हम जरूर उसकी जांच करवायेंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ड्रोन के माध्यम से उन गांवों के तालाबों की फोटोग्राफ्स ली गई थीं और उनमें गंगेसर गांव के तालाब से संबंधित अखबार में एक बड़ी अच्छी खबर भी छपी थी। मैंने इस विषय से संबंधित उन गांवों के सरपंचों से आज सुबह ही बात की है और उन तालाबों के ड्रोन से फोटोग्राफ्स भी करवाये हैं। उन तालाबों में जो गंदा पानी है, वह तो उन्हीं गांवों का ही है। मान लीजिए कि शुरुआत में एक तालाब में गंदा पानी आयेगा, उसके बाद उसमें से पानी नितर कर दूसरे तालाब में जायेगा और उसके बाद उसमें से पानी नितर कर तीसरे तालाब में जायेगा, इसलिए तीन तालाब या पांच तालाब बनाने का मतलब यह नहीं है कि पहले तालाब में ही पानी शुद्ध हो जायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसी गांव का गंदा पानी जो पहले तालाब में जाता था, वह थ्री पौंड सिस्टम में बदल रहा है और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह सिस्टम कई जगहों पर काफी सफल भी रहा है। मुझे इससे संबंधित केवल एक ही स्पेसिफिक शिकायत मिली थी कि उल्ला–हेड़ी गांव में जहां से पाइप लाइन लाई गई थी, वह किसी आदमी की निजी जमीन पर थी और वह आदमी कोर्ट से केस जीत गया था। उसने उस पाइप लाइन को तोड़ दिया, इसलिए इसकी हमें अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कई स्थानों के तो ड्रोन से लिये गये काफी अच्छे फोटोग्राफ्स भी मुझे मिले हैं और मैंने इस विषय से संबंधित उन गांवों के सरपंचों से भी बात की थी और उन्होंने इसे काफी अच्छा कहा है। जिन गांवों का काम अभी अधूरा है, हम उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करवायेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, उल्ला–हेड़ी गांव में तालाब के लिए जो जमीन खोदी गयी है, उसका लेवल ही ठीक नहीं है। इस तरह से गांव का पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा। मेरे मोबाइल में भी उन 16 के 16 गांवों के तालाबों की फोटोग्राफ्स हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि उल्ला–हेड़ी गांव में गड़बड़ हुई है। इसके अलावा अगर इनके पास इस विषय से संबंधित कोई दूसरी जानकारी है तो हमें उसके बारे में बतायें, हम उसे दुरुस्त करवायेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Number of Raids for Checking Power Thefts

799. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the district wise number of raids conducted by the Government for checking domestic and Industrial power theft in the state from the year 2015 to June, 2019?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

कैलेन्डर वर्ष 2015 से 2019 (जून 2019 तक) के दौरान घरेलू तथा औद्योगिक श्रेणी के लिए जिलावार मारे गए छापों/जांच की संख्या।

जिला का नाम/सर्कल	विवरण	कैलेन्डर वर्ष 2015		कैलेन्डर वर्ष 2016		कैलेन्डर वर्ष 2017		कैलेन्डर वर्ष 2018		कैलेन्डर वर्ष 2019 (जून 2019 तक)	
		घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक
अम्बाला + पंचकूला	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	7976	859	16112	1011	21025	1698	10409	5155	3558	1725
यमुनानगर	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	21277	1638	17622	2190	21302	2651	10370	3641	3651	2254
कुरूक्षेत्र	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	13940	407	14169	494	19928	674	10807	2007	3164	614
कैथल	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	20318	527	9425	484	18583	509	11392	516	5723	537
करनाल	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	4579	1080	5136	1587	8498	2577	4482	2680	2437	1605
पानीपत	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	5507	1802	10250	2192	12059	2989	4823	2694	2533	1808
सोनीपत	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	2649	3793	5001	3726	19128	4355	17850	4714	2587	2023
रोहतक	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	9191	1126	12736	1347	25444	1293	11913	1465	1187	826
झज्जर	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	2592	1446	6192	1850	9403	1767	5885	2763	613	1658
उ.ह.बि.वि.नि.	**मारे गए छापे/ जांच की संख्या**	**88029**	**12678**	**96643**	**14881**	**155370**	**18513**	**87931**	**25635**	**25453**	**13050**

.....

कैलेन्डर वर्ष 2015 से 2019 (जून 2019 तक) के दौरान घरेलू तथा औद्योगिक श्रेणी के लिए जिलावार मारे गए छापों/जांच की संख्या।

जिला का नाम/सर्कल	विवरण	कैलेन्डर वर्ष 2015		कैलेन्डर वर्ष 2016		कैलेन्डर वर्ष 2017		कैलेन्डर वर्ष 2018		कैलेन्डर वर्ष 2019 (जून 2019 तक)	
		घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक
फरीदाबाद	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	4922	4169	5512	2126	10921	1877	6233	2681	1898	2532
पलवल	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	2445	226	3458	201	4603	155	2255	197	957	145
नूह (मेवात)	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	1108	204	834	175	1926	103	445	57	167	22
गुरूग्राम	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	5026	3040	4900	1512	6302	1452	5504	2231	4630	1837
महेन्द्रगढ़	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	761	87	1190	71	3567	106	1999	139	461	178
रेवाड़ी	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	12412	262	7537	304	5027	337	2290	809	1616	780
भिवानी	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	18467	941	17795	931	20461	1061	20964	1443	10184	720
दादरी	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	7382	362	8119	410	9447	479	6613	376	3548	237
हिसार	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	5815	405	6844	405	11644	465	6294	632	2538	615
फतेहाबाद	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	13760	287	13191	154	13804	217	8253	158	2607	256
सिरसा	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	5476	118	6324	152	10296	163	5260	235	2489	298
जीन्द	मारे गए छापे/ जांच की संख्या	2958	109	2182	57	8313	91	2761	266	1170	274
द.ह.बि.वि.नि.	**मारे गए छापे/ जांच की संख्या**	**80532**	**10210**	**77886**	**6498**	**106311**	**6506**	**68871**	**9224**	**32265**	**7894**

.....

Details of OPDs in Veterinary Polyclinic

811. Shri Ved Narang : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state:-

(a) the month wise number of OPDs and Surgeries of Big animals as well as small animals conducted in Government Veterinary Polyclinic at Panchkula during last one year; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift Big Animal Section from old building to newly constructed Veterinary Polyclinic at Panchkula; if so, the time by which it is likely to be shifted?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : (क) श्रीमान जी, सरकारी पशु चिकित्सालय, पंचकूला में गत् एक वर्ष (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक) के दौरान ओ0पी0डी0 तथा सर्जरी की संख्या का मास–वार विवरण अनुलग्नक–1 पर दिया गया है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी ।

अनुलग्नक–।
सरकारी पशुचिकित्सालय, पंचकूला
में ओ0पी0डी0 तथा सर्जरी का
1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक का विवरण

1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019				
मास	बड़े पशु		छोटे पशु	
	ओ0पी0डी0	सर्जरी	ओ0पी0डी0	सर्जरी
जुलाई–2018	500	42	2451	38
अगस्त–2018	693	59	2288	28
सितम्बर–2018	1059	57	2201	27
अक्तूबर–2018	671	15	1867	37
नवम्बर–2018	554	15	1552	29
दिसम्बर–2018	601	01	1717	34
जनवरी–2019	439	17	1475	22
फरवरी–2019	685	24	1509	38
मार्च–2019	775	32	1922	36
अप्रैल–2019	245	08	2121	42
मई–2019	583	32	2040	42
जून–2019	781	42	1711	36
कुल	**7586**	**344**	**22854**	**409**

.....

Number of OPDs in B.P.S Mahila Medical College

807. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the number of OPDs in B.P.S Mahila Medical College from March 2013 to 31st March 2014 was higher than the number of OPDs from March 2018 to 31st March 2019; if so, the month-wise number of OPDs in B.P.S Mahila Medical College during the above said period?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान जी, मैं सदन के पटल पर बताना चाहता हूँ कि मार्च 2013 से 31 मार्च 2014 तक ओ0पी0डी0 की कुल संख्या 4,93,883 थी और मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 तक ओ0पी0डी0 की कुल संख्या 6,55,065 है। उक्त अवधि के दौरान बी0पी0एस0 महिला मेडिकल कॉलेज में ओ0पी0डी0 की महीने वार संख्या नीचे तालिका में दर्शाई गई है:–

महिना	2013	2014	2018	2019
जनवरी		37549		47626
फरवरी		39407		52799
मार्च	32824	50494	44789	50720
अप्रैल	32751		41613	
मई	41417		57439	
जून	37873		49360	
जुलाई	41601		58396	
अगस्त	38469		58623	
सितम्बर	41791		51583	
अक्टूबर	34704		52296	
नवम्बर	30891		42802	
दिसम्बर	34112		47019	
योग	**366433**	**127450**	**503920**	**151145**
कुल योग	**4,93,883**		**6,55065**	

To Re-Construct the Road

812. Shri Ghanshyam Saraf : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the N.H 709E road from New Bus Stand to Loharu bridge in Bhiwani City has been completely damaged due to rain; if so, the time by which it is likely to be re-constructed togetherwith the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हॉ, श्रीमान् जी। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 709 (ई0) का भाग है जो भिवानी शहर में पड़ता है। यह सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। इस सड़क के बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत/दोबारा निर्माण दिनांक 15.09.2019 से तीन महीनों तक पूरा कर दिया जाएगा।

.....

Details of Registered Crimineal Cases

798. Shri Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The district wise details of cases of murders/ rapes/child rapes/ crime against women registered in the state from November 2014 till date;

(b) Whether any criminal has been convicted in the cases mentioned at (a) above; and

(c) The district wise number of cases of atrocities on Sc's registered in the state during the period mentioned at (a) above?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी,

(क) जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	जिला	हत्या के अंतर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या	बलात्कार के अंतर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या	शिशु बलात्कार के अंतर्गत (4/6 पोस्को अधिनियम) दर्ज मुकदमों की संख्या	अन्य महिला विरुद्ध अपराधो के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या
1	अम्बाला	140	163	134	1338
2	भिवानी	173	170	179	1629
3	चरखी दादरी	99	52	43	602
4	फरीदाबाद	337	543	412	4315
5	फतेहाबाद	120	128	133	1260
6	रेलवे	137	12	1	140
7	गुरुग्राम	470	663	354	4577
8	हाँसी	78	72	60	509

9	हिसार	183	199	162	1668
10	झज्जर	298	172	84	1681
11	जींद	254	153	108	1515
12	कैथल	151	131	122	1698
13	करनाल	318	269	264	2488
14	कुरुक्षेत्र	133	153	155	1492
15	मेवात	141	295	216	1226
16	नारनौल	178	120	75	903
17	पलवल	244	205	169	1250
18	पंचकुला	69	75	88	433
19	पानीपत	278	328	201	3595
20	रेवाड़ी	179	172	115	1284
21	रोहतक	319	275	144	2601
22	सिरसा	136	173	128	1400
23	सोनीपत	448	229	204	2330
24	यमुनानगर	160	195	123	2331
कुल योग		**5043**	**4947**	**3674**	**42265**

(ख) हां, 20 जुलाई 2019 तक तय किए गए मामलों में, 953 अपराधियों को हत्या के मामलों में, 249 को बलात्कार के मामलों में, 457 को शिशु बलात्कार के मामलों में और अन्य मामलों में 904 अपराधियों को दोषी ठहराया गया है :-

(ग) जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	जिले	एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मुकदमों की संख्या
1	अम्बाला	92
2	भिवानी	303
3	चरखी दादरी	101
4	फरीदाबाद	285
5	फतेहाबाद	122
6	रेलवे	17
7	गुरुग्राम	190
8	हाँसी	77
9	हिसार	280
10	झज्जर	130
11	जींद	186
12	कैथल	186
13	करनाल	159
14	कुरुक्षेत्र	130
15	मेवात	125
16	नारनौल	181
17	पलवल	208
18	पंचकुला	35
19	पानीपत	148
20	रेवाड़ी	131
21	रोहतक	243
22	सिरसा	123
23	सोनीपत	93

24	यमुनानगर	150
कुल योग		**3695**

Construction of Huts on Ghaggar River

810. Shri Ved Narang: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that river view huts constructed on the Bank of Ghaggar near Sector 23, Panchkula are lying abandoned after their construction; if so, the condition thereof together with the time by which the above said huts are likely to be developed/maintained properly?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नही, श्रीमान जी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच. एस.वी.पी.) द्वारा सैक्टर–23, पंचकूला के निकट घग्गर नदी के तट पर दो रिवर व्यू हट का निर्माण वर्ष 2008 में 8.30 लाख रूपये की अनुमानित राषि से किया गया है तथा यह हटें अच्छी स्थिति में हैं। घग्गर नदी के साथ सड़क की दूसरी लेन के निर्माण के बाद इन हटों के संपर्क पथों और उनके साथ लगी लोहे की पाइपों की मरम्मत की आवष्यकता उत्पन्न हुई थी। इस मुरम्मत का कार्य प्रगति पर है व इसके 31.08.2019 तक पूरा होने की सम्भावना है और इसके बाद हटें अभिगम्य हो जाएंगी

.....

Details of Sewerage and Water Supply Works

793. Shri Karan Singh Dalal : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) the details of sewerage/water supply works being undertaken in city of Palwal;

(b) the total amount allotted for the works mentioned at (a) above;

(c) the mode of awarding contract in respect of above said works;

(d) the details of total payments made to the contractor so far;

(e) whether any advance payment has been made to the contractor, if so, the details thereof; and

(f) whether any complaint against the contractor/municipal authorities has been received by the Government in this regard; if so, the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : महोदय जी,

(क) पलवल शहर में अमृत परियोजना के तहत नगर परिषद पलवल द्वारा किये जा रहे सीवरेज/जल आपूर्ति कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

i. जल आपूर्ति :

- ट्यूबवेल्स : 27 न०
- क्लियर वाटर रिजर्वायर : 4 न०
- ओवर हेड सर्विस रिजर्वायर : 2 न०
- पाइपलाइन नेटवर्क : 132.76 कि० मी०

ii. सीवरेज :

- सीवरेज नेटवर्क : 139.48 कि० मी०
- इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन : 2 न०
- मेन पम्पिंग स्टेशन : 3 न०
- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट : 3 न० (15 एम.एल.डी, 10 एम.एल.डी व 2.5 एम.एल.डी)

(ख) कूल राशि जिसके लिए (क) में उल्लेखित किए गए कार्यों की कुल आबंटन राशि निम्नानुसार है :

i. वाटर सप्लाई का कार्य : 62.87 करोड़ रु (कैपिटल कॉस्ट 57.82 करोड़ रु + 5 साल के लिए ओ एंड एम की लागत 5.05 करोड़ रु)

ii. सीवरेज सिस्टम का कार्य : 127.86 करोड़ रु (कैपिटल कॉस्ट 116.25 करोड़ रु + 5 साल के लिए ओ एंड एम की लागत 11.61 करोड़ रु)

(ग) कार्यों के सम्बन्ध में अनुबंध देने का ढंग निम्नानुसार है :

भारत सरकार द्वारा अमृत परियोजना के तहत कार्य करवाने के लिए जारी दिशानिर्देशों की धारा 10.2 के अनुसार सभी डी. पी. आर. को स्टेट लेवल हाई पॉवरड स्टीयरिंग कमेटी (एस एच पी एस सी) द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव और ए.सी.एस–पी.एच.इ.डी., ए.सी. एस–पी.डब्लू.डी (बी एंड आर), पी. एस.–यू. एल. बी, ए.सी.एस–फाइनेंस, ए.सी.एस–एनवायरमैंट, ए.सी.एस–आवास, ए.सी.एस–ट्रांसपोर्ट और ए.सी.एस–फोरेस्ट, सदस्य के रुप में शामिल है।

इन डी. एन. आई टी. को मैसर्ज वॉपकोस लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) द्वारा तैयार किया गया था, जिनके पास देश में बड़ी परियोजनाओं के कार्य करने की विशेषज्ञता है। इन डी. एन. आई. टी. को स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी जिसके अध्यक्ष प्रधान सचिव–यू. एल. बी. (पी एस यू एल बी) और ई.आई.सी–पी.एच.इ.डी, ई.आई.सी–इरीगेशन, डायरेक्टर जनरल–टाउन व कंट्री प्लानिंग, डायरेक्टर जनरल–ट्रांसपोर्ट विभाग, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, प्रबंध संचालक–एच. वी.पी.एन, मुख्य प्रशासक–एच.एस.सी.बी और स्पेशल सैक्रेटरी– फाइनेंस एंड रेवेन्यू विभाग, सदस्य के रुप में शामिल हैं।

डी. एन. आई. टी. की मंजूरी के बाद, ई–टैन्डरिंग पोर्टल https://ulb.haryanaeprocurement.gov.in पर निविदा आंमत्रित की गई।

सबसे पहले, टेक्निकल बिड्स खोली गईं, जिनका मूल्यांकन अधिकारियों की एक समीति द्वारा किया गया था। केवल तकनीकी रुप से योग्य/पात्र एजेंसियों की प्राइस बिड खोली गई और आगे के निर्णय के लिए यह मामला एस. एल. टी. सी. को प्रस्तुत किया गया। एस. एल. टी. सी. द्वारा एल–1 एजेंसी के साथ नैगोसिएशन की गई थी और एस. एल. टी. सी. के सदस्यों द्वारा कड़ी नैगोसिएशन के बाद एल–1 एजेंसी को काम आंबटित किया गया।

(घ) ठेकेदार को किए गए कुल भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :

i. जल आपूर्ति के कार्य के लिए : 12.20 करोड़ रु (जिसमें 6.29 करोड रु़ मोबिलाइजेशन एडवांस के रुप में दिया गया जो कि कॉनट्रैक्ट एग्रीमेंट के सेक्शन 6 (वॉल्यूम 1) के क्लॉज नं० 5 के अनुसार 6.29 करोड़ रु की बैंक गारंटी के विरूद्ध एजेंसी को दिया गया)

ii. सीवरेज के कार्य के लिए : 24.58 करोड़ रु (जिसमे 11.62 करोड रु़, मोबिलाइजेशन एडवांस के रुप में दिया गया जो कि कॉनट्रैक्ट एग्रीमेंट के सेक्शन 6 (वॉल्यूम 1) के क्लॉज नं० 5 के अनुसार 11.62 करोड रू की बैंक गारंटी के विरुद्ध एजेंसी को दिया गया)

(ड) हां, ठेकेदार को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एडवांस पेमैंट किया गया है :

- जल आपूर्ति के कार्य के लिए : 6.29 करोड रु मोबिलाइजेशन एडवांस के रुप में एजेंसी को दिया गया जो कि कॉनट्रैक्ट एग्रीमेंट के सेक्शन 6 (वॉल्यूम 1) के क्लॉज नं० 5 के अनुसार 6.29 करोड रू की बैंक गारंटी के विरुद्ध एजेंसी को दिया गया)
- सीवरेज के कार्य के लिए : 11.62 करोड रु मोबिलाइजेशन एडवांस के रुप में एजेंसी को दिया गया जो की कॉनट्रैक्ट एग्रीमेंट के सेक्शन 6 (वॉल्यूम 1) के क्लॉज नं० 5 के अनुसार 11.62 करोड रू की बैंक गारंटी के विरुद्ध एजेंसी को दिया गया)

(च) आज तक इस संबंध में ठेकेदार/नगर पालिका प्राधिकारियों के विरूद्ध कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

.....

Number of Water Theft Cases

806. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state the year-wise details of cases of water theft from canals falling in Gohana Assembly Constituency registered from the year 2017-18 till to date?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, गोहाना निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चैनलों में से पानी चोरी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 संख्या	चैनल का नाम	चोरी के मामलों की संख्या		
		2017-18	2018-19	2019- अब तक
1.	जुआन प्रणाली	147	208	59
2.	दिल्ली शाखा	15	70	34
3.	कैरियर लाईनड चैनल	6	58	15
4.	मुंशी राम माईनर	3	1	1
5.	तिहार कलां माईनर	--	1	4
6.	सोनीपत डिस्ट्रीब्यूटरी	5	--	1
7.	इसराना डिस्ट्रीब्यूटरी	51	22	--
8.	रामगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी	73	69	4
9.	इसराना लिंक चैनल	23	28	--
10.	रोहतक डिस्ट्रीब्यूटरी	7	8	5

11.	बाली माईनर	51	38	13
12.	भालोट सब ब्रांच	40	40	1
13.	मोहाना माईनर	4	6	1
14.	भैंसवाल डिस्ट्रीब्यूटरी	536	601	25
15.	सिकंदरपुर माजरा माईनर	--	--	2
16.	गुहना माईनर	120	245	4
17.	लठ माईनर	197	192	29
18.	रिठाल डिस्ट्रीब्यूटरी	1	2	--
19.	सरगथल माईनर	4	14	--
	कुल	**1283**	**1603**	**198**

Number of Contractual/DC Rate Safai Karamchari

797. Shri Karan Singh Dalal : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the number and names of safai karamcharis presently employed on contractual/DC rate basis in the Municipal Council of Palwal; and

(b) the details of the contractual amount being paid to every contractual/DC rate safai karamchari in the Municipal Council of Palwal?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अनुबन्ध आधार/डी0सी0 रेट सफाई कर्मचारियों की सख्या

(d½ uxj ifj"kn iyoy esa 26 lQkbZ deZpkjh nSfud osru vk/kkj ij dk;Zjr gS rFkk 10 xzkeh.k lQkbZ deZpkjh dk;Zjr gS] tks ljdkj ds vkns'kkuqlkj 13 xzke iapk;rksa ls uxj ifj"kn iyoy esa lek;ksftr fd;s x;s gSA ftudk fooj.k fuEu vuqlkj gS%&

क्रम सख्या	26 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियो के नाम (सर्व श्री)	10 ग्रामीण सफाई कर्मचारियो के नाम (सर्व श्री)
1	आजाद पुत्र श्याम सिंह	अशोक पुत्र खचेडू
2	सोनू पुत्र कल्लू	राजेश पुत्र रमेश
3	आनन्द पुत्र प्रेमलाल	हरिओम पुत्र सरजीत
4	किशन पुत्र घमण्डी	सतीश पुत्र ज्ञानचन्द
5	राजेन्द्र पुत्र धर्मवीर	हरिचन्द पुत्र मुन्दरी
6	सुन्दर पुत्र रतन	करण पुत्र विजय सिंह
7	सुनील पुत्र सन्तराम	दीपक पुत्र पूरन

8	राजो पत्नी श्याम सिंह	मुकेश पुत्र राम स्वरूप
9	बिमला पत्नी बच्चू	प्रेमसिंह पुत्र जगदीश
10	भगवती पत्नी तेजपाल	हरकेश पुत्र कालीचरण
11	राजो पत्नी राम प्रसाद	
12	कमलेष पत्नी जयचन्द	
13	कुसुम पत्नी जयपाल	
14	लज्जा पत्नी भोले	
15	नरेश पुत्र मामचन्द	
16	गुरदयाल पुत्र लखन	
17	रामकिशन पुत्र चन्दगी	
18	धर्म पुत्र सुखचन्दी	
19	आशा पत्नी ईश्वर	
20	दयावती पत्नी राजकुमार	
21	कशमीरा पत्नी वेदी	
22	मवासी पुत्र श्रीचन्द	
23	मुनेश पत्नी हरिचन्द	
24	लक्ष्मी पत्नी श्रीचन्द	
25	कल्लू पुत्र पूरन	
26	भोला पुत्र प्रभाती	

([k½ uxj ifj"kn iyoy esa dk;Zjr 26 nSfud osru Hkksxh lQkbZ deZpkfj;ksa dks ljdkj dh uohure fgnk;ruqlkj :-13500@&izfr ekg ds fglkc ls osru dk Hkqxrku fd;k x;k gS ,oa xzkeh.k lQkbZ deZpkfj;ksa dks ljdkj ds i= dzekad 18@43@2010@3 d&1 fnukad 19-10-2010 vuqlkj gfj;k.kk fodkl ,oa iapk;r foHkkx dh 'krksZ ij uxj ifj"kn iyoy esa lek;ksftr fd;k x;k FkkA ftUgsa gfj;k.kk fodkl ,oa iapk;r foHkkx dh fgnk;r vuqlkj 11000@&:- izfr ekg ds fglkc ls osru dk Hkqxrku fd;k x;k gSA

बैठक का स्थगन

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि होडल के अंदर 200 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः उदय भान जी, आप मेरी बात सुनें। हम अभी जीरो–ऑवर नहीं कर रहे हैं, आप जीरो–ऑवर में अपनी बात पूरी कर लेना।

श्री उदय भानः ठीक है, सर।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो हाउस 13वीं विधान सभा के सदस्यों की ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाये।

आवाजेंः ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः अब सदन मैम्बर्ज की ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 40 मिनट के लिए स्थगित किया गया।

(तत्पश्चात् सदन 40 मिनट के लिए स्थगित हुआ तथा 4.25 बजे पुनः समवेत हुआ।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यगण के त्यागपत्रों से संबंधित घोषणा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 58 (2) के अंतर्गत मैंने सदन को सूचित करना है कि आज दिनांक 5 अगस्त, 2019 को श्री जसबीर देसवाल और श्री नसीम अहमद, विधायकों ने हरियाणा विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और मैंने वह आज ही स्वीकर कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना/विभिन्न मामले उठाना

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ढाणी फौगाट में धरने पर बैठे हुए किसानों में से एक किसान की मृत्यु हो गई है, उसकी दो दिन से डैड बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई है और अभी तक उसका दाह संस्कार भी नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक सीरियस मैटर है।(शोर एवं व्यवधान) इस बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मुख्यमंत्री जी कल इस बारे में डिटेल में रिप्लाई देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर गत शुक्रवार को अपनी बात रखी थी। जिस ढाणी फौगाट गांव के धरने पर बैठे किसानों की बात अभी डॉ. कादियान जी ने उठाई है, उस बारे में मैं भी बताना चाहूंगी कि जो ग्रीन कोरिडोर नैशनल हाईवे 152–डी बनाया जा रहा है, उसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी लेकिन उनके साथ जमीन के मुआवजे के नाम पर मजाक किया जा रहा है जिसके विरोध स्वरूप ढाणी फौगाट के सभी किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और उनमें से एक किसान की मौत हुए दो दिन हो चुके हैं और बावजूद इसके सरकार ने इस दिशा में कोई संज्ञान नहीं लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है। मुझे भी इस ध्यानाकर्षण सूचना का फेट बताया जाये? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब जबकि डॉ. कादियान जी ने तथा किरण चौधरी जी किसानों के हितों से संबंधित विषय पर दिए गए ध्यानाकर्षण सूचना के फेट के बारे में जानना चाहा है तो उसी परिपेक्ष्य में मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैंने भी करनाल के गांगटहेड़ी पोपड़ा गांव में पिछले कई दिनों से जमीन के मुआवजे के विषय पर चल रहे

किसानों के आंदोलन के विषय पर आधारित एक ध्यानाकर्षण सूचना दी थी। मुझे भी इसका फेट बताया जाये?

श्री अध्यक्षः डॉ. कादियान जी, किरण चौधरी जी तथा कुलदीप शर्मा जी आप द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया गया है। आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दे। उदय भान जी अब आप अपनी बात रखें।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, होडल में पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने 200 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला किया है। जिसके लिए एक लड़का 6 दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहा था और इस बारे में एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा स्कैम है इसलिए इस तरफ मैं आपका व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस तरह से आजम खां के बारे में बातें कही जाती हैं उसी तरह की घटना हमारे प्रदेश में हुई है। ऐसी घटनाओं पर आजम खां के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर–अंदर 26 केस दर्ज कर लिए जाते हैं लेकिन हमारे यहां पर एक भी केस दर्ज नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे होडल की शामलात भूमि में 370 कनाल की 8 पट्टियां जमीन की थी। जिसके 600 बिस्वेदार थे और वहां वर्ष 1959 में 62 कनाल 17 मरले में गवर्नमैंट हाई स्कूल बनाया गया था बाकी फार्म हाउस की 307 कनाल 3 मरले जमीन वह जुमला मालकान व दीगर हकदरान की थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे सारे बिस्वेदारों ने दिनांक 03.09.1969 को 307 कनाल 3 मरले जमीन द एजुकेशन सोसाइटी होडल को दान में दी थी और उन्होंने ही ब्रज मंडल कॉलेज की स्थापना की थी। जिसका अध्यक्ष एम. कुटप्पन, एस.डी.एम. पलवल बनाये गये थे और उस समय के चौधरी हरकिशन जी एक्स–एम.एल.ए. जनरल सैक्रेटरी बनाये गये थे। उनके मार्फत ही यह जमीन डोनेट की गई थी। अध्यक्ष महोदय, जब किसी को जमीन डोनेट की जाती है तो वह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को या किसी संस्था को बेच नहीं सकते हैं। वर्ष 1979 में ब्रज मंडल कॉलेज को गवर्नमैंट ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन जो 307 कनाल 3 मरले जमीन थी उस जमीन में से जो एजुकेशन सोसायटी जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया था और वर्ष 1998 में जब चौधरी हर्ष कुमार मंत्री थे उस समय उन्होंने अपने रसूख और पॉवर का इस्तेमाल करके और रेवेन्यू अधिकारियों के साथ सांठ–गांठ करके उन्होंने 93 कनाल 7 मरले का पट्टानामा, जो कि लीगली तौर पर किया नहीं जा सकता, महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय के नाम करवाया। उसके बाद सन् 2008 में जब श्री हर्ष कुमार जी विधायक थे तब 176 कनाल और 4

मरले जमीन का ऐसे ही पट्टानामा करवाया। इस तरह से 307 कनाल जमीन जोकि बहुत ही प्राईम लोकेशन की है उसको गलत ढंग से रेवेन्यू अधिकारियों के साथ मिल करके उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा करके कॉलेज अपना बनवाया। इस समय वहां पर एक राजनीतिक अड्डा बना हुआ है। इसी तरह से अंगुआ पट्टी, होडल की चारागाह की जमीन जो कि कॉमन परपज़ की है जिसको किसी भी प्रकार से सेल नहीं किया जा सकता उस जमीन को भी पहले ब्रिज मण्डल कॉलेज सोसायटी के नाम करवाया और उसके बाद उसको 20 जुलाई, 2010 को महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय के नाम ट्रांसफर करवा दिया। इस पूरे मामले में बहुत बड़ी अनियमिततायें बरती गई हैं। इस जमीन पर पूरी तरह से श्री हर्ष कुमार का अवैध कब्ज़ा वहां पर बना हुआ है। हजारों लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, धरना दिया और आमरण अनशन किया। जब इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को शिष्ट मण्डल मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप धरना समाप्त कर दो हम इस मामले की जांच करवायेंगे। इस मामले की जांच करवाने का आदेश भर देना है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस मामले की जांच के आदेश विधान सभा चुनाव के बाद दिये जायेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय इस मामले की जांच के आदेश देने में क्या समस्या हो सकती है? मेरी यह मांग है कि इस मामले की जांच सी.बी. आई. से करवाई जाये या फिर स्टेट विजीलैंस ब्यूरो से करवाई जाये। मेरी यह भी मांग है कि इस मामले की जल्दी से जल्दी इंक्वॉयरी करवाकर जो भी इस मामले में दोषी हैं चाहे वे रेवेन्यू डिपार्टमैंट के अधिकारी हैं या फिर श्री हर्ष कुमार है इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाये। वह जमीन वहां के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए डोनेट की हुई है लेकिन इस समय उसको एक कमाई का धंधा बनाया हुआ है। उस कन्या महाविद्यालय में बेटियों से हैवी डोनेशन लिया जा रहा है। जबकि होना तो यह चाहिए कि होडल की आठ पट्टियों के बच्चों को तो फ्री में एजुकेशन देनी चाहिए क्योंकि यह कॉलेज तो नो प्रॉफिट, नो लॉस की पद्धति पर चलाने के लिए दिया गया था। इस महाविद्यालय में कभी भी मैनेजमैंट का चुनाव नहीं करवाया गया। श्री हर्ष कुमार द्वारा अपने घर के कमरे में ही बैठकर सभी प्रकार के मैनेजमैंट से सम्बंधित निर्णय ले लिये जाते हैं। इस तरह से जो यह जमीन है यह 103 एकड़ 01 कनाल और 08 मरले है। इस जमीन की 200 करोड़ से ज्यादा कीमत है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुनः अनुरोध है कि इस मामले की तुरंत सी.बी.आई. या स्टेट विजीलैंस ब्यूरो से जांच करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, इस मामले से सम्बंधित ज्ञापन

मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था और आपको भी दे रहा हूं। मेरा आपसे बार–बार यही अनुरोध है कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही जल्दी से जल्दी करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाये।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, हमारी पार्टी के सदस्यों की तरफ से आपको एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया गया था जिसके बारे में आपने यह बताया है कि उसको सरकार द्वारा विचारोपरांत नामंजूर कर दिया गया है। मेरी यह मांग है कि हमें हमारे कालिंग अटैंशन मोशन को रिजैक्ट करने का कारण भी बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी कल जवाब देंगे इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मैं दो–तीन मुद्दे उठाना चाहती हूं। मेरे एरिया में ईशरवाल गांव का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों का 30 प्रतिशत क्लेम पैंडिंग है जिसके कारण किसान बहुत परेशान हैं। यहां पर कृषि मंत्री जी बैठे हुये हैं मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि उन किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वह क्लेम यथाशीघ्र रिलीज करवाया जाये ताकि उनको राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त मेरे तोशाम विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों और गांवों का भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम पैंडिंग है वह भी यथाशीघ्र जारी करवाया जाये। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की बात कही गई थी लेकिन वह आज तक नहीं दिया गया है। हमारे पुलिस के मुलाजिम बेचारे मुंह तो खोल नहीं सकते लेकिन उनका वेतन बहुत कम है और वे हम सभी को सिक्योरिटी भी देते हैं इसलिए उनको पंजाब के समान वेतनमान दिया जाये।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमारे मेनीफेस्टो में पंजाब के समान वेतनमान देने के लिए कोई वायदा नहीं किया गया था।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महादय, साथ लगते राज्य हिमाचल प्रदेश और यू.टी. चण्डीगढ़ में भी पुलिस को पंजाब के समान वेतनमान मिल रहा है तथा भारतीय जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में भी यह वायदा किया गया था कि हम अपने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे इसलिए हरियाणा पुलिस को भी पंजाब के समान वेतनमान दिया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह शून्यकाल का मुद्दा नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू कर दी हैं। पंजाब ने अभी तक अपने कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग नहीं दिया है। मेरे ख्याल से शायद हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता भी दे दिया है। जहां तक पंजाब के समान वेतनमान देने की बात है तो हमारे प्रदेश में बहुत सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको पंजाब से भी ज्यादा वेतनमान मिल रहा है। माननीय सदस्या अपनी जानकारी दुरूस्त कर लें। आज के दिन हरियाणा के कर्मचारियों को इफैक्टिवली खाते में पंजाब से ज्यादा वेतन मिल रहा है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, भिवानी के बाढड़ा के वन विभाग के लेबरर के 15 लाख रुपये पैंडिंग हैं जो कि एक छोटी सी राशि है, वह उनको यथाशीघ्र जारी की जाये। उन्होंने सी.एम. विंडो पर दो–दो बार शिकायत लगाई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर में उन्होंने मेरे पास आ कर निवेदन किया कि आप विधान सभा के पटल पर हमारी बात उठाइये ताकि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज हो सके। इसी प्रकार से बाढड़ा में ही नम्बरदारों का स्टाइपंड काफी समय से रिलीज नहीं हो रहा है। वे अपने स्टाइपंड के लिए इधर–उधर भटक रहे हैं, बैंक नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि ये छोटी–छोटी राशियां हैं जो यथाशीघ्र जारी की जायें। इसी प्रकार से मैं एक दिन अखबार पढ़ रही थी जिसमें एक खबर ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की बात करती है लेकिन हायर ऐजुकेशन विभाग में श्री बृज किशोर कुटियाला को हायर ऐजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है जिसके ऊपर मध्यप्रदेश के भोपाल में फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है फिर भी सरकार उनको नहीं हटा रही है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं जबकि श्री बृज किशोर कुटियाला, पर माखन लाल चतुर्वेदी नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जरनलिज्म के वाईस–चांसलर रहते हुये भोपाल में उनके खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। इसमें खुल्ले आम दिखता है कि भ्रष्टाचार है इससे बढ़ कर और क्या भ्रष्टाचार होगा? मेरे पास यह भोपाल का नोटिफिकेशन है मैं यह आपको दे रही हूं आप इसको पढ़ लें और बतायें कि ऐजुकेशन में भ्रष्टाचार है या नहीं है।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा कि इनकी पार्टी में तो कुछ लोग बेल पर हैं क्या इन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, जैसा बहन किरण चौधरी ने कहा उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि बृज किशोर कुटियाला का भोपाल में कोई पुराना केस था and that is still under consideration of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की अदालत से उनको रिलीफ भी मिला है इसलिए इस तरह के सब्ज्यूडिस मैटर को हाऊस में डिस्कश नहीं किया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, बहन किरण जी आप तो बहुत जिम्मेवार विधायक हैं, इनको ऐसी बात सदन में नहीं करनी चाहिए ।

Smt.Kiran Choudhary : Sir, caesar's wife must be above suspicion . यह एजुकेशन का मामला है । जहां लोगों ने नौकरियां लेनी हैं वहां पर आपने ऐसे आदमी को बिठा रखा है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस हैं । इसका मतलब सरकार की इसमें क्या छवि आती है ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं बहन जी को बताना चाहता हूं कि यह केस हमारी सरकार के समय का नहीं है और हरियाणा का भी नहीं है । यह पहले कहीं वाईस चांसलर थे उस समय यह केस दर्ज हुआ था लेकिन वह मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । वह मैटर हमारी सरकार के विचाराधीन भी है । हम डे टू डे इस मैटर की मॉनेटिरिंग कर रहे हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ये बताएं कि अब वह आदमी हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं या नहीं हैं ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वह आज के दिन हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही बात पूछना चाहती थी । मुझे मेरा जवाब मिल गया है। आप ये देखिए कि जिनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं और मंत्री जी उनको उनके पद से हटा नहीं रहे हैं ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । हरियाणा सरकार इसके ऊपर रोजाना मॉनेटरिंग कर रही है । जब उनके खिलाफ कोई चार्जिज एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो हम उनको एक मिनट में हटा देंगे ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि वह एस्टेब्लिश कब होगा ? जब तक एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक तो उनको हटा दीजिए । जब

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तब उनको दोबारा उसी पद पर लगा देना । मैंने पहले भी कहा है कि caesar's wife must be above suspicion . अगर सीजर की बीबी के ऊपर ही सस्पिसियन है तो बेचारा सीजर क्या करेगा ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय किरण चौधरी जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह विषय एफ.आई.आर. का है और उनके खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज हुई है । ऐसे तो इस सदन में और भी बहुत से लोग बैठे हैं जिन पर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और जिनके ऊपर चार्जसीट भी आई है लेकिन वे बेल पर हैं। मैडम, ऐसा तो नहीं कर रही हैं कि 'कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना'। इसी हाऊस में कई लोग बैठे हैं जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और बरी भी हुए हैं। इसलिए ये जज बनकर फैसला न करें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज हो रखी हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, मंत्री जी भी तो यही बात कह रहे हैं कि यहां कई लोग बैठे हैं जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ———— (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, ये जज बनकर फैसला ना करें । (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1971 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मैंबर ऑफ पार्लियामैंट बनी है इसलिए मेरे ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है । इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार कई बार प्रदेश को लूटती रही है जिससे इनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हो रही हैं तो आज ये मेरे ऊपर निशाना साध रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है फिर भी वे पद पर आसीन हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, आज वे लोग एफ.आई.आर. दर्ज की बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रदेश को लूटा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठिए । दूसरे सदस्यों ने भी अपनी बात कहनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हमेशा बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरी तरफ ले जाते हैं । सच्चाई तो यह है कि ये अपने पद पर आसीन हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, पंडित जी बड़े दुःखी हैं कि दादा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी इस तरह से बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : मूल चन्द जी, आपके खिलाफ तो कोई केस नहीं है इसलिए आप तो बीच में न बोलिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने श्री कृष्णा गवर्नमैंट आयुर्वेदिक कॉलेज में लैक्चरर के पद पर ज्वाईंनिंग करवानी थी जिसको सरकार ने अब आयूष यूनिवर्सिटी बना दिया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सरकार अगर एक्ट के खिलाफ काम करेगी तो फिर जो एक्ट बनाया था उसका क्या होगा ? आज जितने भी प्रोफेसर्ज/लैक्चरर्ज की ज्वाईंनिंग नहीं हुई है वह सारे बाहर बैठे हुए कह रहे हैं कि हम क्या करें ? सरकार हमारी ज्वाईनिंग नहीं करवा रही है । वे हमें इतनी लम्बी चौड़ी एप्लीकेशन देकर जाते हैं ।

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, जिन एप्लीकेशंज तथा झापनों की बात बहन किरण जी कर रही हैं वे एप्लीकेशन इनको कभी इनके कुछ वकील दे जाते हैं, कभी इनके प्यारे बुद्धिजीवी दे जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः स्पीकर सर, यह ज्ञापन वकील नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की दुखी व पीड़ित जनता देकर जाती है क्योंकि उनको पता है कि किरण चौधरी उनकी आवाज को सदन में उठाने का काम करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्तासीन लोग इन झापनों को लेते नहीं हैं और यही कारण है दुखी व पीड़ित लोग विपक्ष के लोगों को ही अपना ज्ञापन देकर जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः स्पीकर सर, दुखी लोग अपने ज्ञापन मुझे इसलिए देकर जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि किरण चौधरी दुखी व पीड़ित जनता की बात सदन में उठाने के लिए कोई कोर–कसर बाकी नहीं छोड़ेती। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, मंत्री जी अपना जवाब दे रहे हैं, आप एक बार उनकी बात तो सुन लें।

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, यह अच्छी बात है कि बहन किरण जी जनता की बात उठाती हैं इसलिए मैं इनका अभिनन्दन करने के साथ–साथ कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में अस्थाई रूप

से काम कर रहे उन 40 हजार टीचर्ज तथा एक्सटेशन लैक्चरर्ज जिनकी तनख्वाह पिछली सरकारों में मात्र 16,000 रूपये ही होती थी, को बढ़ाकर 57,655 रूपये करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। यह सरकार पिछली सरकारों की कमियों को निकालकर, समय खराब करने वाली सरकार नहीं है।

श्री आनन्द सिंह दांगीः स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने स्कूलों को बंद करने का काम किया गया है, इसके बारे में भी मंत्री जी को सदन में बताने का काम करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः स्पीकर सर, मुझे दुखी व पीड़ित जनता की आवाज को सदन में उठाने से कोई नहीं रोक सकता।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय मंत्री जी रिकॉर्ड की बात कह रहे हैं। उन्होंने तो आपका, लोगों की आवाज उठाने के लिए अभिनन्दन किया है। अतः जब आपने आपना प्रश्न किया है तो उसका उत्तर भी आपको सुनने का काम करना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, पहले किरण जी प्रश्न करती हैं और जब हम अपने पांच साल के कार्यकाल की परफोरमेंस बताने लगते हैं तो हमारी आदरणीय बहन जी उसको सुनने के लिए तैयार भी नहीं होती हैं। यह ठीक नहीं है। स्पीकर सर, हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि हम तो यहां तक कहते हैं कि हिमालय पर्वत भी कांग्रेस ने बनाया था। ताजमहल भी कांग्रेस ने बनाया था। धारा 370 भी कांग्रेस ने लगाई थी जिसको हमने हटाने का काम किया है। (इस समय मेजे थपथपाई गई)

श्रीमती किरण चौधरीः स्पीकर सर, अगर सरकार ने धारा 370 को हटाया है तो क्या नई बात है? यह इनके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था और उस वायदे को पूरा करके इन्होंने कोई अलग काम नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, जब चुनावी घोषणा पत्र की बात आई तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वर्ष 2019 का कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसमें दर्ज बातों पर जब हमारे पत्रकार भाईयों ने जानना चाहा तो कांग्रेस पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र को छपवाने में 1 करोड़ रूपया तक खर्च कर दिया लेकिन हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। हमने डंके की चोट पर कहा कि हम कश्मीर से धारा 370 खत्म करेंगे और आज उसको खत्म करके भी दिखाया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी इन्हीं कारणों से अब खत्म हो गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में 154 वायदे किए गए थे। उन्हें भी पूरा करने का काम किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, अब आप प्लीज बैठिए। जय प्रकाश जी अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें अपनी बात रखने दें उसके बाद आप अपनी बात रख लें।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन के माध्यम से कुछ नौकरियां निकाली थी और बड़े जोर–शोर से कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी व ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यह बात सही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो मेरे पास जो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सरकारी दस्तावेज हैं वे गलत हैं या फिर किसी न किसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। स्पीकर सर, आज हरियाणा स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन में भ्रष्टाचार व अनियमिततायें चरम पर हैं। इसका साक्षात उदाहरण मैं सदन के माध्यम से रखना चाहूंगा। अभी हरियाणा प्रदेश में जो ग्रुप–डी तथा पुलिस की भर्ती हुई है उसमें 5 नम्बर अनाथ तथा विधवाओं के लिए रखे गए थे। मेरे इलाके के सात ऐसे बच्चे हैं जोकि सब–इंस्पेक्टर की भर्ती में शामिल थे और अनाथ तथा विधवाओं के लिए नियत 5 नम्बरों को पाने के हकदार थे लेकिन हकदार होने के बावजूद भी इनको ये नम्बर नहीं दिए गए और जिसकी वजह से ये बच्चे सब–इंस्पेक्टर की सिलेक्शन से वंचित हो गए। कितनी विडम्बना की बात है कि ग्रुप–डी में भी इसी तरह के पांच नम्बरों की एक ही टर्म एंड कंडीशन है लेकिन आश्चर्य इस बात का रहा कि ग्रुप–डी में अनाथ व विधवाओं के लिए नियत 5 नम्बरों का फायदा, पात्र बच्चों को तो दिया गया लेकिन सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन के लिए इन 5 नम्बरों का फायदा पात्र बच्चों को नहीं दिया गया। जब यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने यह भी कहा था कि निःसंदेह यह गलती हुई है। स्पीकर सर, कैप्टन अभिमन्यु जी भी सदन में बैठे हुए है और इस विषय पर मेरी बात को बड़ी गहराई से सुन रहे हैं, मैं उनके भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ऐसे 150 बच्चें है जिनको अनाथ व विधवाओं के लिए नियत 5 नम्बरों का फायदा देने से वंचित किया गया। स्पीकर सर, धारा 370 को तोड़ो या और कुछ करो लेकिन इन बच्चों को रोजगार देने का काम इस सरकार को जरूर करना चाहिए। मेरे पास इस संबंध में पूरा रिकॉर्ड है अगर सरकार चाहे तो मैं इस पूरे रिकॉर्ड को भी सरकार को देने को तैयार हूँ। सरकार को जिन बच्चों के 5

नम्बर नहीं लगे हैं उनको लिखित रूप में बताना चाहिए कि उनके ये 5 नम्बर नहीं लगे हैं। स्पीकर सर, सरकार को इन बच्चों को ये 5 नम्बर देने का काम करके नौकरी देने का काम करना चाहिए। स्पीकर सर, इस प्रकार का घिनोना कांड हरियाणा स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन में हुआ है। ठीक इसी प्रकार आज हरियाणा प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एच.सी.एस. तथा असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों धड़ल्ले से बिक रही हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि लोग कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, मंत्री जी आपकी बात का जवाब देने जा रहे हैं। आप एक बार उनकी बात सुन लीजिए।

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, सरकार के इन पांच साल के कार्यकाल में हमने आपकी रहनुमाई में इस महान सदन में पक्ष और विपक्ष ने बड़े ही मर्यादित ढंग से अपनी–अपनी बात रखने का काम किया। आदरणीय तरूण सागर जी का प्रवचन इस सदन में करवाकर एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का पवित्र कार्य करवाने का सौभाग्य हरियाणा प्रदेश को मिला है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती किरण चौधरी तथा चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और इस महान सदन के दूसरे सदस्य इस ऐतिहासिक घटना के गवाह हैं। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऐसा पवित्र कार्य आज तक नहीं हुआ है। यह केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के इस महान सदन में किया गया एक पवित्र कार्य है जोकि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज हमारी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर कोई शक नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर सदन में बैठे डॉ रघुवीर सिंह कादियान जी मुस्करा रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इधर–उधर की बातें न करके जो बातें सदन में पूछी जा रही हैं केवल उन्हीं बातों का जवाब देना चाहिए। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। पुलिस भर्ती के ऊपर 25 अक्टूबर, 2017 की सत्र की कार्यवाही सदन निकलवा कर देख ले। डॉ0 साहब ने कहा था कि सरकार ने पुलिस की भर्ती में तो पारदर्शिता बरती है। आज मैं यह चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि डी–ग्रुप की भर्ती पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुई है और उसी का नतीजा यह रहा है कि हमने जीन्द उप–चुनाव बड़े अंतर से जीता है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) पारदर्शिता के एजेंडे को लेकर ही हम अक्टूबर में विधान सभा के चुनाव

में जनता के बीच में जायेंगे। हमारी सरकार की 5 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर ही जनता ने हमें लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर बड़े अंतर से जीत दिलाई है। अध्यक्ष महोदय, ग्रुप–डी की भर्ती में इतनी पारदर्शिता बरती गई है कि गरीब का बच्चा, लुहार का बच्चा, मोची का बच्चा आदि जिन घरों में कभी नौकरियां नहीं लगती थी आज उन घरों में नौकरियां लगने लगी हैं। इसी पारदर्शिता के कारण अक्टूबर में होने वाले विधान सभा चुनाव में हम कितनी सीटें जीतने वाले हैं यह हमारे दिल में ही है क्योंकि हरियाणा की जनता इस बात का फैसला करने को तैयार बैठी है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, माननीय मंत्री जी ने आपका नाम तारीफ में ही लिया है। (विघ्न)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही थी कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती कर रहा है उसमें मुझे एक आदमी से जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो नौकरी के लिए कोई पर्ची ले नहीं रहे हैं और मंत्रियों की पर्ची कमीशन के सदस्य मान नहीं रहे हैं। लेकिन कमीशन में क्लर्क से लेकर चेयरमैन तक ने लूट–खसोट मचाई हुई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपने जो पुलिस भर्ती के समय पिछली बार सदन में कहा था उसका रिकॉर्ड निकलवा लिया जायेगा। (विघ्न)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में नौकरी के नाम पर कमीशन के माध्यम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लूट–खसोट के कारण ही कमीशन के 6–6 कर्मचारियों को जेल में जाना पड़ा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉ0 साहब, भ्रष्टाचार को लेकर आपने पिछली बार इस तरह की कोई बात सदन में नहीं कही थी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नौकरी लगने के लिए लिखित में कोई पर्ची नहीं जा रही है बल्कि जुबानी तौर पर पर्ची जा रही है। कमीशन के सदस्य मंत्रियों की बात को मानते नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, श्री जय प्रकाश जी ने जो मुद्दा उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब से कम वेतन मिलता है लेकिन कैप्टन अभिमन्यु जी का कहना है कि पंजाब राज्य से ज्यादा हरियाणा के कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे क्लर्क का पे–स्केल 19900 है और इसी प्रकार शायद डी–ग्रुप का पे–स्केल 16000 है। इस प्रकार से इनके वेतन में बढ़ौत्तरी करनी चाहिए ताकि जितनी मेहनत ये करते हैं उस हिसाब से इनको मेहनताना मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में 7 बच्चे सब–इस्पैक्टर के पद पर लगने के लिए केवल डेढ़–डेढ़ नम्बर से रह गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ईमानदारी की छवी तभी बरकरार रहेगी जब पुलिस भर्ती तथा ग्रुप–डी की भर्ती में जो बच्चे आए थे और उनको विज्ञापन के तहत ऑर्फन एण्ड विडो के नाम पर विशेष 5 नम्बर दिए जाने थे जोकि नहीं दिए गए क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात की जांच करवायेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में इस बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं । हमने सरकार में आने के बाद भर्तियों में मार्क्स का यह प्रावधान पहली बार हमने किया है । इससे पहले भर्तियों में यह प्रावधान नहीं होता था। अगर कोई नौजवान अनाथ है तो वह विडो का बेटा भी हो सकता है, वह फादरलैस भी हो सकता है और वह अनाथ भी हो सकता है । अनाथ का मतलब है कि उसके माता–पिता में से कोई भी जीवित नहीं है । फादरलैस का मतलब विडो का बेटा है । इसमें यह था कि अगर हम एडवर्टाइजमैंट में ऑरफन मैंशन करते हैं तो आधे लोगों को फिर भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा । अगर वह फादरलैस है, विडो का बेटा है तो उसको यह लाभ मिलना चाहिए लेकिन एच.एस.एस.सी. ने जब इसकी अधिसूचना जारी की तो उन्होंने एडवर्टाइजमैंट में अनाथ मैंशन कर दिया । उन्होंने उसे फादरलैस नहीं लिखा । इसमें कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया । अंततः सरकार की चाहत के बावजूद ऐसा नहीं हो सका क्योंकि भर्तियों के नियम एच.एस.एस.सी. बनाता है । जब हमें इस विषय–विसंगति का पता चला तब तक इन्सपैक्टर और ग्रुप–डी की भर्तियां कम्पलीट हो चुकी थी । इसके बाद हम इस विषय को कैबिनेट मीटिंग में लेकर आये और जहां अनाथ लिखा था वहां पर हमने फादरलैस लिखने की रिकमैंडेशन की और इसके बाद फिर एडवर्टिजमैंट्स में इसे चेंज किया गया । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इसमें कॉरीजैंडम हो सकता था । जब सरकार की तरफ से इस तरह की एक बार डायरैक्शंज आ गई तो एडवर्टाइजमैंट में यह विषय स्पष्ट होना चाहिए था । अगर फिर भी कोई कम्यूनिकेशन गैप रहा तो मेरा प्रश्न है कि उस समय सरकार के आदमी क्या कर रहे थे ? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जब एच.एस.एस.सी. एडवर्टाइजमैंट करती है तो उस प्रक्रिया में हमारा कोई रोल नहीं होता । यह प्रोसैस एच.एस.एस.सी. करती है और अब इस विसंगति को ठीक कर दिया गया है । भर्तियों के दौरान हमें इस विसंगति का पता नहीं चला क्योंकि इस तरह की विसंगतियों के विषय प्रभावित लोगों के द्वारा ही उठाए जाते हैं । जब यह मामला हमारे सामने आया तो हमने उसे ठीक कर दिया । आज के दिन इस पर मेरा कहना है कि कोई भी ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू नहीं होता है, ऑर्डर सिर्फ पर्सपैक्टिव इफैक्ट से ही लागू होता है । हमारी सरकार से पहले तो इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं होता था । हमारी सरकार के आने के बाद कम से कम एक कैटेगरी को तो लाभ मिला । पिछली भर्तियों में केवल ऑरफन को ही लाभ मिल पाया था लेकिल भविष्य में इन सबको लाभ मिलेगा । यह स्पष्ट है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से किसी को लाभ देना संभव नहीं है ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उन भर्तियों की एडवर्टाइजमैंट की कॉपी है। मैं इन्हें माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दिखा दूंगा । मेरा निवेदन है कि वे इनको एक बार एग्जामिन करवा लें । एडवर्टाइजमैंट में ऑरफन/विडो लिखा हुआ है । अगर यह बात सही पाई जाती है तो उन कंडीडेट्स को भर्ती के टैस्ट्स में इसके नंबर मिलने चाहिए और उनको भर्तियों में ऐडजस्ट किया जाना चाहिए । मेरा कहना है कि अगर उनको सब–इंसपैक्टर नहीं लगाया जा सकता तो इसी पे–स्केल की किसी अन्य भर्ती में उन्हें एडजस्ट कर दिया जाए । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये 2 कैटेगरीज हैं। विडो को नौकरी विडो के नाते मिलेगी और ऑरफन को नौकरी ऑरफन के नाते मिलेगी। ऑरफन एक अलग कैटेगरी है और विडो एक अलग कैटेगरी है। एडवर्टाइजमैंट में विडो के बेटे की कैटेगरी का नाम नहीं लिखा हुआ है । (विघ्न) वह कैटेगरी सिर्फ विडो के लिए है । उन एडवर्टिजमैंट्स की कैटेगरी में कहीं भी फादरलैस नहीं लिखा हुआ है । (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि उन एडवर्टिजमैंट्स की कैटेगरी में फादरलैस भी लिखा हुआ है । ये एडवर्टिजमैंट्स मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दे

17:00 बजे

देता हूं । (इस समय माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को उपर्युक्त कागज उनकी टेबल पर दे दिये ।)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा सदन में गंगा की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं, गीता की भी बात करते हैं और सब चीजों की बात करते हैं लेकिन वे शिक्षा की बात नहीं करते । इस सरकार में शिक्षा का बहुत बुरा हाल हो चुका है । हरियाणा में 900 से ज्यादा स्कूल्ज या तो बंद हो चुके हैं या फिर रैशनेलाइज्ड हो चुके हैं । उन स्कूल्ज के विद्यार्थियों को नजदीक के गांवों के स्कूल्ज में शिफ्ट किया गया है । मेरे हल्के के ग्वालीसन गांव में एक सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल है । इस स्कूल की बिल्डिंग लगभग 50–60 साल पुरानी थी। इसको बनाने के लिए बहुत बार निवेदन किया गया। झज्जर जिले के डी.सी. महोदय ने इस गांव को एडॉप्ट भी किया हुआ है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत बार मीडिया के माध्यम से भी मांग उठायी गयी थी। प्रसाशनिक अधिकारियों को कहने के बाद भी संबंधित स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनायी गयी है और वह बिल्डिंग धीरे–धीरे डिमॉलिश हो रही है जिसके कारण बच्चे बाहर बैठकर धूप और बारिश में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए बजट सैंक्शन होने के बाद भी विभाग द्वारा टैंडर नहीं लगाया गया है। अब इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटकर मात्र 105 ही रह गयी है। ग्वालीसन गांव में से हैवी ट्राले, ट्रैक और बहुत सारे दूसरे वाहन गुजरते रहते हैं जिससे एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मुंढेरा और मारौत गांवों में स्कूल्ज की बिल्डिंग्ज खस्ता हालत में हैं। इस ग्वालीसन गांव के स्कूल की बिल्डिंग डिमॉलिश हो रही है जिसके कारण वहां पर कुड़े के ढेर ही दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर न तो कोई स्वीपर है और न ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। 'मेरा गांव, मेरी बगियां' स्कीम के तहत इस स्कूल के ग्राउंड को मेनटेन करने की बात कही गयी थी परन्तु इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस गांव के स्कूल की बिल्डिंग के चारो तरफ तार लगवाये गये हैं। अगर वह बिल्डिंग अनसेफ है तो शिक्षा विभाग वहां पर क्लॉसिज क्यों लगवा रहा है ? क्यों इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि वहां पर जान– माल का नुकसान हो। वहां के टीचर्ज ने भी इस बात की शिकायत की है। इसके अलावा मेरे पास हरियाणा डायरेक्टोरेट स्कूल ऐजूकेशन की एक अगस्त की चिट्ठी है जिसमें बताया गया है कि 10+1 और 10+2 के 429 स्कूल्ज में सांईस स्ट्रीम बन्द कर दी गयी हैं। यह कौन– सा समय है जिसमें साईंस स्ट्रीम की क्लॉसिज बन्द करने का निर्णय लिया गया है। हमने

बहुत मुश्किल और मेहनत के साथ साईंस और कॉमर्स की क्लॉसिज गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल्ज में लगवानी शुरू करवायी थी। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इन 429 स्कूल्ज में आपके विधान सभा क्षेत्र के स्कूल्ज भी शामिल हैं जिनमें साईंस स्ट्रीम बन्द करवा दी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्कूल्ज में भी साईंस स्ट्रीम की क्लॉसिज बन्द करवा दी गयी हैं। इसके लिए विभाग द्वारा अचानक चिट्ठी जारी की गयी है और उस चिट्ठी में साईंस स्ट्रीम बन्द करने का रीजन due to acute shortage of PGT Science बताया गया है। अगर विभाग के पास स्टॉफ की अक्यूट शार्टेज है तो उसके लिए भर्ती की जानी चाहिए थी या पहले कोई प्लानिंग की जानी चाहिए थी। यह कक्षाओं के सैशन का मिड चल रहा है और इस समय कोई बच्चा दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। इस बात को लेकर मेरे हल्के के लोगों में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के तलाव, ढालानवास, गौरीया, बहु, झामरी, साल्हावास और संबंधित दूसरे गांवों में साईंस की क्लॉसिज चालू करवायी जाएं। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगी कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि संबंधित स्कूल्ज में बच्चों की संख्या पूरी हो। पहले इन स्कूल्ज में बच्चों की संख्या पूरी थी परन्तु स्टॉफ की शॉर्टेज की वजह से बच्चे स्कूल्ज छोड़कर चले गये। सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून को लेकर बहुत बड़ी–बड़ी बातें कही गयीं और उस समय इस सरकार के पहले सैशन का सत्र चल रहा था, अब आखिरी सैशन आ गया है। उस दौरान शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करवाने की बात कही गयी थी। इसी सदन में यह बात भी कही गयी कि पिछली सरकार ने शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया और बोर्ड की परीक्षाएं शुरू नहीं करवायी गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या आपने बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करवायी ? क्या आपने शिक्षा का अधिकार कानून को सही ढंग से लागू करवाया ? क्या 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है ? जब संबंधित कानून बनाया गया तो मैं उस समय राइट टू एजूकेशन एक्ट और एक्सटैंशन ऑफ राइट टू एजूकेशन एक्ट (जो कि सब कमेटी है) की चेयरमैन भी मैं ही थी। कमेटी द्वारा उस समय जो रिपोर्ट सौंपी गयी थी, उस पर सरकार द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। देश की पार्लियामेंट में संबंधित एक्ट पास होने के बाद भी हरियाणा प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू नहीं करवायी गयी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी इधर–उधर की बातें करने की बजाय इन बातों का जवाब दें कि बोर्ड की परीक्षाएं कब तक शुरू करवाएंगे और शिक्षा

का अधिकार कानून कब लागू होगा ? इसके अतिरिक्त स्कूल्ज की जो बिल्डिंग्ज गिर गयी है उनमें It is the duty and responsibility of the Government to provide the quality education. स्कूल्ज की जो बिल्डिंग्ज गिर गयी हैं, उनके बारे में जवाब दें कि उनको कब तक बनवा दिया जाएगा ? इसके अतिरिक्त 2–3 ज्ञापन और भी हैं उनके बारे में भी अभी बता देती हूं क्योंकि इनके बारे में बताने के लिए दोबारा समय नहीं मिल पायेगा। मेरे पास एक रिटायर्ड कर्मचारी संघ का ज्ञापन भी है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि विधान सभा का सैशन कल भी चलेगा। इसलिए वे अपनी बात कल भी रख सकती हैं। माननीय सदस्या को इस बात का दुःख है कि मैं लंदन गया तो वहां पर गीता क्यों भेंट की ? हमारी सरकार लंदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव क्यों मना रही है ? मॉरीशस में गीता के बारे में प्रचार– प्रसार क्यों किया जा रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमने बहन गीता जी की बातों को बहुत धैर्य से सुना है, इसलिए इनको भी मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे हल्के के साथ भेदभाव कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का जन्म कलायत में हुआ था और फिर इनका परिवार मातनहेल गांव में आकर रहने लगा। मेरे मामा भी मातनहेल गांव में ही हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इनको इधर–उधर की बात न करके मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की जानकारी के लिये बताना चाहूंगी कि अभी उल्टी गंगा बह रही है।

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि अगर हमें कोई यह कहे कि हम गाय, गीता और भगवे की बात क्यों करते हैं तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि यह हमारे जीन्स में है। हम इन बातों को किये बिना रह नहीं सकते हैं और यह हमारा संस्कार भी है। बहन श्रीमती गीता भुक्कल जी ने इस सदन में बड़ी ही मौलिक बातें कही हैं।

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय सदस्य श्री उदय भान जी को कहना चाहूंगा कि कृपया ये 1 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये तो खुद माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी के द्वारा लिखी गयी स्पीच पढ़ते हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं क्यों शुरू नहीं की गईं ?

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, माननीय सदस्यों की तकलीफ यह है कि मैं इनके हर सवाल का जवाब देता हूं। मैं बहन गीता भुक्कल जी को कहना चाहूंगा कि श्रीमान् कपिल सिब्बल जी भारत के शिक्षा मंत्री बने थे। उन्होंने शिक्षा जगत में एक अमनोवैज्ञानिक बात फैला दी कि नो–डिटेंशन पॉलिसी होगी। उसके बाद बच्चों के मन में यह बात आ गई कि वे स्कूल जायें, किताब–कॉपी लें जायें और पढ़ें या न पढ़ें, पास तो हो ही जायेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गीता भुक्कल जी, आपने अपना सवाल पूछ लिया है, इसलिए अब आप माननीय मंत्री जी का जवाब भी सुन लें।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी को कहना चाहूंगा कि इनको जितना बोलना है, बोल लें। Let me speak, I will answer to every sentence. I will answer every word of her question. स्पीकर सर, श्री कपिल सिब्बल साहब भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। सारी दुनिया आज भी भारत को शिक्षा, संस्कार और संस्कृति में गुरु मानती है और श्री कपिल सिब्बल जी ने शिक्षा जगत में एक अमनोवैज्ञानिक बात फैला दी। अध्यक्ष महोदय, भारत की शिक्षा वहां से शुरू होती है, जहां पर हम गुरु को भगवान के बराबर मानते हैं।

''गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुविष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।।

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े,
काके लागूं पांय।
बलिहारी गुरु आपने,
गोविन्द दियो मिलाय।।''

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि (विघ्न)

श्री अध्यक्षः जयवीर जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री जयवीर सिंह जी को कहना चाहूंगा कि इनको न तो हिन्दी आती है और न ही संस्कृत आती है, इसलिए यह श्लोक इनके समझ में नहीं आने वाली है। स्पीकर सर, आज भी पूरी दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के लिए आती है। अभी हम लन्दन गये थे और हमने वहां के चार यूनिवर्सिटीज के साथ एम.ओ.यू. साइन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के चांसलर और हाउस ऑफ लॉड्र्स के एम.पी. जो लॉर्ड बिलिमोरिया हैं, उन्होंने भी हमसे गीता मांगकर ली और उन्होंने हम से कहा कि आप हमें हरियाणा (कुरुक्षेत्र) में हमारी यूनिवर्सिटी की एक शाखा खोलने के लिए स्थान दीजिए। स्पीकर सर, मैं इस सदन में यह भी बताना चाहूंगा कि आज भारत मूल के तीन व्यक्ति मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट, इंग्लैंड हैं और वहां की गवर्नमैंट में मिनिस्टर हैं। जब मैं लन्दन गया था, वहां पर इन चारों मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट, इंग्लैंड ने मेरा स्वागत किया था। (हंसी) इसलिए मैं बहन श्रीमती गीता भुक्कल जी को ग्वालीसन के बारे में बताना चाहता हूं कि (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, मैं माननीय कांग्रेस के सदस्यों को कहना चाहूंगा कि ये इतनी गुरु गंभीर बातों को सुन नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भारत मूल की बेटी श्रीमती प्रीति पटेल, इंग्लैंड गवर्नमैंट में होम मिनिस्टर हैं। आज भारत मूल के श्री आलोक शर्मा, इंग्लैंड गवर्नमैंट में वाणिज्य मंत्री हैं और भारत मूल के श्री ऋषि सुनक, इंग्लैंड गवर्नमैंट में मंत्री है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि ये क्या बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि ये मेरे सवालों का जवाब जलेबी की तरह घुमा कर क्यों दे रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है तो उसके बारे मैं बहन गीता भुक्कल जी की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में श्री कपिल सिब्बल जी ने नो–डिटेंशन पॉलिसी बनाई थी और उस कमेटी की चेयरपर्सन हमारी बहन गीता भुक्कल जी थी। उस कमेटी की समीक्षा करने की जिम्मेवारी बहन गीता भुक्कल जी पर लगाई गई थी कि इस नो–डिटेंशन पॉलिसी का विरोध पूरे हिन्दुस्तान में हो रहा है तो हमारी बहन गीता भुक्कल जी ने पूरे हिन्दुस्तान

का चक्कर लगाया और इन्होंने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय के बाद हमारी केन्द्र में सरकार बन गई तो वह रिपोर्ट हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रस्तुत की गई। उस समय श्रीमती स्मृति ईरानी सरकार में शिक्षा मंत्री थी और मैंने बहन गीता भुक्कल जी को निमंत्रण भेजा कि आज पूरे हिन्दुस्तान में शिक्षा मंत्री इक्ट्ठे होंगे और इसके साथ ही मैंने श्रीमती स्मृति ईरानी जी को भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हमारी बहन गीता भुक्कल जी की अध्यक्षता में यह पहले भी कमेटी बनी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और बहन गीता भुक्कल जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम इस नो–डिटेंशन पॉलिसी की रिकमण्डेशन को ज्यों की त्यों ही लागू करने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन गीता भुक्कल जी को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार आपको इस अवसर पर सम्मानित भी करना चाहती है तो क्या आपको दिल्ली आने का निमंत्रण मिला था? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी सरकार ने इस पॉलिसी को लागू कर दिया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी, मंत्री जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको दिल्ली जाने के लिए निमंत्रण मिला था या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहन गीता भुक्कल जी से केवल इतना ही पूछा है कि इनको दिल्ली जाने का निमंत्रण मिला था या नहीं। बहन गीता भुक्कल जी ने नो–डिटेंशन पॉलिसी के विरोध के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में इसे लागू करवाने के लिए बहुत हिम्मत के साथ कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों को यह लगता है कि ज्ञान की बातें सुनने से कुछ असर हो जायेगा। मैं तो केवल मात्र इतना ही कहना चाहूंगा कि जो असर होना है वह तो होगा ही होगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह गये थे। इस बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि निजी स्कूलों में 134ए के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। इस नियम के तहत तीन सालों से प्राइवेट स्कूल संचालकों को पेमैंट नहीं मिल रही थी। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी बात है। जब हम सदन में अपनी बात करते हैं तो विपक्ष के माननीय सदस्यों को वे बातें सुननी चाहिए। कुछ प्राईवेट स्कूल वालों ने कहा कि हमारी पिछली पेमैंट नहीं हुई है तो हमने इस बारे में सी.एम. साहब और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और

मीटिंग में हमने इनको 50 करोड़ रुपये की देनदारी देने को कहा था परन्तु इन्होंने कहा कि हमारी 60 करोड़ रुपये की पेमैंट बकाया है, इट इज ए क्रेडिट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में बताना चाहूंगा कि इस बार 78 हजार बच्चों ने टैस्ट दिया था और उसमें से 54 हजार बच्चे पास हुए थे। हमारी सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्राईवेट स्कूलों में एडवांस में ही पेमैंट जमा करवा दी है और आज बहन गीता भुक्कल जी शिक्षा की बात कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहन गीता भुक्कल जी की जुबान को ही 'श्रीमद् भगवदगीता' मानता हूं और मैं इन्हीं को ही 'श्रीमद् भगवदगीता' के 18 अध्याय भी मानता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एस.वाई.एल. नहर निर्माण, दादूपुर नलवी नहर और मेवात फीडर कैनाल के बारे में काम रोको प्रस्ताव दिया है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं किया है अगर हमने कुछ किया है तो हमने स्कूलों को नैशनलाईज किया। अध्यक्ष महोदय, जहां बहन गीता भुक्कल जी ग्वालिसन विद्यालय की बात कर रही हैं, मैं उस विद्यालय में स्वयं जाकर भी आया हूं। यदि बहन गीता भुक्कल जी चाहती हैं तो मैं इनको भी अपने साथ वहां ले जाऊंगा। ये बच्चों के भविष्य को लेकर जो भी बातें कहेंगी हम इनकी सभी बातों को पूरा करने का काम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव–

राज्य में मादक पदार्थों की लत के अधीन पड़े होने के कारण बढ़ते अपराध के साथ सामाजिक चुनौतियों के बारे स्थगन प्रस्ताव संख्या–1 पर चर्चा की स्वीकृति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक व तीन अन्य विधायकों श्री ओम प्रकाश बरवा, श्री वेद नारंग तथा श्री मक्खन लाल सिंगला, विधायक द्वारा राज्य के ड्रग्स सेवन की गिरफ्त में आने से अपराध में वृद्धि के साथ सामाजिक चुनौतियों के विषय बारे स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसे मैंने स्वीकार करते हुए आज की कार्यसूची में चर्चा के लिए शामिल कर लिया है।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। Rules of Procedure and conduct of Business in Haryana Legislative Assembly के नियम 69 (2) में लिखा हुआ है कि यदि कोई माननीय सदस्य स्थगन

प्रस्ताव देता है तो उसमें 11 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है और उसके बाद ही सदन में बहस हो सकती है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको जिन दो इश्यूज पर काम रोको प्रस्ताव दिए हैं। मेरा पहला एडजर्नमैंट मोशन एस.वाई.एल. नहर निर्माण, दादूपुर नलवी नहर और मेवात फीडर कैनाल के बारे में था लेकिन इस काम रोको प्रस्ताव को आपने रिजैक्ट कर दिया। एक तरफ तो सरकार सदन में पानी के संरक्षण की बात करती है और दूसरी तरफ पानी के लिए दिया गया हमारा काम रोको प्रस्ताव आपने रिजैक्ट कर दिया। दूसरा मैंने प्रदेश में बढ़ती हुई नशाखोरी के बारे में भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। आज आप इस बात को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में नशे के लिए किस तरह के हालात बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप जो स्थगन प्रस्ताव के बारे में जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में Rules of Procedure and conduct of Business in Haryana Legislative Assembly के नियम 69 (2) में लिखा हुआ है कि यदि कोई माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव देता है तो उसमें 11 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है और उसके बाद ही उस पर सदन में बहस हो सकती है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और माननीय मंत्री जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। इस महान सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठें हैं, मेरी उनसे रिक्वैस्ट है कि वह मेरे इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें। अगर सरकार यह चाहती है इस प्रस्ताव पर हाउस में चर्चा न हो तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीयत में खोट है और सरकार चाहती है कि हरियाणा प्रदेश में नशाखोरी बढ़े। स्पीकर सर, मेरे साथ सदन के 11 मैम्बर हैं जो यह चाहते हैं कि इस विषय पर हाउस में चर्चा हो?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में जो सदस्य हैं में उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी सीटों पर खड़े हो जायें।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के 11 से अधिक सदस्य इस स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में अपनी सीटों पर खड़े हो गए।)

———

श्री अध्यक्ष : ठीक है, चूंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए सदस्यों की संख्या 11 से अधिक हैं इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(स्वीकृति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्ष : अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब आपने इस प्रस्ताव को हाउस में चर्चा के लिए मंजूर कर लिया तो आप इस बात का भी संज्ञान लें कि इससे पहले सरकार के एक मंत्री ने हाउस में खड़े होकर इस प्रस्ताव पर चर्चा का विरोध किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मंत्री जी ने कोई विरोध वाली बात नहीं की है बल्कि उन्होंने तो इससे सम्बंधित नियमों की ही बात की थी। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, अभय सिंह चौटाला जी को तो इनके द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर हाउस में चर्चा करवाने के लिए आपको आपकी फिराखदिली के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा के लिए प्वायंट ऑफ ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको रेज़ करना किसी भी सदस्य का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं पांचवीं बार एम.एल.ए. बनकर इस विधान सभा में आया हूं इसलिए मुझे नियमों की जानकारी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप कृपया करके अपना प्रस्ताव पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं यह प्रस्ताव पढ़ने से पहले एक और इश्यू पर बात करने के लिए भी आपकी अनुमति चाहूंगा। इस हाउस में कई बार दादरी के एक किसान की डैथ को लेकर चर्चा हो चुकी है। यह सिर्फ दादरी का ही इश्यू नहीं है। किसानों का जो इश्यू है यह 152–डी एक्सप्रैस–वे, जो कि कोटपुतली से इस्माईलाबाद (कुरूक्षेत्र) तक बनेगा, से जुड़ा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, जो आपका विषय है अभी आप कृपया करके उसी पर ही बोलें। इस विषय पर बोलने के लिए आपको बाद में समय दिया जायेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान 152–डी एक्सप्रैस–वे की तरफ दिलाया था लेकिन अभी तक इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई रिस्पॉस नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में जवाब जरूर देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी समझ है तो स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तभी सभी बातों का जवाब एक साथ दिया जाता है। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी जब चर्चा होती है तभी सभी बातों का जवाब दिया जाता है। जीरो आवर की सभी बातों का जवाब एक साथ देना होता है तो मैं कल सभी बातों का जवाब एक साथ दूंगा। मेरा इतना सा निवेदन है कि माननीय सदस्य कल जवाब सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहें। कहीं ऐसा न हो कि इधर मेरा जवाब शुरू हो और उधर ये वॉक आउट करके चले जायें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, किसानों की मृत्यु पर मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था जिसको आपने रिजैक्ट कर दिया था। आपको कैसे पता चला कि इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे? आपके पास कौन सा सोर्स था कि मेरे कालिंग अटैंशन मोशन का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे? आपका सोर्स ऑफ इनफोर्मेशन क्या है? मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि आपने कल यह कहा था कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी सभी सवालों के जवाब एक साथ देंगे, उसमें माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब भी आ जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रिजैक्ट करते हुये कहा था कि इस पर मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, आप इनसे इस बात के लिए हां करवा लीजिए कि ये जवाब सुन कर जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, नशे से संबंधित काम रोको प्रस्ताव को आपने मंजूरी दी है लेकिन यहां सदन में इस विषय को लेकर गम्भीरता नजर नहीं आ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपको कैसे पता चला कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे आपने मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस आधार पर रिजैक्ट किया है?

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अगर मैंने इसको स्वीकार कर लिया होता तो आप किसी दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में कहोगे कि इस पर बहस करवाओ। अब मैंने यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, इसलिए अभी आप इस पर चर्चा कीजिए। माननीय

सदस्यगण, अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव है–

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा स्थगित की जाए।

(प्रस्ताव पारित हुआ)

.....

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैंने हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया है। माननीय सदस्यगण दो घंटे के अन्दर–अन्दर इस बारे में सदन में अपनी बात कह सकते हैं। दो घंटे के पश्चात् इस विषय पर चर्चा स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद आज की बैठक की कार्यसूची के अनुसार सदन की कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

श्री अध्यक्षः अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपना स्थगन प्रस्ताव पढेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, दो घंटे का समय बहुत कम है। इस पर केवल हम 4 सदस्यों को ही चर्चा नहीं करनी है बल्कि बहुत सारे सदस्यों को चर्चा करनी है। इस पर सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं उन सबको चर्चा करनी है। जो इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं चाहते थे वे तो अपनी सीटों पर बैठे हुये हैं उनको तो इस बात को लेकर कठिनाई थी कि इस प्रस्ताव पर चर्चा ही क्यों हो। इसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाये जिससे यह प्रस्ताव गिर जाये और इस पर चर्चा न हो सके लेकिन उसके बावजूद सदन में कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो यह मान कर चलते हैं कि प्रदेश जो नशे की लत में फंसता जा रहा है, जकड़ता जा रहा है उसे कैसे निकाला जाये। बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाये उसके लिए उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि दो घंटे का समय इसके लिए कम है इसलिए इसका समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्षः अभय जी, स्थगन प्रस्ताव के लिए दो घंटे का समय ही निर्धारित होता है इसलिए अब आप अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तथा श्री ओम प्रकाश बरवा, विधायक, श्री वेद नारंग, विधायक, श्री माक्खन लाल सिंगला, विधायक, एवं श्री रविन्द्र बलियाला, विधायक, राज्य के ड्रग्स सेवन की गिरफ्त में आने से अपराध में वृद्धि के साथ सामाजिक चुनौतियों के विषय के बारे में इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं । जैसा कि पूरा सदन जानता है कि आज हरियाणा ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। अब यह समस्या केवल पंजाब से लगते कुछ सीमांत क्षेत्रों की नहीं रह गई है। अब यह समस्या लगभग पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। कुछ आंकडे देखने के बाद यह समझ में आ जाता है कि यह समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आंकडे यह भी बताते है कि इस समस्या से उपजने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अपने हाथ लगभग झाड़ लिए हैं और इसका दायित्व स्वयं सेवी संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है। आंकडे यह भी बताते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 नशामुक्ति केन्द्र संचालित किए गए हैं जिनमें राज्य मैडिकल कॉलेज द्वारा 2, प्राईवेट मैडिकल कॉलेज द्वारा 1, हरियाणा शिशु कल्याण परिषद द्वारा 5 और रेडक्रॉस द्वारा 2 नशामुक्ति केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं । इनकी तुलना में 39 नशामुक्ति केन्द्र ऐसे हैं जिनका संचालन निजी संस्थान या स्वयं सेवी संस्थाएं करती हैं। जाहिर है कि सामान्य स्वास्थ्य की तरह सरकार ने नशे से मुक्त होने के इच्छुक लोगों को न के बराबर सुविधाएं दी हैं और उन्हें ऐसे नशामुक्ति केन्द्रों के सहारे छोड़ दिया गया है जिनकी गुणवत्ता के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। 24 फरवरी 2019 के अमर उजाला के एक समाचार पत्र के अनुसार सोनीपत के एक नशामुक्ति केन्द्र में कर्मचारियों ने नशे से मुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मृत्यु हो गई। यह मामला सोनीपत जिले के राठधना रोड़ स्थित केन्द्र का है और यह सीसीटीवी कैमरों में भी बंद है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के नशामुक्ति केन्द्र किस प्रकार संचालित होते हैं। इसी के साथ समस्या की गम्भीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में 2566 ड्रग्स के मामले दर्ज किए गए और इनसे संबंधित कुल 3141 मामलों में गिरफ्तारी भी की गई है। वर्ष 2019 में जनवरी से लेकर मई माह तक 918 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 1129 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। यह भयंकर रोग राज्य में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और यहां के युवा वर्ग को

बर्बादी के मार्ग पर अग्रसर करवा रहा है। वर्ष 2016–18 के बीच अकेले रोहतक जिले में 268 रोगियों का उपचार किया गया और चिंता की बात यह है कि यह सभी के सभी 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे थे। यह कहा जा सकता है कि नशीले पदार्थों की तस्करी पड़ौसी राज्यों से हो रही है परंतु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब तक इसे स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों और सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त न हो तब तक ऐसा बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि राज्य में आने वाले नशीले पदार्थों को शक्तिशाली और सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त लोगों का सहारा है। यह समस्या एक संक्रामक रोग बन चुकी है और यदि समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की गई तो यह हरियाणा के युवाओं के साथ हरियाणा के भविष्य को दीमक की तरह खा जाएगी। यह राज्य उस समय तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक हरियाणा के संदर्भ में कोई फिल्मकार उड़ता पंजाब जैसी फिल्म न बना ले । यह गम्भीर समस्या है जिसको प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : भौगोलिक रूप से गोल्डन ट्राएंगल और गोल्डन क्रीसेंट -दुनिया के दो प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों के बीच होने के कारण भारत एक पारगमन क्षेत्र बन गया है और ड्रग ट्रैफिकिंग की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है।देश में और हरियाणा में भी मादक पदार्थों और शराब के सेवन की समस्या बढ़ती जा रही है। हरियाणा सरकार की रणनीति मोटे तौर पर दो पहलुओं पर केंद्रित है, अर्थात् (i) मांग में कमी (ii) आपूर्ति में कमी। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम बनाया है। यह एक बहुत ही व्यापक कानून है जो उपचार और पुनर्वास सहित आपूर्ति और मांग में कमी दोनों के लिए प्रावधान करता है।

2. हरियाणा सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के सेवन की समस्या से अवगत है । सरकार जानती है कि नशीली दवाओं का सेवन एक जटिल शारीरिक–सामाजिक और चिकित्सा समस्या है और मादक पदार्थों की तस्करी मुनाफे से संचालित होती है, जो नैतिक और मानवीय विचारों से परे है।नशीली दवाओं के दुरुपयोग के तेजी से प्रसार को नियंत्रित करना आज एक गंभीर चुनौती है और सरकार इसे तत्काल निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।हरियाणा सरकार तीन–स्तरीय रणनीति के साथ इस समस्या का समाधान कर रही है:

(क) कानून प्रवर्तन और ड्रग्स तथा मादक पदार्थों की आपूर्ति का विनियमन और अवैध दवाओं / पदार्थों की आपूर्ति में कमी।

(ख) नशीली दवाओं के व्यसनों का /नशा करने वालों / आश्रित उपयोगकर्ताओं के प्रबंधन और उपचार और इसके साथ ही उनका पुनर्वास ।

(ग) समाज में विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से "नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम" के माध्यम से मांग में कमी।

वर्तमान स्थिति और कार्रवाई

विनियमन

3. वर्ष 2014 में हरियाणा पुलिस की विभिन्न इकाइयों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1020 मामले दर्ज किए और 1287 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 37.922 किलोग्राम अफीम, 97.3 किलोग्राम चरस, 20691.3 किलोग्राम पोस्त भूसी, 4.2 किलोग्राम स्मैक, 1145.025 किलोग्राम गांजा और 0.374 किलो हेरोइन बरामद किए ।

वर्ष 2018 के दौरान, हरियाणा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2587 मामले दर्ज किए, 3294 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 105.69 किलोग्राम अफीम, 427.80 किलोग्राम चरस, 10937.52 किलोग्राम पोस्त भूसी, 21.12 किलोग्राम स्मैक, 5612.14 किलोग्राम गांजा और 15.9 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, 30.06.2019 तक के इस कैलेंडर वर्ष में, हरियाणा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1150 मामले दर्ज किए हैं, 1428 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 234.81 किलोग्राम अफीम, 115.97 किलोग्राम चरस, 11241.86 किलोग्राम पोस्त भूसी, 6.68 किलोग्राम स्मैक, 2736.96 किलोग्राम गांजा और 9.019 किलोग्राम हेरोइन बरामद किया है। जैसा कि देखा जा सकता है, इस क्षेत्र में कानून प्रवर्तन अधिक से अधिक कठोर हो रहा है और इसे प्राथमिकता दी जा रही है जिसकी आवश्यकता है।राज्य पुलिस ड्रग तस्करी की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए समय-समय पर प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाती है।

4. इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए और पड़ोसी राज्यों से सहयोग की मांग करते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 20 अगस्त 2018 को भारत के इस हिस्से को प्रभावित करने वाली ड्रग समस्या पर चर्चा के लिए उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मेजबानी की।विभिन्न राज्यों की पुलिस एजेंसियों के बीच समन्वय और जानकारी साझा करने के लिए पंचकुला में एक अंतर-राज्य ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई और ड्रग्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर शुरू किया गया। 26 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, एक अन्य अंतर-राज्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के नारकोटिक ब्यूरो, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हरियाणा के अधिकारियों ने भाग लिया। हरियाणा सरकार अन्य चीजों के अलावा मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित संगठित अपराध के खतरे से निपटने के लिए हाउस के विचार के लिए एक व्यापक कानूनअर्थात् हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल लाने का

इरादा कर रही है । जोकि अन्य चीजों के अलावा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए भी कार्य करेगा।

प्रबंधन और उपचार

5. मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों के इलाज और प्रबंधन के लिए,सरकार नशा मुक्ति केंद्रों और परामर्श केंद्रों को हरियाणा ड्रग डे-एडिक्शन नियम 2010 और 2018 में संशोधित नियम के अनुसार कामकाज को नियंत्रित कर रही है।राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने आज तक राज्य में 71 लाइसेंस / पंजीकरण जारी किए हैं जिनमें से 10 नशामुक्ति केंद्र जिला अस्पतालों में चल रहे हैं, 3 मेडिकल कॉलेज में और इसके अलावा जिला रेड क्रॉस सोसायटी (3) और जिला बाल कल्याण परिषद (3) सहित 41 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त 17 मनोरोग नर्सिंग होम भी नशामुक्ति सेवाए प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं। गैर-सरकारी संगठनों को इस गतिविधि में भागीदार बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की एक नीति है, और इस उद्देश्य के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।हालांकि, जिला अस्पताल इनडोर और आउटडोर उपचार, दोनों प्रदान करके मादक पदार्थों के उपचार में प्रमुख भार उठाते हैं।01.04.2019 से 30.06.2019 की अवधि में इन अस्पतालों में 13,945 आउटडोर और 1,114 इनडोर रोगियों का इलाज किया गया था। वर्ष 2014 में, केवल 6 जिला अस्पतालों में डी-एडिक्शन सेंटर थे, जिसमें 8948 आउटडोर मरीजों और 1354 इनडोर मरीजों का 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2014 तक इलाज किया गया था।

6. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कथित घटना की जांच कर रही है, जो सोनीपत के एक नशा मुक्ति केंद्र में हुई थी। घटना के समय, नशा मुक्ति केंद्र को गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा था और हरियाणा राज्य नियमों के तहत वैध लाइसेंस नहीं था। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मांग में कमी

7.राज्य सरकार मादक द्रव्यों के सेवन में कमी लाने संबंधित मुद्दों के बारे में चिंतित है और ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राज्य कार्य योजना के माध्यम से समस्या का समाधान करेगी।मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि इस तरह के मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के खिलाफ अवैध उत्पादन, खपत और गहन अभियान की रोकथाम के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत किया जा सके। जिलों में मादक द्रव्यों के उपयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रभावी और समन्वित प्रयासों के लिए 2016 में जिला स्तरीय समन्वय समितियों और जिला स्तरीय सामाजिक गतिशीलता समितियों को अधिसूचित किया गया था।

8. सरकार द्वारा 2019 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हरियाणा राज्य सोसायटी का गठन, राज्य कार्य योजना को लागू करने के लिए किया गया है, जो नशामुक्ति और पुनर्वास के मुद्दों को संबोधित करेगा और आगे स्कूल, कॉलेजों,विश्वविद्यालयों में और विभिन्न संस्थानों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए समन्वय करेगा।माता–पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, जेल कर्मचारी, समाज के कमजोर समूहों विशेषकर युवाओं और महिलाओं के रूप में हितधारकों की भागीदारी और क्षमता निर्माण, पंचायतों और वार्डों के स्तर तक किया जाएगा। यह सोसायटी उपचार और परामर्श के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन नंबर भी संचालित करेगी।जेलों और अवलोकन घरों में नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और राज्य की जेलों में अब तक 2 ऐसे केंद्रों को मंजूरी दी गई है जो जल्द ही शुरू किए जाएंगे। मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में समाज को जागरूक करने और रचनात्मक एवं सकारात्मक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने सभी जिलों में 367 राहगिरी मैराथन कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें आठ लाख,उनतालीस हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। हरियाणा सरकार का इरादा प्रत्येक गाँव में योगशालाएँ खोलने का है ताकि नागरिकों को स्वस्थ शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।।सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 2017 से एक राज्य पुरस्कार योजना की शुरुआत की है, जो आम जनता के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग, उपचार और जागरूकता सृजन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए है, और इस उद्देश्य के लिए यह पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं।

9. राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितने भी ऊँचे पद पर या ताकतवर है और सरकार मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी एक ज्वलंत मुद्दे पर प्रस्ताव लेकर आए हैं । हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर आज तक नशा मुक्ति के लिए और जो लोग नशे से ग्रस्त हैं उनके रिहैब्लिटेशन के लिए बहुत कदम उठाए हैं । हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इन कदमों के उठाने के साथ–साथ उनको हरियाणा की भावी पीढ़ी की भी उतनी ही चिन्ता है जितनी उनको हरियाणा की वर्तमान नागरिकों की चिन्ता है। मैं उनको इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने वर्ष 2018 के अन्दर पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत की सभी सरकारों से मिलकर सबसे पहले इस नशा

खोरी के संबंध में आवाज उठाने की शुरूआत की है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर भारत के ड्रग्स से प्रभावित अपने पड़ोसी राज्यों अर्थात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को तथा जम्मू एवं कश्मीर की सरकार के विशेष प्रतिनिधियों को ड्रग्स जैसे अति संवेदनशील मुद्दे पर 20 अगस्त, 2018 को चंडीगढ़ में बैठक के लिए आमंत्रित किया और उस बैठक की मेजबानी करते हुए इस अति गंभीर विषय पर चर्चा भी की। आज से पहले हरियाणा प्रदेश व इसके पड़ोसी राज्यों में जितनी भी सरकारें सत्ता में रही, उनमें से किसी ने भी इतने अहम तथा संवेदनशील विषय को कभी भी गम्भीरता से लेने का काम नहीं किया था और यह इस बैठक का ही नतीजा था कि विभिन्न राज्यों की पुलिस एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय और जानकारियों को सांझा करने के उद्देश्य से जिला पंचकुला में एक अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई और ड्रग्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक टोल–फ्री नंबर भी शुरू किया गया। इसी प्रकार अभी हाल ही में 26 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के अवसर पर एक अन्य अंतरराज्यीय बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार के नारकोटिक्स ब्यूरो के उच्चाधिकारियों के साथ–साथ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा हरियाणा के उच्चाधिकारियों ने भी भाग लिया। वर्तमान में हरियाणा सरकार अन्य गंभीर विषयों के साथ–साथ मादक पद्धार्थो की तस्करी से संबंधित संगठित अपराध के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक कानून अर्थात हरियाणा कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम बिल लाने का भी इरादा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उत्तर भारत के ड्रग्स से प्रभावित राज्यों के लिए यह एक बहुत बड़ी पहल है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी है कि ड्रग्स जैसी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा प्रदेश तथा इसके पड़ोसी राज्यों की जनता जिस आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की तरफ देख रही है, उस आशा और विश्वास पर हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल खरे उतरेंगे। इसके साथ–साथ मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों के इलाज और प्रबंधन के लिए सरकार नशा मुक्ति केन्द्रों और परामर्श केंद्रों को हरियाणा ड्रग एडिक्शन नियम 2010 और 2018 में संशोधित नियम के अनुसार कामकाज को नियंत्रित कर रही है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने आज तक राज्य में इस कार्य के लिए 71 लाइसेंस व पंजीकरण जारी किए हैं। जैसाकि आज एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज और एन.जी.ओ. के हवाले नशे से ग्रस्त लोगों का इलाज करने का कार्य छोड़कर एक तरह से अपनी

जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अभी तक हरियाणा में 71 नशामुक्ति केन्द्रों के लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए गए हैं जिनमें से 10 नशामुक्ति केन्द्र जिला अस्पतालों में चल रहे हैं। इसके साथ–साथ 3 मैडिकल कालेजिज में जिसमें से 2 मैडिकल कॉलेज हरियाणा सरकार के हैं और एक मैडिकल कालेज प्राईवेट है, में नशा मुक्ति केन्द्र चल रहे हैं। इसके साथ साथ जिला रैडक्रास सोसायटी में 3 और जिला बाल कल्याण परिषद में 3 अर्थात यदि कुल नशा मुक्ति केन्द्रों की बात मैं करूं तो आज हरियाणा में 41 नशामुक्ति केन्द्र गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त 17 मनोरोग नर्सिंग होम भी नशामुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं। मैं माननीय सदस्य का इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने जो एक शब्द प्रयोग किया है कि सरकार ने नशामुक्ति का कार्य पूरे का पूरा एन.जी.ओज. और गैर सरकारी संस्थाओं के हवाले कर दिया है, यह ठीक नहीं है। मैंने जो बातें अभी बताई वह यह बताने के लिए काफी हैं कि हमारी सरकार नशे की मुक्ति जैसे विषय पर कितनी गम्भीर है। गैर पंजीकृत संस्थाओं तथा एन.जी.ओज. के बारे में यह भी बताना चाहूंगा कि इनको अब केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली और अन्य पड़ोसी प्रदेशों में भी लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए तथा उनके जीवन में दोबारा से सुधार लाने के लिए, समाजसेवी संस्थाओं व एन.जी.ओज. को लाइसेंस दिए जा रहे हैं और केन्द्र के द्वारा उन संस्थाओं को जो सहयोग राशि दी जाती है उसी की तर्ज पर हरियाणा में भी काम किया जा रहा है। एक चीज मैं आज और बताना चाहूंगा कि हमारे जो जिला हस्पताल हैं वे इंडोर और आउटडोर दोनों स्थितियों में मादक पद्धार्थों के लिए उपचार प्रदान करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। दिनांक 1.4.2019 से 30.6.2019 की अवधि में इन अस्पतालों में 13,945 आउटडोर और 1,114 इंडोर रोगियों का इलाज किया गया है। वर्ष 2014 में केवल 6 जिला अस्पतालों में डी–एडिक्शन सेंटर थे, जिसमें 8948 आउटडोर मरीजों और 1354 इनडोर मरीजों का 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2014 तक इलाज किया गया था। जो घटना सोनीपत के एक नशा मुक्ति केन्द्र में हुई है उसकी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कथित घटना की जांच कर रही है। घटना के समय, नशा मुक्ति केन्द्र को गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाये जा रहा था और हरियाणा राज्य नियमों के तहत वैध लाइसेंस नहीं था। उसके लाइसेंस की अवधि समाप्त हुए 3 महीने हो गए थे, परंतु वह गैर कानूनी तरीके से नशा मुक्ति केन्द्र को

चला रहा था। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की सबसे बड़ी सोच यह है कि जो नशे की खेप है उसकी मांग में कमी आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मांग में कमी तब आयेगी जब नशा करने वाले लोग नशे से दूर भागेंगे। इस विषय को लेकर हमारी सरकार चिंतित भी है और लगातार प्रयास भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संबंध में कुछ तथ्य सदन को बताना चाहता हूँ। राज्य सरकार द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन में कमी लाने संबंधित मुद्दों के बारे में चिंतित है और ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राज्य कार्य योजना के माध्यम से समस्या का समाधान करेगी। मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि इस तरह के मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के खिलाफ अवैध उत्पादन, खपत और गहन अभियान की रोकथाम के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत किया जा सके। जिलों में मादक द्रव्यों के उपयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रभावी और समन्वित प्रयासों के लिए 2016 में जिला स्तरीय समन्वय समितियों और जिला स्तरीय सामाजिक गतिशीलता समितियों को अधिसूचित किया गया था। सरकार द्वारा 2019 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हरियाणा राज्य सोसायटी का गठन, राज्य कार्य योजना को लागू करने के लिए किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम इसमें स्टेट लैवल की सोसायटी का भी गठन करने जा रहे हैं। जब इस सोसायटी का गठन हो जायेगा तो उसका बहुत बड़ा सहयोग डी–एडिक्शन सेंटर में लोगों का इलाज करने में मिलेगा। जो नशामुक्ति और पुनर्वास के मुद्दों को संबोधित करेगा और आगे स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में और विभिन्न संस्थानों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ जागरुकता और क्षमता निर्माण के लिए समन्वय करेगा। माता–पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्त्ता, जेल कर्मचारी, समाज के कमजोर समूहों विशेषकर युवाओं और महिलाओं के रूप में हितधारकों की भागीदारी और क्षमता निर्माण किया जायेगा। हमने तय किया है कि पंचायतों और वार्डों के स्तर तक हम इसका गठन करें ताकि जागरुकता निचले स्तर पर होगी तो इनसे छुटकारा पाने में हमें ज्यादा जल्दी सुविधा और मदद मिलेगी। माता–पिता यह सोसायटी उपचार और परामर्श के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन नंबर भी संचालित करेगी। जेलों और अवलोकन घरों में नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है और राज्य की जेलों में अब तक 2 ऐसे केन्द्रों को मंजूरी दी गई है जो जल्द ही शुरू किए जाएंगे। मादक द्रव्यों के

सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में समाज को जागरूक करने और रचनात्मक एवं सकरात्मक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने सभी जिलों में 367 राहगिरी मैराथन कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें आठ लाख उनतालीस हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। हरियाणा सरकार का इरादा प्रत्येक गांव में योगशालाएं खोलने का है ताकि नागरिकों के शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 2017 से एक राज्य पुरस्कार योजना की शुरूआत की है, जो आम जनता के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग, उपचार और जागरुकता सृजन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए है और इस उद्देश्य के लिए यह पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितने भी ऊँचे पद पर या ताकतवर है और सरकार मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मेरा माननीय सदस्य के साथ–साथ इस सदन से भी निवेदन है कि यदि हमें इस ज्वलन्त विषय पर किसी से भी कोई सुझाव या शिकायत मिलेगी तो उस पर अवश्य ही तुरन्त कार्यवाही की जाएगी । इसके साथ मैं आपके सामने स्टेट सोसायटी फॉर रिहैब्लिटेशन का एक विषय और रखना चाहता हूं । अभी तक हरियाणा प्रदेश में सिर्फ उनके इलाज की व्यवस्था है लेकिन इलाज होने के बाद जब वे नशे से बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको रिहैब्लिटेट किया जा सके । इसके बाद उनको अच्छा वातावरण नहीं मिलता और वे दोबारा से उसी सोसायटी में शामिल हो जाते हैं और समाज की उसी धारा में शामिल हो जाते हैं जहां वे पहले थे । इससे बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि वे समाज के एडिक्टिड लोगों की गिरफ्त में दोबारा से फंस जाए, इसीलिए हमने तय किया है कि State Society will start Rehabilitation Centers in all 22 districts in the next two years. इनमें नशे की गिरफ्त में आये हुए लोगों का इलाज किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वे दोबारा से नशे की गिरफ्त में न आयें । इन रिहैब्लिटेशन सैंटर्स में शॉर्ट स्टे हाउसिज भी बनाए जाएंगे ताकि जो लोग रिहैब्लिटेशन सैंटर्स से इलाज करवाएं उनको सीधे ही उनकी सोसायटी में न भेजकर कुछ दिन इन शॉर्ट स्टे हाउसिज में रखा जाए । इसी प्रकार से इनमें सोबर हाउसिज भी बनाए जाएंगे । इनमें इनके खान–पान का विशेष ख्याल रखा जाएगा । In these Rehabilitation centers long term case-management of each ex-addict-each-addict will be monitored for at least 3

years. ऐसी व्यवस्था करने की हमारी योजना है । In these Rehablitation centers we will have Counsellors, Occupational Therapist, Case Managers, Yoga Tharapist, Child Psychologist, Clinical Psychologist, Doctors, Nurses. रिहैब्लिटेशन सैंटर से इलाज करवाकर आये हुए व्यक्ति पर उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर थोड़ा–सा भी डाउट हो कि वह दोबारा से नशा कर रहा है तो वह टोल फ्री नंबर पर फोन करके उस व्यक्ति को वहां पर दोबारा से ट्रीटमैंट के लिए भेज सकता है । इनके अलावा रिहैब्लिटेशन सैंटर्स में वोकेशनल रिहैब्लिटेशन और लीगल रिहैब्लिटेशन का भी प्रावधान किया गया है । इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि नशे के मेन सप्लायर कोई और होते हैं, लोकल सप्लायर कोई और होते हैं लेकिन नशे का सेवन करने वाले जिनके पास बहुत कम मात्रा में नशा होता है वे व्यक्ति पकड़े जाते हैं। हमारे देश का संविधान ऐसा है कि किसी के पास चाहे कितनी भी मात्रा में नशा पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो जाती है और उसको जेल से जमानत मिलने और फिर उसके ट्रीटमैंट के लिए रिहैब्लिटेशन सैंटर में भेजने में काफी समय लग जाता है । अतः हम इसका क्राइटेरिया तय कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास कम से कम कितना नशा होने पर उसे पकड़ा जाएगा और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उसके बाद उसे जल्द ही जमानत देकर रिहैब्लिटेशन सैंटर में भेजा जाए । हमारा विचार है कि जो सप्लायर्स है वे तो पता नहीं कब पकड़े जाएंगे लेकिन हमें ड्रग–एडिक्टिड पर्सन को नशे से मुक्त करना है । अगर नशा करने वाला व्यक्ति पकड़े जाने पर अधिक समय तक सजा काटेगा तो यह संभव है कि वह अपने आपको उसी माहौल में ढ़ाल ले और उसके मन में यह भावना आ जाए कि अब तो मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा । इस विषय में मैं और बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिले में एक सरकारी हॉस्पिटल में एडिक्टिड पर्सन के लिए 10 बैड की व्यवस्था है । हमें वहां के डी.सी. एवं सी.एम.ओ. की तरफ से एक प्रपोजल प्राप्त हुआ है कि उस हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाकर 10 बैड से 30 बैड कर दी जाए । इसके लिए हमने 78 लाख रूपये मंजूर कर दिए हैं । इस सिविल हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाने का यह काम बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा । इसके अलावा हम रतिया और जाखल में रेड क्रॉस की सहायता से 2 और डी–एडिक्शन सैंटर्स शुरू कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस विषय पर सरकार का ध्यान खींचकर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। सरकार की तरफ से पीड़ितों के रिहैब्लिटेशन, उनको नशे से बाहर लाने के लिए और उनके पुनर्वास के साथ–साथ उनके परिवारों के बच्चों की एजूकेशन तथा स्वास्थ्य की चिंता

भी सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों की तरफ से जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उनको हम अवश्य ही इस योजना में लागू करके लोगों को नशे से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने बहुत लंबा–चौड़ा जवाब दिया है और जवाब में जिस ढंग से सारी बातें कह रहे थे, उससे लग रहा है कि सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। इसमें सरकार द्वारा बहुत जल्दी कैसे नशे की रोकथाम की जाएगी, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। स्पीकर सर, मैंने आपके माध्यम से ही डेढ़ वर्ष पहले इसी हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए अवगत करवाया था कि हरियाणा प्रदेश में भी नशा बढ़ रहा है। पंजाब राज्य में नशे की खेप की खेप आ रही हैं जिसकी वजह से वहां की युवा जनरेशन बर्बाद हो गयी है। इस नशे की वजह से बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गये और बहुत से नौजवान अपनी जिदंगी से हाथ धो बैठे। पंजाब में नशे के कारण जो हालात पैदा हो गये थे, उनके कारण विश्व के मानचित्र पर राज्य की बदनामी हुई और नशे के ऊपर फिल्म भी बनायी गयी थी। मैंने डेढ़ वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सिरसा जिले में कोई ऐसा गांव, कस्बा, शहर और मौहल्ला नहीं है जिसमें स्मैक/चिट्टे की सप्लाई न होती हो। आज केवल सिरसा जिले में ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर कोई गांव, शहर और कस्बा ऐसा नहीं है जहां पर स्मैक/चिट्टे की सप्लाई बच्चों को न की जाती हो। मैं इसके लिए न केवल उदाहरण दूंगा बल्कि इस बात के सबूत भी आपको दूंगा कि इस नशे के प्रचलन को बढ़ाने का काम कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको सरकार पकड़ने की बजाय संरक्षण दे रही है। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि एक आदमी के पास नशे की पुड़िया पकड़ी जाती है तो पुलिस उसको पकड़कर जेल में बन्द कर देती है। क्या उस व्यक्ति को पुलिस जेल में बन्द करने से पहले इस बात की पूछताछ नहीं कर सकती कि वह नशे की पुड़ियां कहां से लाया है ? क्या पुलिस उस व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती जहां से वह संबंधित सामान लाता है ? क्या पुलिस उससे अगले व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती जो संबंधित सामान बेचता है ? जब 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इक्ट्ठे होकर नशे की रोकथाम करने के बारे में मीटिंग्ज कर सकते हैं तो फिर क्या इस तरह का कारोबार करने वाला व्यक्ति पुलिस से बच सकेगा ? यह बड़ी हैरानी की बात है कि माननीय मंत्री जी हाउस में यह कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास नशे की पुड़िया पकड़ी जाती है तो उसको जेल के अन्दर बन्द कर दिया जाता है और सरकार द्वारा उसकी

जमानत करवाकर बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। जो लोग नशा करते हैं, उनका इलाज तो जेल में भी करवाया जा सकता है क्योंकि जेल में भी हॉस्पिटल्ज बने हुए हैं। अगर सरकार की नीयत साफ है तो ये सब काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा और इसको माननीय मंत्री जी भी नोट कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी 25 फरवरी, 2019 को अंग्रेजी के ट्रिब्यून अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें लिखा हुआ था कि पहले हरियाणा प्रदेश दूध–दही के लिए मशहूर था। हरियाणा प्रदेश के पहलवानों की देश और विदेश में एक अलग पहचान थी और स्पोर्ट्स में इस प्रदेश का नाम बहुत आगे निकल गया था। पूरे देश में से हरियाणा प्रदेश के 50 प्रतिशत से ज्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक और एशियाड में मैडल जीतकर आते थे। इस प्रकार से 50 प्रतिशत से ज्यादा मैडल जीतने वाला देश में हरियाणा अकेला प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अखबार में एक खबर छपी थी और उसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा के अंदर लगभग 5 लाख 90 हजार लोग आज भी नशे के आदी हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी विस्तार से बताऊंगा कि कैसे इन लोगों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे एक चैन की तरह लगातार इन मादक पदार्थों को हरियाणा प्रदेश में कारोबार की तरह फैलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के प्रोफेसर अतुल अम्बेडकर जो ड्रग डिपेंडेंस पैनल के विशेष सलाहकार हैं, उनके अनुसार आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान नशाखोरी के मामले में देश में 10 वें स्थान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने 20 अगस्त, 2018 को इसी इश्यू को लेकर के उत्तरी भारत के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी। जैसाकि अभी मंत्री जी बता रहे थे कि उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे नशे को रोकने के लिए अहम फैसले लिये गये थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाकर फैसले तो ले लिये, लेकिन उन फैसलों को कहीं भी इम्प्लीमैंट नहीं किया गया कि कैसे इस नशे की रोकथाम की जायेगी, कैसे इसके लिए रिहैब किए जायेंगे, रिहैब के साथ–साथ कैसे इसके लिए काउंसिलिंग करने वाले लोगों की भर्ती की जायेगी ? आज नशाखोरी के कारण हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्ष 2016 में नशाखोरी के कुल 2032 के करीब मामले दर्ज हुये थे, उसके बाद वर्ष 2017 में ये बढ़कर के 2247 हो गये और वर्ष 2018 में ये बढ़कर के 2587 हो गये, जो ये छोटे–मोटे मुकदमे दर्ज किये गये थे, मैं

उनकी बात कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने प्रदेश में नशाखोरी को लेकर के एक दिन के लिए हजारों बच्चों को इकट्ठा करके मैराथन के नाम पर रेस तो लगवा दी, लेकिन एक दिन की रेस लगवाने से प्रदेश के अंदर नशाखेरी पर पाबंदी नहीं लग सकती। आप बच्चों की एक दिन की रेस लगवाकर सब लोगों को एजूकेट नहीं कर सकते हैं। ये नशीले पदार्थ जहां से आ रहे हैं, जब तक हम उनको नहीं रोकेंगे, तब तक इसे बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, वे सौ फीसदी आगे से आगे बढ़ते जायेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बच्चों की मैराथन की जो रेस लगवाई, वह अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उस मैराथन रेस का जो मकसद था, उसको कैसे प्रदेश में लागू किया जाये, उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं हुआ। पता नहीं हमारे प्रदेश में स्मैक, कोकिन, चिट्टा और ब्राउन शुगर कहां से आती है? कोई कहता है कि यह पाकिस्तान से आती है, कोई कहता है कि यह अफगानिस्तान से आती है और कोई कहता है कि ये इजराइल से आती है। हमारे देश से पाकिस्तान की जो सीमायें लगी हुई हैं, वे पूर्ण रूप से सील की हुई हैं और वहां पर सारी की सारी सैंट्रल फोर्सिज लगी हुई हैं। अगर वहां से कोई नशीला पदार्थ पंजाब के रास्ते होते हुये हमारे प्रदेश में आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो सैंट्रल फोर्सिज हैं, वे इन नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले लोगों के साथ मिली हुई हैं। हमारी और पाकिस्तान की सीमा के दोनों साइड में इतनी बड़ी बाड़ लगी हुई है और उनके बीच में 100–150 मीटर का एक बड़ा फासला भी है, जिसके बीच में लोग खेती करते हैं और जो कोई भी उस खेत के अंदर जाता है, उसको बाकायदा तौर पर अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। बाकायदा तौर पर उसकी तलाशी भी ली जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा सामान लेकर अपने खेत में न जाये, जिसकी वजह से आने वाले समय में किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो सके। जब वह किसान खेत से वापस अपने घर आता है तो फिर उसी तरीके से उसकी दोबारा से तलाशी ली जाती है। आज के समय में यह केन्द्र की सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि ये नशीले पदार्थ जहां से आते हैं, वहीं पर इनकी रोकथाम की जाए। अगर इन नशीले पदार्थों की रोकथाम वहां पर नहीं हो पा रही है तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यह सारा का सारा काम सरकारी संरक्षण के अंदर हो रहा है। इन नशीले पदार्थों से केवल चंद लोग ही बेतहाशा पैसा कमाने का काम कर रहे हैं और वे हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत लगभग 1287 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये थे और उन

लोगों से 37,922 किलोग्राम मादक–पदार्थ पकड़ने का दावा किया गया था, लेकिन इन मादक–पदार्थों को अपने प्रदेश में आने से कैसे रोका जाये, इसका सरकार ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपने दिनांक 26 जून, 2019 को पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा 2 राज्यों के प्रतिनिधिगण की दोबारा से बैठक बुलाई थी और इसके रिगार्डिंग वर्ष 2018 में पहली मीटिंग हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस पीरियड के दौरान वर्तमान सरकार ने प्रदेश में नशा रोकने के लिए क्या कदम उठाये? नशा करने वाले कितने लोगों तक वर्तमान सरकार पहुंच पाई और कितने लोगों को पकड़ सकी? इस बारे में मैं चाहूंगा कि आप सदन में इसकी पूरी जानकारी दें। जो लोग नशे को बढ़ावा दे रहे हैं उनका किन लोगों के साथ सम्बन्ध है। इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में जानकारी देनी चाहिए ताकि सदन को भी पता लग सके कि ऐसे लोगों को किन लोगों का संरक्षण मिला हुआ है? जिनकी वजह से हमारे हरियाणा प्रदेश के नौजवान बच्चे इस नशाखोरी की गिरफ्त में पड़े हुए हैं। अभी माननीय मंत्री जी नशा मुक्ति केन्द्रों की बात सदन में बता रहे थे कि हमारे हरियाणा प्रदेश के सरकारी मैडीकल कॉलेजों में और प्राइवेट मैडीकल कॉलेजों में अलग–अलग रूप से नशा मुक्ति केन्द्र संचालित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह बात सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि आज की तारीख में नशा करने वाले लोगों की प्रदेश में कितनी संख्या बढ़ी है और इन नशा मुक्ति केन्द्रों में कितने बैड लगे हुए हैं और वहां पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है, स्टाफ कितना है और अटैंडेंट कितने हैं, इसके साथ ही साथ मरीजों को किस प्रकार की इन नशा मुक्ति केन्द्रों में सुविधाएं दी जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिरसा जिले के नागरिक अस्पताल के बारे में बताना चाहूंगा। इस अस्पताल में नशा मुक्ति केन्द्र बना हुआ है और यहां पर केवल चंद बैड ही उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अस्पताल के बारे में बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में लगभग 1500–2000 मरीज नशा मुक्ति केन्द्र की ओ.पी.डी. के लिए आते थे। ये सरकारी आंकड़े हैं मैं कोई अपनी तरफ से इन आंकड़ों को नहीं बता रहा हूं लेकिन आज के दिन इन मरीजों की संख्या बढ़कर के 20,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक साल के अंदर–अंदर 20,000 से ज्यादा मरीज अकेले एक सिरसा के नागरिक अस्पताल के नशा मुक्ति केन्द्र में ओ.पी.डी. के लिए आये हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में इससे बड़ी बात और भी कोई हो सकती है। मान लो हरियाणा प्रदेश के एक अस्पताल में एक साल में 20,000 मरीज ओ.पी.डी. के लिए आते हैं तो फिर आप मानकर के चलें कि उन मरीजों के लिए सरकार को बहुत बड़े स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ऐसे मरीजों को रोकने के लिए क्या कदम उठायेगी? इसके लिए माननीय मंत्री जी ने तो सदन

में एक बार में ही यह कह दिया कि सरकार ने 78 लाख रुपये दे दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी भलीभांति ज्ञान है कि 78 लाख रुपये से एक अस्पताल को सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती। जैसे मैंने पहले ही सिरसा जिले के नागरिक अस्पताल के बारे में सदन को जानकारी दी है। (विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि मैंने केवल फतेहाबाद जिले के अस्पताल के बारे में जिक्र किया था कि हम वहां 10 बैड की जगह 30 बैड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं और उस अस्पताल को बनाने के लिए 78 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों की बात नहीं कही है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सिरसा के अस्तपाल के बारे में सदन को जानकारी दे रहा था कि उसमें जो मनोरोगी डॉक्टर है, वह इन मरीजों का इलाज करता है। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि वहां पर केवल एक ही डॉक्टर है और इस नशा मुक्ति केन्द्र में ओ.पी.डी. के लिए आने वाले मरीजों की संख्या 80 से लेकर के 100 तक पहुंचा जाती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल एक डॉक्टर 100 से ज्यादा मरीजों को कैसे देख सकेगा, कैसे उनके साथ बातचीत कर सकेगा? अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति नशा करता है, उसके बारे में उससे उसकी पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है। जब वह व्यक्ति अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को बताता है तो आप मानकर के चलें कि उसको अपनी पूरी हिस्ट्री बताने में कम से कम 1 घंटे से भी अधिक का समय लगता है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस अस्पताल में ओ.पी.डी. के लिए एक दिन में 100 से भी अधिक मरीज आ जायंगे तो एक डॉक्टर उन मरीजों को किस प्रकार से देख पायेगा? यह बहुत ही चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, आप मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ उन मरीजों की केवल पर्चियां ही काटी जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा उनकी जांच अच्छी तरह से की जाती होगी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में कांग्रेस के कार्यकाल में कालांवाली में नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना की गई थी और कहा गया था कि वर्ष 2019 तक यह बनकर तैयार हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कांग्रेस सरकार ने यह भी कहा था कि एक साल के अंदर लगभग 900 मरीजों का इलाज करने में यह अस्पताल सक्षम होगा। अध्यक्ष महोदय, कालांवाली का अस्पताल 15 बैड का बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मात्र 15 बैड की व्यवस्था से 900 मरीजों का इलाज कैसे किया जायेगा? यह सोचने वाली बात है। अब

जो मैं आगे वाली बात सदन में बताने जा रहा हूं यह इससे भी ज्यादा गंभीर बात है। अध्यक्ष महोदय, नशे की रोकथाम के लिए 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बुलाई गई थी और अखबारों के माध्यम से भी ज्ञापन दिये गये कि हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का काम किया जायेगा। इस तरह की बैठकों के ऊपर लाखों–लाखों रूपये खर्च किये जाते हैं। दूसरी तरफ जो नशा मुक्ति केन्द्र बनाये गये हैं इनमें पिछले एक वर्ष से पूरे स्टॉफ को कोई वेतन नहीं दिया गया है। इन केन्द्रों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार की तरफ से एक पैसा भी वेतन के रूप में नहीं दिया गया है। इसके अलावा इन केन्द्रों को जो राशि दी जाती है वह समाज कल्याण मंत्रालय देने का काम करता है। इनके देने के बजाये तीन साल तक रामा मण्डी (पंजाब) में एक रिफाइनरी बनी हुई है, जो कि कालांवाली के बिल्कुल साथ लगती है, इस रिफाईनरी के जो लोग हैं उनमें से कुछ सामाजिक लोग भी हैं जो अपने पास से इन केन्द्रों के लिए पैसा देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं इस रिफाईनरी के अंदर जो कर्मचारी हैं वे भी पैसा इक्ट्ठा करके इन केन्द्रों को चलाने का काम करते हैं। इस प्रकार से इन केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार का कोई एक नये पैसे का भी योगदान नहीं है। इस बारे में सरकार के स्तर पर बातें तो बहुत बड़ी–बडी की जाती हैं लेकिन हकीकत में रिजल्ट शून्य ही है। यह सिर्फ सिरसा जिले की बात नहीं है बल्कि इस प्रकार के मामले पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। मंत्री जी को जो आंकडे विभागीय अधिकारियों ने दे दिये वही इन्होंने यहां पर पढ़कर सुना दिये हैं। इन्होंने यहां पर महज भाषण ही दिया है। मैंने बाकायदा तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने लोगों को भेजकर इस बात की जानकारी हासिल की है कि आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले में किस किस्म के हालात हैं? मैं आपके नोटिस में यमुनानगर के हालात के बारे में भी जानकारी लाना चाहूंगा कि यमुनानगर के सरकारी अस्पताल के अंदर नशा मुक्ति केन्द्र के लिए एक बिल्डिंग तय की गई थी। यह बिल्डिंग तय करने के चंद दिन बाद ही गिर गई। इस प्रकार से आज यमुनानगर में नशा मुक्ति केन्द्र तो है लेकिन बिल्डिंग नहीं है। वहां पर कहां बैड लगाये जायेंगे, कहां मरीजों का चैक–अप किया जायेगा और कहां पर डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था होगी इसका कोई भी इंतज़ाम वहां पर नहीं है। जो बैड वहां पर लगाये जाने थे उनको ट्रामा सैंटर के अंदर रख दिया गया। ट्रामा सैंटर के अंदर हर रोज इतनी बड़ी संख्या में एक्सीडैंट के केसिज़ आते हैं कि वहां पर बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। वहां पर 20 बैड नशा मुक्ति केन्द्र के लिए निर्धारित कर दिये गये। अगर ऐसा होगा

तो ट्रामा सैंटर के अंदर जो एक्सीडैंट के केसिज़ आयेंगे उनको कहां पर रखा जायेगा। इस प्रकार से सरकार द्वारा ट्रामा सैंटर और नशा मुक्ति केन्द्र को साथ–साथ चलाने का कार्य किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल के एक कर्मचारी ने अपना नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर यह बताया कि वहां पर प्रति मास नशे की प्रवृत्ति से सम्बंधित 200 से 250 मरीज आते हैं जिनमें से 10 से 12 मरीजों को ही बड़ी मुश्किल से भर्ती किया जाता है और बाकी के लोगों की केवल मात्र पर्चियां काटकर लीपापोती करके उनको यह कह दिया जाता है कि आप कहीं दूसरी जगह जाकर अपना ईलाज करवायें। इसी प्रकार से गुरूग्राम के अंदर भी सामान्य अस्पताल के अंदर नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करने का काम किया गया है। उसमें भी स्टॉफ की बड़ी भारी कमी है। वहां पर नाम मात्र का स्टॉफ है। गुरूग्राम में नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या मात्र दो ही है। इन दोनों में से एक को तो वर्ष 2017 में बंद कर दिया गया और दूसरे को वर्ष 2018 में बंद कर दिया गया जबकि पूरे हरियाणा प्रदेश में नशे का सबसे ज्यादा कारोबार गुरूग्राम में होता है। खासकर जो एम.जी. रोड है उस रोड के ऊपर किस तरह से सरेआम नाईजेरियन लड़के खड़े होकर नशा बेचने का काम करते हैं। वहां पर जगह–जगह पर पुलिस खड़ी होती है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी वहां पर स्मैक की बिक्री की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कल आपको इससे सम्बंधित एक वीडियो दिखाउंगा ताकि उस वीडियो को देखकर आपको वहां के हालात का सही अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से पुलिस की नाक के नीचे नशे का कारोबार हो रहा है। पुलिस की नाक के नीचे का मतलब सीधा–सीधा है कि गुरूग्राम में नशे के इस कारोबार को पुलिस व सरकार का संरक्षण प्राप्त है तभी तो नशे का कारोबार करने वालों को इतनी खुली छूट मिली हुई है। नशे का कारोबार करने वालों ने मैट्रो के एक पार्टीकुलर पोल का नम्बर दिया हुआ है कि उस पोल के नीचे आपको नाईजीरियन लड़का खड़ा मिलेगा। जिनको नशीले पदार्थ लेना होता है वे उस लड़के के पास जाते हैं। वहीं पास में एक गली है जिसमें नशीले पदार्थों की बिक्री की जाती है। वहां पर 24 घंटे पुलिस खड़ी रहती है। वहां पर रेस्टोरैंट को खुलवाने व बंद करवाने तक का काम पुलिस के संरक्षण में होता है। शायद मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी हो। आप गुरूग्राम के किसी भी नागरिक से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि किस प्रकार से गुरूग्राम के अंदर सरेआम धड़ल्ले से नशे का कारोबार हो रहा है। इसी प्रकार से झज्जर जिले में भी 11 नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित हुये थे लेकिन आज सारे के सारे बंद कर दिये गये हैं। रेवाड़ी में भी प्राइवेट नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित

किया गया था जिसमें कोई स्थाई स्टाफ नहीं है। वहां पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। किसी को नहीं पता कि मरीज को किसके पास और कब दिखाना है। इसके साथ–साथ पानीपत में भी सामान्य अस्पताल में भी नशा मुक्ति केन्द्र खोला गया है लेकिन वहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरकारी के साथ–साथ वहां पर 5 प्राइवेट नशा मुक्ति केन्द्र भी खोले गये थे लेकिन वहां पर भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। वहां पर 200–300 मरीज होते हैं लेकिन वहां पर कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जो उनका ईलाज कर सके। भिवानी और दादरी की हालत भी ऐसी ही है और मेवात की भी ऐसी ही स्थिति है। हिसार में केवल एक 10 बैड का हॉस्पिटल है जहां रोजाना मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से नशे को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। आपको जानकार बड़ी हैरानी होगी कि कैसे हरियाणा प्रदेश में एक रैकेट चला हुआ है। आप तो यह कहते हो कि हमने इसकी रोकथाम के लिए बहुत बड़े कदम उठाये हुये हैं लेकिन आज प्रदेश में नशे की हालत बहुत खराब है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक लड़के ने जो ड्रग एडिक्ट था उसने तीन महीने हॉस्पिटल में रह कर नशा करना छोड़ दिया है। नशा छोड़ने के बाद उस लड़के ने जो नशा बेचने वाले लोग थे, जगह–जगह पुलिस को सूचना देकर उनको पकड़वाने का काम भी किया। मैंने स्वयं उस लड़के से पूछा कि कैसे नशे का प्रचलन बढ़ रहा है तथा लोग कैसे इसके आदी हो रहे हैं? किस वजह से वे इसके आदी होते हैं? उसने कहा कि जी मेरा नाम मत लेना। उसने बताया कि मैं जब नशा करता था तो मैं किसी से नशा लेकर आता था तो जो नशा 3 हजार रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से मिलता था वह उन्होंने 50–100 रुपये के हिसाब से थोड़ा–थोड़ा देना शुरू कर दिया। जब उसको कोई व्यक्ति तीन बार ले लेता है तो उसके बाद वह उसका आदी हो जाता है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि स्मैक लेने वाला आदमी तीन बार सेवन करने के बाद उसका आदी हो जाता है और उसके बाद वह उसको छोड़ नहीं सकता है। उसके बाद उसको छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है और उसको छोड़ने के लिए हॉस्पिटलाईज होना पड़ता है। वह कह रहा था कि जब मैं उसका सेवन करता था और मैंने जब उसका तीन–चार बार सेवन किया तो मैं उसका आदी हो गया। आदी होने के बाद मैंने बहुत दिन तक घर से पैसा खर्च किया, बहुत दिन तक परेशानी उठानी पड़ी। मैंने उन लोगों के सामने जा कर कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है और अगर मुझे नशा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तब उन नशा बेचने वाले ने कहा कि आप चार और लड़के नशा खरीदने वाले लेकर आओ तो मैं आपको फ्री में नशा उपलब्ध करवाऊंगा। इस प्रकार से नशे के

कारोबार को बढ़ाने का काम किया जाता है। हमारे सिरसा के डॉक्टर ने स्वयं यह बात बताई। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप यह बताओं कि किस प्रकार के रोगी आपके हॉस्पिटल में ज्यादा आते हैं और किस प्रकार के लोगों को इस किस्म की लत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि रिक्शा चलाने वाले तथा थ्री व्हीलर चलाने वालों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जो ये स्कूल बसों के ड्राइवर हैं ये लोग भी इसी नशे के आदी हैं। इसी कारण सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स इन्हीं लोगों के होते हैं। उन्होंने यहां तक बताया कि 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के बच्चों में जो आदत डाली जाती है वह काम यही लोग करते हैं जो उन बच्चों को रिक्शा, थ्री व्हीलर या बसों में बैठा कर स्कूलों में लाने ले जाने का काम करते हैं। उन लोगों के माध्यम से इस नशे को तेजी के साथ बेचा जाता है और वे लोग इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी, यह बात केवल यहां भाषण देकर पीछा छुड़ाने की नहीं है। आप यह बताओ कि आप उस जड़ तक कब पहुंच पाओगे तथा कब उन लोगों को गिरफ्तार करोगे जो नशे का कारोबार चलाते हैं, जो आगे से आगे रैकेट चलाते हैं? केवल आपने यह कह दिया कि हमने फतेहाबाद के लिए 78 लाख रुपये मंजूर कर दिये हैं। आज आप कहते हो कि 78 लाख मंजूर कर दिये हैं। आप यह बताओ कि आपने जब 18 अक्तूबर को मीटिंग की थी उससे लेकर अब तक आप कितने ऐसे लोगों तक पहुंच पाये और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अब तक आपके पास रिहैबिलिटेशन सैन्टर्स भी ज्यादा संख्या में नहीं हैं। अभी तक आपके पास न ही तो नशा छुड़ाने वाले डॉक्टर्स हैं और न ही आपके पास पर्याप्त स्टाफ है। आपके पास ओ. पी.डी. अटैंड करने के लिए भी पर्याप्त डॉक्टर्स और स्टाफ उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार से बहुत सारे सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए मुख्यमंत्री जी को मेहनतकश बताया है उसी मुख्यमंत्री ने 4 साल में हमारे प्रदेश को पंजाब की तरह ही नशे का आदी बनाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने इस पर समय रहते ध्यान दिया होता तो फिर आज हमारे प्रदेश में नशे का जाल नहीं फैलता। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश बरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले हमारे माननीय सदस्य ने नशा खोरी पर बहुत सी बातें सदन में रखी हैं । नशा खोरी में सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि नशा कहां से आता है, कौन उसका वितरण करता है । जब तक कानून की डंडी की पहुंच वहां तक नहीं होगी तब तक उसकी रोकथाम होनी बड़ी

मुश्किल है । अब यह नशा खोरी एक सामाजिक समस्या बन चुकी है । विशेष तौर से हरियाणा के अन्दर अगर नशे पर लगाम नहीं लगायी गयी तो आने वाली पीढ़ी का विनाश निश्चित है । आज हर वर्ग विशेष तौर पर जो युवा पीढ़ी है चाहे वह खेती–बाड़ी का काम करती हो, चाहे वह पढ़ाई में हो, चाहे वह और कोई धन्धा करती हो वह नशा खोरी की आदी हो चुकी है । आज हम क्योंकि जनता के नुमाइंदे हैं इसलिए समाज में किसी भी तरह की कोई बुराई आती है तो उसकी रोकथाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है । आज हम सबको पता है कि अगर किसी गांव के अन्दर कोई राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रम हो तो शाम के वक्त के बाद कोई कार्यक्रम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है । नशे के लिए चाहे वह अफीम हो, गांझा हो, चर्स हो, भांग हो, शराब हो आदि कोई भी नशा करने का साधन है अगर हर नशे पर नियन्त्रण नहीं लगाया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी का विनाश निश्चित है क्योंकि इससे आदमी की कार्यक्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है । जैसा कि मेरे से पहले बताया गया कि जो हरियाणा दूध दही के खाने के लिए प्रसिद्ध था उसी प्रदेश में आज का नौजवान नशे की भेंट चढ़ता जा रहा है । आज सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जहां से नशा आता है वहां उसकी रोकथाम की जाए । जो लोग इसका वितरण करते हैं उन पर कानूनी लगाम व कानून का डंडा चलाया जाए जिसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है । अगर सरकार इसमें किसी तरह की ढ़िलाई बर्तेगी तो इस नशा–खोरी पर रोकथाम पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा । इसकी जिम्मेवारी समाज के हर व्यक्ति और हर सामाजिक संस्था की है । चाहे वह सरपंच हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो सभी की जिम्मेदारी बनती है लेकिन अगर इसमें सबसे पहले किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वह सरकार की बनती है । आज आप किसी भी गांव में जाकर देख सकते हैं, हर गांव में एक शराब का ठेका अथोराईज्ड है लेकिन हर गांव के अन्दर कम से कम 50 जगह पर शराब बिकती है तो वह किसकी कमजोरी के कारण बिकती है । अगर सरकार की तरफ से इसमें पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने के आदेश दिए जाएं तो निश्चित रूप से नशा खोरी में कमी आएगी । हमारे प्रदेश के साथ चाहे पंजाब की सीमा लगती हो, चाहे राजस्थान की सीमा लगती हो या दूसरे प्रदेश की सीमाएं लगती हों । हमारे यहां नशा दूसरे राज्यों या देश से आता है आज उसको रोकना बड़ा जरूरी है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से सरकारी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए लोक सम्पर्क विभाग में टीमें गठित कर रखी हैं जो गांव–गांव में जाकर सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार

करती है। वह गायन का काम भी करती है या दूसरे माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का काम भी करती है । उसी तरह से क्या सरकार ने नशा खोरी के बारे में भी इस तरह की सांस्कृतिक टीम का गठन कर रखा है ? जो लोगों को इस बात के लिए प्रभावित करे कि नशा बर्बादी का कारण है । **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।)** उपाध्यक्ष महोदया, दूसरी बात नशा खोरी व नशा आने का जो सबसे बड़ा जरिया है वह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की केन्द्र सरकार की संबंधित एजेंसी के साथ इस बारे में कितनी बार बैठक हुई है? ऐसा नहीं कि जवाब दे दिया और बात खत्म हो गई बल्कि यह बताना भी बहुत जरूरी है कि केन्द्र सरकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अफीम, गांजा, चरस या दूसरे अन्य प्रकार के नशे की चीजों पर रोकथाम करने वाली एजेंसीज के साथ कितनी बार मीटिंग्ज आयोजित की गई। तीसरी बात यह है कि जो नशामुक्ति केन्द्र हैं, उनमें से कितने केन्द्रों की जांच हुई है क्योकि सबको पता है कि इन नशामुक्ति केन्द्रों में नशाखोर आदमियों का इलाज कम और आर्थिक शोषण ज्यादा किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उन्हें इन सब बातों के बारे में सदन को बताना चाहिए। धन्यवाद।

श्री वेद नारंगः उपाध्यक्ष महोदया, आज नशाखोरी की समस्या समाज में बहुत ही विकट और भयानक रूप धारण कर चुकी है। अगर इस समस्या को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो यह समस्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को तबाह करने का काम करेगी। पिछले कुछ समय में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले इसका एक सीमित एरिया होता था और यह माना जाता था कि यह समस्या हरियाणा के पंजाब से लगते एरिया तक फैली हुई है लेकिन असल बात यह है कि यह समस्या आज बहुत तेजी से पूरे हरियाणा में फैल चुकी है और खासकर हमारे युवा अर्थात स्कूल व कॉलेज के बच्चे इसके आदी होते जा रहे हैं जिसकी वजह से न केवल हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है बल्कि परिवार के परिवार उजड़ते चले जा रहे हैं। एक बच्चा जो नशे का आदी हो जाता उसे चाहे और कोई सुविधा न मिले चल जायेगा परन्तु वह नशे बिना नहीं रह सकता। नशे के कारण वह घर में मारपीट करने तक भी मजबूर हो जाता है। उस बच्चे के लिए केवल मात्र नशा ही सब कुछ होता है। नशा आज समाज में ऐसा विकराल रूप धारण करता जा रहा है कि आज इसकी वजह से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे है। जो युवा इसको खरीद नहीं पाते वे पैसे के लालच में तरह–तरह की चोरी–लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस तरह की घटनायें समाज में

अपराध के ग्राफ को बढ़ाने का ही काम करती हैं। उपाध्यक्ष महोदया, अगर हमारा पुलिस प्रशासन और सरकार, समय रहते नशे पर अंकुश लगाने वाले पूर्व नियोजित कानून व सिस्टम के हिसाब से काम करते तो आज यह इतना विकराल रूप धारण नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदया, आज माननीय मंत्री जी ने सदन में नशे की समस्या पर आधारित जो आंकड़े पेश किए हैं, उन आंकड़ों में यदि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक के बीच के आंकड़ों को देखें तो साबित हो जाता है कि इस अवधि के दौरान हरियाणा में नशे की समस्या बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ी है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा सरकार से अनुरोध है कि अभी भी समय है, अतः सरकार समय रहते इस समस्या पर अंकुश लगाने का काम करे। धन्यवाद।

श्री मक्खन लाल सिंगलाः उपाध्यक्ष महोदया, मेरे सिरसा जिले में नशामुक्ति केन्द्र में पर्याप्त बैड की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां जो युवा पीढ़ी है वह नशे की चपेट में लगातार आती जा रही है। नशे के आदती बच्चे, नशे के लिए घर में तथा बाहर चोरी करते फिर रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कालेज व स्कूल के बच्चे तक नशे के लिए चोरी करने लग गए हैं। अतः मेरा निवेदन है सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या पर कंट्रोल करना चाहिए।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आज सदन में अपनी कंस्टीट्चुएंसी में व्याप्त नशे की समस्या के विषय पर अपनी बात रखूंगी। आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा नशे की समस्या अगर कहीं है तो वह सिरसा जिले के डबवाली हल्के में है। यह नशा पड़ोसी राज्य पंजाब, दिल्ली और राजस्थान से लगातार सप्लाई हो रहा है क्योंकि पंजाब और राजस्थान की सीमायें डबवाली के साथ लगती हैं। यहां पर हर गांव, घर, गली तथा मोहल्ले में या यूं कहें कि पूरे डबवाली शहर में 10 साल के बच्चे से लेकर 55 साल तक का आदमी भी नशा ले रहा है। अभी पिछले दिनों जब हमारे यहां मानावाली गांव में 90 वर्ष की एक महिला जोकि पूरे गांव में फैले नशे की समस्या से बेहद परेशान थी, ने चीख–चीखकर बोलते हुए एक वीडियो बनाकर, यह दिखाने का काम किया था कि पूरे गांव में फैले नशे की समस्या कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है और वह उससे कितनी परेशान है। मुझे यह मालूम नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंची या नहीं पहुंची। उपाध्यक्ष महोदया, इस 90 वर्ष की महिला का 10 साल का खुद का पोता भी नशे का इतना ज्यादा आदती बन चुका है कि वह ठीक से चल तक नहीं पाता और आज के दिन वह बैड पर है। उपाध्यक्ष महोदया, डबवाली में किसी भी घर में चले जाओ हर जगह नशे की समस्या देखने को मिलेगी। मैंने अभी

अपनी कंस्टीचुएंसी में 42 गांवों का दौरा किया। मैं 35 गावों में तो घर घर जाकर आई हूं। यहां के निवासियों ने मुझे शिकायत देते हुए बताया कि जो हरियाणा के नशामुक्ति केन्द्र हैं वहां पर नशे के शिकार लोगों को नहीं लिया जा रहा है और अगर पंजाब में नशामुक्ति केन्द्र में जाते हैं तो यहां पर नशा छुड़ाने का इलाज बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि सरकार को डबवाली जैसे शहर में नशा मुक्ति केन्द्र के लिए ज्यादा सहूलियतें प्रदान करनी चाहिए। देसु जोधा गांव में नशा बहुत ज्यादा होता है। उस गांव के बच्चों से जब मैं मिलकर आई तो मुझे 50–60 बच्चों के माता–पिता इकट्ठे होकर यह कहते हैं कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए ओपन जिम जैसी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें। सरकार को स्कूलों में नशा मुक्ति के लिए नाटक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि हमारे बच्चे उन कार्यक्रमों को देखें और नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा सके। उपाध्यक्ष महोदया, डबवाली में जब मैं पिछले शनिवार को रात साढ़े दस बजे के करीब आ रही थी तो मैंने रोड पर देखा कि 2 लड़के और 6 लड़कियों ने चिट्टा ले रखा था और रोड के बीचोबीच नशा करते हुए डांस कर रहे थे। जब मैं उनके पास रुकी तो उनको कोई होश नहीं था कि उनके पास कौन खड़ा है। आज डबवाली में सबसे ज्यादा नशा चिट्टा का चल रहा है। इस प्रकार से सरकार को चिट्टे के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो यह कहती हूँ कि सरकार का राहगिरी मैराथन कार्यक्रम काबिले तारीफ होता है क्योंकि उस प्रोग्राम में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। सरकार को वैसे ही चिट्टा के खिलाफ इस प्रकार का कार्यक्रम चलाना चाहिए। मैं तो यह कहती हूँ कि सरकार को हर निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को इक्ट्ठा करके नशे के खिलाफ नाटक प्रोग्राम के जरिए एक मुहिम चलानी चाहिए तभी हम काफी हद तक इस चिट्टा के सेवन से अपने बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। मैं सरकार से यह भी कहती हूँ कि जो बच्चे चिट्टा का सेवन करते हैं वे बच्चे एक महीने के अंदर इस लत को नहीं छोड़ सकते हैं। जिन बच्चों को चिट्टा लेने की लत लगी हुई है उन्होंने मुझे बताया कि जब वे दोबारा से अपने मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो ड्रग माफिया के लोग उनके सम्पर्क में आ जाते हैं और दोबारा से उन्हें चिट्टा लेने पर मजबूर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, सिरसा के अंदर मुझे किसी इलैक्ट्रीशियन ने बताया कि जब मैं किसी के घर पंखा ठीक करने गया तो वहां की औरतें अपने घरों में चिट्टा की पुड़ियां बना रही थीं और जब मैंने उनका पंखा ठीक कर दिया तो उन औरतों ने कहा कि हमारे पास देने के लिए पैसे

नहीं है, इसलिए आप चाहो तो पैसे के बदले चिट्टे की पुड़ियां ले जा सकते हैं। इस प्रकार से सिरसा, डबवाली, कालांवाली आदि शहरों में इस नशे का जाल बिछा हुआ है। सरकार को इस नशे के विरूद्ध एक मुहिम चलाकर लोगों को निजात दिलाने का काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, पहले तो हरियाणा प्रदेश के बारे में यह कहा जाता था कि 'देशां में देस हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना'। मैं तो यहां तक कहती हूँ कि हरियाणा का नाम हरि (भगवान) के नाम पर ही पड़ा है। आज उसी हरियाणा में मुझे नहीं लगता है कि हम आने वाली पीढ़ियां में किसी युथ को देख भी सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक माँ होने के नाते इस महान सदन से कह रही हूँ कि जब हम डबवाली हल्के में जाते हैं तो बुढ़ी औरतों को सुबकते–सुबकते रोते हुए देखते हैं और वे औरतें हमसे कहती हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को इस लत से मुक्ति दिला दो। उपाध्यक्ष महोदया, क्या हरियाणा सरकार के पास इस नशा को छुड़वाने का कोई इलाज नहीं है? सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि यह नशा आता कहां से है? सरकार ने सिरसा में नशा को रोकने के लिए पुलिस वालों की ड्यूटियां तो शहरों, मेन हाई–वे आदि जगहों पर लगा रखी हैं लेकिन यह नशा साइकिल के द्वारा खेतों के जरिए से सिरसा में आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे पता चला है कि किलोमीटर के हिसाब से नशा बेचने वालों का रेट फिक्स किया हुआ है। यदि कोई आदमी पैदल चलकर इतनी दूरी तक इस नशे को पहुँचायेगा तो इतने पैसे मिलेंगे। यदि कोई आदमी साइकिल के जरिए नशे को निश्चित स्थान पर पहुँचायेगा तो इतने पैसे मिलेंगे और यदि कोई आदमी अपने प्राइवेट साधन से नशे को निश्चित स्थान पर पहुँचायेगा तो इतने पैसे दिए जायेंगे। इस प्रकार से खेतों के जरिए चिट्टा सिरसा शहर में आ रहा है और सरकार को इस प्रकार की सोची–समझी चालों पर अंकुश लगाना चाहिए। आज यह अलग बात है कि सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए लोग घरों से बाहर रामलीला वगैरह भी कम देखना पसंद करते हैं लेकिन सरकार को रामलीला की तरह ही नशा मुक्ति के लिए कोई नाटक वगैरह के कार्यक्रम गांवों में आयोजित करने चाहिए। मुझे लगता है कि घरों की औरतें अपने बच्चों को लेकर नशा के खिलाफ आयोजित नाटकों को देखने के लिए जरूर आयेंगी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी खराब न हो । नशे से बच्चों को दूर करने पर आपको हरियाणा की माताएं और युथ दोनों दूआएं देंगे । इसके लिए सरकार को खेल और योग आदि पर ध्यान देना चाहिए । हरियाणा के गांवों में आप चाहे कहीं चले जाओ कहीं पर योगा सैंटर्ज नहीं हैं । मैं डबवाली हल्के से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं डबवाली हल्के की बात करूंगी । वहां पर सरकार को अच्छे योगा

इंस्ट्रक्ट्र्स लगाने की आवश्यकता है जिससे युवा योगा करना सीख सकें । हमारे गांवों में ओपन जिम नहीं है । देसूजोधा गांव के बहुत–से युवा हैं जो डिमांड करते हैं कि हमारे गांव में जिम की सुविधा होनी चाहिए । जगमालवाली, देसूजोधा और कई अन्य गांवों के लड़के नशे की चपेट में हैं और यहां के युवा नशे को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इन गांवों में जिम की सुविधा दी जानी चाहिए । इसके अलावा मेरा आपसे कहना है कि आप हरियाणा पुलिस को थोड़ा–सा अलर्ट कीजिए क्योंकि नशे की सप्लाई का काम पुलिस के साथ मिलकर हो रहा है । इसके अलावा मेरा विचार है कि हरियाणा में नशे का खात्मा सिर्फ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ही कर सकते हैं ।

श्री करण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर मैडम, आज सदन में शराब और अन्य नशों के ऊपर चर्चा हो रही है जोकि बहुत अच्छा विषय है । कुछ ही दिनों बाद हरियाणा विधान सभा के चुनाव आने वाले हैं । इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब विधान सभा, ग्राम पंचायतो और अन्य संस्थाओं के चुनाव होते हैं तो इनमें सरेआम शराब बांटी जाती है । मेरे विचार से हम विधायकों में से भी मुश्किल से कोई एक–आध विधायक होगा जो चुनावों में वोटों के लिए शराब न बंटवाता हो । इसके लिए बाकायदा कॉलोनियों और गांवों में लोगों को इंगित किया जाता है कि वहां पर शराब भेजनी है और वोटों के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपनाये जाते हैं । आज सदन में बहुत अच्छे मुद्दे पर चर्चा हो रही है और इस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी सदन में बैठे हुए हैं । आज अगर नशेबन्दी के लिए कोई अच्छा कदम उठाया जाए तो यह हमारे प्रदेश पर इस सरकार का बहुत बड़ा अहसान होगा । इसके लिए आपको आर.पी.ए. (रिप्रेजैंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) में अमैंडमैंट का एक प्रस्ताव हरियाणा विधान सभा से भेजना होगा । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है । आर.पी.ए. में डिस्क्वालिफिकेशन की शर्तें हैं लेकिन अगर इसमें एक शर्त और जोड़ दी जाए तो हम इससे नशे पर गहरी चोट कर सकते हैं । वह शर्त यह है कि अगर कोई भी विधायक या सांसद चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरीके से शराब का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसको डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा । इसी तरह पंचायती राज चुनावों के एक्ट में भी यह प्रावधान कर दें तो हरियाणा में नशेबन्दी/शराबबन्दी पर बहुत अच्छी रोक लग सकती है ।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया और सभी सभासदों, आज चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सदन में बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है । नशा पूरे समाज के लिए एक

रोग है । यह आज से शुरू नहीं हुआ बल्कि काफी समय से चला आ रहा है । ऐसे में मैं नहीं मानता कि पिछली सरकारें भी इस रोग से अछूती रही हैं । मेरे विचार से वे सरकारें अपना दायित्व पूर्ण रूप से नहीं निभा पाई । मैं सदन में नशे को रोकने के लिए एक–दो सुझाव रखना चाहूंगा जिनको मैंने अपने तरीके से अपने हल्के में एक समाजसेवी के नाते से प्रयोग किया था । जब मैं छोटा था तो उसी समय से हम नशे/शराब के आदि लोगों का शिविर लगाकर उनका नैचुरोपैथी के माध्यम से नशा छुड़वाने का प्रयास करते थे । वह शिविर वैद्य बिजेन्द्र सिंह जी की सहायता से लगाया जाता था । वैद्य जी माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल के पड़ोसी हैं और ये उनको जानते भी हैं । वे नैचुरोपैथी के माध्यम से इलाज करते थे जिसमें एनीमा करना, लोगों को मोटिवेट करना और उपवास कराना शामिल था।

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदयाः यदि हाऊस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजेंः ठीक है, मैडम।

उपाध्यक्ष महोदयाः ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

———————————

राज्य में मादक पदार्थों की लत के कारण बढ़ते अपराध के साथ सामाजिक चुनौतियों के बारे में स्थगन प्रस्ताव संख्या– 1 पर चर्चा की स्वीकृति (पुनरारम्भ)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवासः उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रकार से सात दिन के शिविर में संबंधित लोगों के शरीर में जो विकार होते थे वे बाहर निकलते थे और प्राणायाम करवाने से स्नायु तंत्र शांत हो जाता है। इससे नशे की जो भूख लगती है, वह शांत हो जाती है। इसके बाद संबंधित लोगों को मोटिवेट करके हवन पर बैठाया जाता है और उनको कसम दिलायी जाती है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा और अच्छे माहौल में रहकर अच्छे संस्कार ग्रहण करूंगा। इस तरह के काम से 20–30–50 लोग सामूहिक तौर पर नशा छोड़ते हैं। हमने इस तरह के शिविर लगातार किये और यह परम्परा हमारे वैदिक आश्रम में चल रही है। यहां पर लोगों का फ्री में इलाज करवाया जाता है। इसी के साथ हमारी ऐसी प्राचीन विधाएं हैं जिनको आज आयुष नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त हौम्योपैथी के भी ऐसे डॉक्टर्ज हैं जो नशा छुड़वाते हैं। हमारी फिजियोथैरेपी में भी ऐसे सूत्र हैं जिससे डॉक्टर्ज नशा छुड़वाने का

काम करते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम नशा छुड़वाने के लिए सरकार पर ही निर्भर रहें। जो डॉक्टर्ज अंग्रेजी दवाइयों से इलाज करते हैं उनके बारे में तो जानकारी नहीं हैं कि वह इलाज कितने दिनों तक कारगर रहता है। लोगों से नशा छुड़वाना बहुत अच्छा काम है और समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी सेवा करना चाहते हैं और करते भी हैं। हम कई बार यह बात सुनते हैं कि जैसे हमने कुछ शराब से भरे ट्रक पकड़वा दिये और दूसरे दिन उनकी जमानत हो जाती है। जब संबंधित एस.एच.ओ. से पूछते हैं कि इनकी जमानत क्यों की गयी तो कहा जाता है कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक्साईज एक्ट में इनका चालान होता है और केस कोर्ट में जाते ही उनकी बेल हो जाती है क्योंकि नियम ही कुछ ऐसे हैं। अगर इस तरह से जमानत हो जाएगी तो लोगों में कोई डर नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम इस बारे में कानून बनाकर सख्ती करें तो समस्या का समाधान हो सकता है। नशा छोड़ने में सबसे बड़ा संकल्प मन का होता है। अगर हम सभी माननीय सदस्य अपने–अपने हल्के में नशा छुड़वाने के लिए दिल से जुट जाएं तो नशे की समस्या का समाधान करवाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से गीता का प्रचार किया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। गीता का एक–एक शब्द मन में उतरता है तो मनुष्य प्रकाशित हो जाता है और स्नायु तंत्र जागृत होता है जिससे सही सोच बनती है। अभी माननीय सदस्या बता रही थी कि रामलीला, रामायण, कथावाचक और दूसरी बहुत सी शिक्षाप्रद कहानियां हैं। हमारा संत समाज और आप जैसे विद्वान सही उद्देश्य के साथ पूरे मनोयोग से यह सोच लें कि अपने–अपने क्षेत्रों में लोगों को जागृत करेंगे और धार्मिक प्रचार करें, जिससे लोगों को ज्ञान भी मिले। लोगों को सेहत के बारे में भी जागरुक करें और माता–पिता भी अपने बच्चों को जागरूक करें। नशे की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा निर्देश दिये जाएं ताकि गुरू और शिक्षक भी सभी स्कूल्ज में बच्चों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरुक कर सकें। जब समाज जागरूक होगा तो नशे की रोकथाम का कार्य पूरा होगा। मैं नहीं समझता कि नशे की रोकथाम के लिए सरकार के पास ऐसा कोई जादू है जो नशे की बुराई का अन्त कर सके। मेरा इतना ही सुझाव था। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट

करती हूं। मैं इस बात के लिए भी अध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को एडजर्नमैंट मोशन के तौर पर स्वीकार किया है और इस विषय पर बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है। इस विषय के बारे में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया जिसमें यह जानकारी दी गयी है कि नशे की रोकथाम करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ मिलकर क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? मेरा कहना है कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है जिसकी चपेट में न केवल हरियाणा और पंजाब राज्य हैं बल्कि ऐडजॉइनिंग जितने भी स्टेट हैं वे भी इससे अछूते नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि आज सबसे ज्यादा नशे की लत हमारे युवाओं में है और युवाओं के साथ साथ सबसे ज्यादा नशे की लत हमारे एजुकेशन इंस्टीच्यूट्स में है। प्रदेश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रैशन में हैं। नशे का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम बच्चों को उनके क्वालीफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आज के समय में बच्चों के अभिभावकों और समाज को उन बच्चों से इतनी ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ गयी हैं कि बच्चे जिस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, उनको उसी फील्ड में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके कारण वे डिप्रैशन में चले जाते हैं और उसकी वजह से वे नशा करने लगते हैं। आज के समय में हमारे प्रदेश के साथ–साथ इसके आस–पास के प्रदेशों में भी नशा बहुत ज्यादा बढ़ा चुका हैं और इसकी रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जरूर प्रयास किये जाने चाहिएं। नशा को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का भी सजग होना बहुत आवश्यक है। कई जगहों से ये भी शिकायतें आती हैं कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ही ये सारे अधिकतर काम किये जाते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि इसके लिए सजा का जो प्रावधान है, उसका निष्पादन सही ढंग से होना चाहिए। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जगह और एरिया सारा का सारा बताया, जहां पर इसके कारोबार होते हैं और मैं अभी भाई श्री करण सिह दलाल जी को भी सुन रही थी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बात कही कि हम लोग इस सदन में जनता के द्वारा चुने हुये नुमाइंदे हैं और हम लोग आज इस सदन में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश में ड्रग नहीं बिकना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि चुनाव में इन सब चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करके पॉलिटिकल बैनीफिट लेने का भी काम किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और प्रदेश की तरक्की से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उपाध्यक्ष महोदया, आजकल सभी जगहों पर जो व्यायाम शाला बने हुये

हैं, जहां पर बच्चे अपनी फिटनेस ठीक करने या बॉडी–बिल्डिंग के लिए जाते हैं, वहां पर उनको यह कहा जाता है कि आपको व्यायाम करने के बाद एनर्जी के लिए प्रोटीन लेना है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि अधिकतर प्रोटीन्स विदेशों से आते हैं। उस प्रोटीन में भी कहीं न कहीं ड्रग की मात्रा होती है और बच्चे आहिस्ता–आहिस्ता उसका सेवन करने लग जाते हैं और वे इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनको वह लत कब लग गई। उन बच्चों को उसका इतना ज्यादा स्वाद बैठ जाता है कि वे उसको छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारा फूड एण्ड ड्रग्स डिपार्टमैंट जो हैल्थ डिपार्टमैंट के अंतर्गत आता है, उसे भी इसके लिए सजग होने की आवश्यकता है। हमारे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स अवलेबल हैं, उनमें बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर एल्कोहल की मात्रा लिखी होती है, लेकिन बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर एल्कोहल की मात्रा नहीं लिखी होती है। इसलिए सरकार अगर इस चीज का प्रचार–प्रसार करे और लोगों को बताये कि कौन–कौन से प्रोड्क्स ऐसे हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार से ड्रग्स की मात्रा है ताकि उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लोग न करें। कई देश ऐसे हैं, जहां पर डॉक्टरों की सलाह के बिना मरीजों को कोई भी दवाई नहीं दी जाती है, लेकिन हमारे देश में हम लोग झोला–छाप डॉक्टरों की सलाह पर, दूसरे डॉक्टरों की सलाह पर या स्वयं भी इस तरह की दवाइयों का सेवन करने लगते हैं, जिसके कारण हम कई बार उन दवाइयों के अभ्यस्त होने लग जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं जानती हूं कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सरकार को इस विषय को और भी ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के साथ–साथ जो युवा इन नशीले पदार्थों की चपेट में आ चुके हैं, उनको ज्यादा–से–ज्यादा अवेयर किया जाए और जो एजुकेशन इंस्टीच्यूट्स, हॉस्टल्ज और फूड पार्क्स हैं, वहां पर खास तौर से रेड होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार को 100 फीसदी यह कम्पल्सरी कर देना चाहिए कि जो भी बच्चा किसी भी एजुकेशन इंस्टीच्यूट्स में नामांकन लेगा, उसका मेडिकल चैक–अप किया जायेगा और it should be a regular feature because this is a very-very serious matter and it has to be taken very seriously also. हमने भी अपनी सरकार के कार्यकाल में एक बार एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बच्चों के मेडिकल कार्ड बनाये थे। इसलिए मैं समझती हूं कि अगर एजुकेशन इंस्टीच्यूट्स में 100 परसेंट बच्चों का

मेडिकल चैक–अप होगा तो बच्चे इस डर से भी नशीले पदार्थों के सेवन करने से बचने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हॉस्पिटल्ज में नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या अलग से हैं, लेकिन उनका प्रावधान नहीं है और उनमें अलग से डॉक्टरों की नियुक्ति का भी प्रावधान नहीं है। नशा मुक्ति केन्द्रों को कुछ एन. जी.ओज. चलाते हैं। इन नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रांट का प्रॉविजन नहीं है, इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगी कि हमें इस तरह के एन. जी.ओज. और सैल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता लेकर आनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारा देश युवाओं का देश है और हमारे देश में 65 परसेंट आबादी युवाओं की है तथा हमारा यंगिस्तान (युवा) इन नशीले पदार्थों की चेपट में है। हम लोगों ने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारी माताओं और बहनों ने दारू के ठेके फूंक दिये और ठेकों पर मार–पिटाई हो गई है। उपाध्यक्ष महोदया, नशे के कारण हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उनके काम–धंधे बंद हो गये हैं, लेकिन नशा बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इस ओर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए और हम सबको भी गंभीर रहना चाहिए। इस गंभीर विषय को आज इस सदन के अंदर न केवल डिस्कस करके बंद कर देना चाहिए, बल्कि सरकार की तरफ से निरंतर इसके लिये प्रयास किये जाने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को कहना चाहूंगा कि ये हमारे पुराने साथी हैं क्योंकि हम तो पहली बार इस महान सदन में चुनकर आये हैं और आप सभी माननीय सदस्यों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं तो इनसे इससे भी आगे बढ़कर कुछ और कहना चाहता हूं। श्री अभय सिंह चौटाला जी ने सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है, मैं उसमें दो तीन लाईनें और एड करना चाहता हूं। श्री अभय सिंह चौटाला जी ने यमुनानगर, गुरूग्राम और पानीपत जिलों में बढ़ते हुए नशे की तरफ संकेत किया है कि वहां जो नशा मुक्ति केन्द्र बनाये गये हैं उनमें बहुत कमियां हैं। इन्होंने यमुनानगर की बात कही कि वहां नशा मुक्ति केन्द्र की बिल्डिंग गिर गई। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां पर 200 बैड का सिविल अस्पताल बनाने जा रहे हैं और वह लगभग कम्पलीट होने वाला है। उसमें भी नशा मुक्ति केन्द्र को अच्छे बैड की संख्याओं के साथ शिफ्ट करने का काम करेंगे। इन्होनें गुरूग्राम के बारे में जिक्र किया कि यह दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया है। यह पॉश एरिया भी है और यहां पर

विदेशियों का आना–जाना भी लगा रहता है। उपाध्यक्ष महोदया, वहां पर भी 500 बैड का अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारी सरकार का यही प्रयास रहेगा कि इस अस्पताल में बैड्स को अच्छे पोर्शन के साथ उपलब्ध करवाया जाये और इसके लिए डिपार्टमैंट ने बजट प्रोविजन की फाईल भी तैयार कर ली है। इसी प्रकार का पानीपत में 200 बैड का अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है। उपाध्यक्ष महोदया, सदन में जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी ने नशे के प्रति अवेयरनेस कैम्प लगाने के लिए बहुत अच्छी और बड़े ही विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को सिरसा जिले की बात बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सान्निध्य में लगभग 60 हजार लोगों ने नशे के खिलाफ मैराथन दौड़ लगाई थी। जब से हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनी है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार विशाल हृदय के साथ आगे बढ़कर इस मुहिम के खिलाफ अभियान छेड़ा है। मैं इसके अलावा सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इसमें किसी भी माननीय सदस्य को अदरवाईज लेने की जरूरत नहीं हैं। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों ने इस प्रकार के आयोजन नहीं किए थे। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार आगे बढ़कर यह मुहिम चलाई है। मान लो चार–पांच स्टेटों ने इस मुहिम को लागू कर दिया और साथ लगती हुई जो स्टेट्स हैं उन्होंने इस मुहिम का अनुसरण नहीं किया तो स्वाभाविक सी बात है कि यह चीज खत्म होने वाली नहीं है बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसका बेड इफेक्ट पड़ेगा। नशे को रोकने के लिए पहली बार पांच प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने आपस में इस बात का चिंतन किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे यह बात बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार तो कैप्टन अमरिन्द्र सिंह जी जोकि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वयं आकर के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मैं पंजाब में इस मुहिम को होस्ट करूंगा क्योंकि पंजाब के लोग नशे से ज्यादा पीड़ित हैं इसलिए मैं इस विषय से संबंधित यही कहना चाहूंगा कि यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमैंट है। इसके साथ–साथ माननीय सदस्य ने एक सवाल किया था कि नशे के लिए लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जायेगा? हमने इस मुहिम को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रोविजन किए हैं। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों को अपने डिपार्टमैंट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें रेड क्रॉस के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, हमारे समाजसेवी संस्थाओं द्वारा, हमारे एजूकेशनल संस्थाओं द्वारा और हमारे प्रदेश में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे डिपार्टमैंट ने नौ कैटेगरी के अवॉर्ड देने का प्रोविजन किया है। हमने इसमें तीन प्रकार की कैटेगरी

बनाई है। इसमें पहला प्राईज 50 हजार रुपये, दूसरा प्राईज 30 हजार रुपये और तीसरा प्राईज 20 हजार रुपये का रखा है। यह योजना लोगों को नशे के खिलाफ अवेयरनेस के लिए डिपार्टमैंट की तरफ से बनाई गई है। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि ये थ्री टियर सिस्टम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होम डिपार्टमैंट का, सैंकिड रोल हैल्थ डिपार्टमैंट का और थर्ड रोल सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमैंट डिपार्टमैंट का होगा। हमें इन तीनों डिपार्टमैंट्स के सहयोग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं बड़े नम्र हृदय के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह सत्र हमारी सरकार का आखिरी सत्र है और मैं कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं कहूंगा। मेरी बात शायद किसी को पिंच भी हो सकती है इसलिए मैं एडवांस में ही सॉरी बोल देता हूं । हम मानते हैं कि प्रदेश में साईकैट्रिस्ट डॉक्टरों की जबरदस्त कमी है। इस बात के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं, उन लोगों को अपने अंदर ही इस बात को टटोलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, इस सरकार में दो बार बड़े लैवल पर 5 हजार से लेकर 10 हजार तक पुलिस की भर्तियां की गई हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सब–इन्सपैक्टर के लैवल की भर्ती भी काफी लम्बे अंतराल के बाद इस सरकार में हुई है। जब श्री ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने डायरैक्ट सब–इंस्पैक्टर्ज की भर्ती की थी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार के समय में सब–इंस्पैक्टर्ज़ के पद पर डॉयरैक्ट भर्ती हुई हो। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में फोर्सिज़ की कमी थी यह बात हम सभी को स्वीकार करनी पड़ेगी। पुलिस के सहयोग के बिना प्रदेश में नशे के कारोबार की रोकथाम करना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास जितने भी सोर्सिज़ हैं उन्हीं का सही इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रदेश के भविष्य को बचाने के लिए हमारा पूरा डिपार्टमैंट और माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से वचनबद्ध और कटिबद्ध हैं। यह विश्वास मैं पूरे सदन को दिलवाना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य द्वारा यह भी पूछा गया है कि जो ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनका काम विदेशों से स्मग्लिंग होकर आने वाले नशीले पदार्थों की रोकथाम करने का क्या उनके साथ सरकार का कोई तालमेल है? इस सम्बन्ध में मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि इस मामले में हरियाणा में एक हाई पॉवर कमेटी बनी हुई है जिसके चेयरमैन, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा 05 नवम्बर, 2018 को अमैंडमैंट की है। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, होम डिपार्टमैंट, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, हैल्थ एण्ड फैमिली वैलफेयर डिपार्टमैंट, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सोशल जस्टिस एण्ड एम्पॉवरमैंट, डॉयरैक्टर

जनरल ऑफ पुलिस, हरियाणा, डॉयरैक्टर जनरल, प्रिज़न डिपार्टमैंट, हरियाणा, डॉयरैक्टर जनरल हैल्थ सर्विसिज़, हरियाणा, संयुक्त निदेशक, आई.बी., हरियाणा, ज़ोनल डॉयरैक्टर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली और इंसपैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्राईम, हरियाणा इस समिति के सदस्य हैं। इस प्रकार से हरियाणा लैवल पर इन उच्च अधिकारियों की कमेटी इस मामले में महत्वपूर्ण योजना बनाने के लिए बनाई गई है। इस सम्बन्ध में सरकार की मंशा में कहीं भी कोई खोट मुझे नहीं लग रहा है। माननीय करण सिंह दलाल जी ने यह कहा है कि जो लोग नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनको किसी भी पार्टी द्वारा अपनी टिकट नहीं दी जानी चाहिए। मेरा भी यह मानना है कि जो नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ हो चुकी है और जो सजायाफ्ता हैं अर्थात् जो जेल में रहकर आये हुए हैं अगर वे चुनाव लड़ें तो उनको किसी भी पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए। अगर इस प्रकार के लोगों को किसी भी पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जायेगा और सरकार के स्तर पर चलाये जा रहे नशे विरोधी अभियान को भी गहरा धक्का लगने की सम्भावना है। (विघ्न) चौधरी अभय सिंह जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बहुत ही संवेदनशील विषय को हाउस में चर्चा के लिए रखा और सभी माननीय साथियों ने इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा की इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते जितने अच्छे काम कर सकता था उतने अच्छे काम करने का मैंने प्रयास किया है। सभी माननीय सदस्यों के बहुत अच्छे सुझाव आये हैं उनके ऊपर और गहराई से चिंतन और मंथन करेंगे और जितने दिन का भी समय अभी राज्य के विधान सभा चुनावों में पड़ा है उस दौरान और ज्यादा अच्छे प्रयास करने का काम करेंगे।

श्री जय प्रकाश (कलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, अगर शराब की किसी डिस्टलरी में से शराब चोरी हो जाती है तो उसमें पुलिस डिपार्टमैंट को इंवॉल्व करना चाहिए। अगर डिस्टलरी में से शराब निकले तो उसके लिए सम्बंधित मंत्री जी की भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और उसे भी टिकट नहीं मिलनी चाहिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : डिप्टी स्पीकर मैडम, हरियाणा प्रदेश में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए यहां पर एक सुझाव यह भी आया है कि जो ड्रग्ज के कारोबार में चेन सिस्टम है उसको भी तोड़ा जाये। जैसे एक आदमी ड्रग्ज की खेप के साथ पकड़ा गया तो यह पता लगाया जाये कि वह उसको कहां और किससे लाया। इसके लिए जो अलग–अलग नशे हैं उनके चेन सिस्टम का पता लगाने के लिए

अलग–अलग एस.आई.टी. गठित की जाये। जब तक ड्रग्ज कारोबार के चेन सिस्टम की जड़ तक नहीं पहुंचा जायेगा कि वो कहां बनती हैं वे कौन लोग हैं जो इसकी सप्लाई करते हैं, वह कौन से देश से आती है और वह किस तरह से आती हैं तब तक प्रदेश में नशे के कारोबार पर लगाम लगाना सम्भव नहीं है। जब सरकार के स्तर पर एक सिस्टम बनाकर उस चेन की जड़ तक पहुंचा जायेगा तभी पता चलेगा कि उसका वास्तविक डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। अगर ऐसी व्यवस्था की जायेगी तभी सरकार की यह पॉलिसी कारगर सिद्ध हो पायेगी।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि सामाजिक न्याय विभाग में जो एन.जी.ओ. और सैल्फ हैल्प ग्रुप्स काम करते थे जो अब बंद हो गये हैं अगर उनमें से कुछ अच्छे एन.जी.ओ. और सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को छांटकर उनके लिए ग्रांट का प्रावधान कर दिया जाये तो वे काफी हैल्पफुल साबित हो सकते हैं।

श्री ललित नागर : उपाध्यक्ष महोदया, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से शराब के ठेकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पहले एक गांव में एक ही शराब का ठेका होता था क्या अब सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि एक गांव में 4–4 ठेके खोले जा सकते हैं? इसी प्रकार से हमारे फरीदाबाद में मेन रोड, बाई पास रोड, गांव वाले रोड तथा बाई पास पर तो ग्रीन बैल्ट में भी ठेके खोल दिये गये हैं। ग्रीन बैल्ट में तो जमीन का किराया भी नहीं देना पड़ता है और न ही जमीन खरीदनी पड़ती है। एक ही दिन में वहां पर एक बॉक्स रख लेते हैं और सुबह–सुबह ठेका खोल कर बैठ जाते हैं। इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अगर शराब के ठेके कम होंगे और दूर–दूर होंगे तो शराब कम बिकेगी और नशे का कारोबार कम होगा, इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा भी एक सुझाव है। अगर हर चुनाव लड़ने वाले का डोप टैस्ट कम्पलसरी कर दिया जाये तो नशा कम होगा।

श्री कृष्ण कुमार बेदीः उपाध्यक्ष महोदया, गीता भुक्कल जी ने एन.जी.ओ. के बारे में जो बात कही है वह ठीक है और पहले भी काफी संख्या में एन.जी.ओ. काम करते थे लेकिन अभय सिंह जी ने अपने स्थगन प्रस्ताव में इस बात का जिक्र करते हुये कहा है कि सरकार ने इसका दायित्व स्वयं सेवी संस्थाओं पर छोड़ दिया है। इसलिए एन.जी.ओ. पर तो प्रश्न चिह्न लग गया है। हालांकि बहुत से एन.जी.ओज. अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अभय सिंह जी के सवाल से तो उन पर भी शक होता है। जिस प्रकार से डॉक्टर कादियान ने कहा कि इस नेटवर्क को ही खत्म करना चाहिए इस बारे में भी

सरकार विचार कर रही है। अभी वह कार्य प्रिलिमिनरी स्टेज पर है और अभी इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अभी सदन में ही बात हुई है। अभी तक नशे का सेवन करने वाला ही पकड़ा जाता था लेकिन "हरकोका" के तहत इसके बाद हम इससे भी आगे के बारे में गहराई से विचार कर रहे हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसमें कहीं न कहीं आपकी मशीनरी भी शामिल है।

श्री कृष्ण कुमार बेदीः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य डॉक्टर कादियान का सुझाव हमने नोट कर लिया है और जब वह विषय आयेगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। सामान्य स्थिति यह है कि जो फोर्सिज हैं और स्वास्थ्य विभाग है इनके साथ मिलकर नोडल डिपार्टमैंट के तौर पर हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग काम कर रहा है। आप सभी सदस्यों ने इस बारे में जो भी हाउस में चर्चा की है तथा सुझाव दिये हैं उसको हमारे विभाग के अधिकारियों ने भी नोट कर लिया है तथा हाउस की कार्यवाही में भी ये बातें आ गई हैं। हम उन सुझावों को लागू करने का काम करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूं।

.....

वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

उपाध्यक्ष महोदयाः अब वित मंत्री, वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

वित मंत्री(कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्रीमती प्रेमलता, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति, वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

Chairperson, Committee on Estimates (Smt. Prem Lata) : Madam, I beg to present the report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2019-2020(First Instalment).

वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2019–2020 के अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा।

पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमाड्ज (संख्या 1 से 27, 29, 30, 32, 34 से 43 तथा 45) एक साथ पढ़ी और पेश की गई समझी जायें। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर उन मुद्दों तक सीमित रखें जिनसे वे जुड़ी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष विषयों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,45,18,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **1–विधानसभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 62,84,70,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **3–सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 9,45,49,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **4–राजस्व** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 24,81,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **5–आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 14,43,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 6—**वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 65,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 7—**आयोजना एवं सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 27,45,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 459,76,47,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 8—**भवन तथा सड़कें** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 378,12,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **9—शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 105,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 10— **तकनीकी शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 24,07,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 20,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 11— **खेलकूद तथा युवा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 95,71,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 12— **कला एवं संस्कृति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 467,81,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 220,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **13—स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 500,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14—नगर विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1438,34,84,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15—स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **16—श्रम** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 110,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17—रोजगार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 140,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 5,02,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **19—अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 21,41,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **20—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 70,50,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,66,80,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **21—महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 56,55,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,50,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23—खाद्य एवं आपूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 50,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 260,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **24—सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 40,85,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **25—उद्योग** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,75,10,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **26—खान एवं भू—विज्ञान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 335,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27—कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **29—मछलीपालन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 6,53,96,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **30—वन एवं वन्य प्राणी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 383,14,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 50,00,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 255,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **34—परिवहन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 15,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35—पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 100,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **36—गृह** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 129,40,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **37—निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 16,06,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **38—लोक स्वास्थ्य तथा जल पूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 75,00,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 30,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **39—सूचना एवं प्रचार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1500,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **40—उर्जा तथा विद्युत** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,20,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रोद्यौगिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 40,22,61,375 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **42–न्याय प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 3,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **43–कारागार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 275,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने आपकी सेवा में मांग संख्या–9, 40, 27, 26, 34, 05, 13 और 01 के बारे में लिख कर दिया है । आपने मुझे इन मांगों पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी, आप कौन सी मांग संख्या पर बोलना चाहते हैं ।

श्री करण सिंह दलाल : मैडम, मैं मांग संख्या–6 पर बोलना चाहता हूं जिसमें सरकार ने टीचर्स की भर्ती के लिए पात्रता टैस्ट पास करने की शर्त लगा रखी है और पात्रता टैस्ट पास करने के बाद स्क्रीन टैस्ट पास करने का एक अलग से प्रावधान भी किया गया है । इससे हमारे जो बच्चे अध्यापक बनना चाहते हैं वे बेचारे हर साल कभी पात्रता टैस्ट पास करने में और कभी स्क्रीन टैस्ट पास करने में उल्झे रहते हैं। मैं आपके माध्यम से इस विभाग के मंत्री जी को और सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि पात्रता के लिए इनमें से कोई एक टैस्ट काफी है । उसमें चाहे आप पात्रता टैस्ट कर लें या स्क्रीन टैस्ट कर लें । इसी तरह से बी.एड. कोर्स की अवधि दो साल की है जो पहले नौ महीने या एक साल की हुआ करती थी । यह भी प्रदेश के बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है । इसका लाभ केवल बी.एड. कोर्सिज को करवाने वाले इंस्टीच्यूशंज

को मिल रहा है । बी.एड. कोर्स करने वाले बच्चों को दो साल तक दाखिला फीस व होस्टल फीस देनी पड़ती है जो बच्चों पर एक बहुत बड़ा बोझ है ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, हम माननीय सदस्य को जरूर सुनना चाहते हैं लेकिन जिस विषय पर ये बोल रहे हैं और जिसकी आपने भी रूलिंग दी है उसमें माननीय सदस्य डिमांड संख्या–6 पर बोल रहे हैं उसमें एजुकेशन का कोई जिक्र नहीं है । अतः मेरा अनुरोध है कि वह जिस लाईन पर बोल रहे हैं उस डिमांड को एक बार देख लें क्योंकि डिमांड संख्या–6 में जो राशि मांगी गई है और जिन–जिन विषयों के लिए डिमांड है उसको अगर एक बार ये खोलकर देख लेंगे तो शायद जिस विषय पर ये बोल रहे हैं उस विषय के लिए इस डिमांड संख्या–6 में पैसा नहीं मांगा गया है क्योंकि माननीय सदस्य जिस विषय पर बोल रहे हैं वह मांग संख्या–9 से संबंधित है । आपके माध्यम से माननीय साथी से मेरा निवेदन है कि वे एक बार अपनी डिमांड के विषय को देख लें और उसके बाद वे उस पर चर्चा करेंगे तो हमें उनके अनुभव का लाभ मिलेगा ।

श्री करण सिंह दलाल : मैडम, डिमांड्स के ऊपर चर्चा होती है तो जिस विभाग का डिमांड नं. होता है उसी विषय पर चर्चा की जाती है । यह ठीक है कि वह डिमांड संख्या–9 है जो मुझसे डिमांड संख्या–6 पढ़ा गया था क्योंकि यह कागज उल्टा रखा हुआ था इसलिए गलती से डिमांड संख्या–6 पढ़ा गया । उसमें ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी रूल्ज में ऐसा लिखा हुआ है ।

Deputy Speaker: I am quoting rule 201 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly. Which states that-

> "The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion".

यह डिमांड एजुकेशन से संबंधित है और इसमें विभाग ने जो पैसा मांगा है वह for making the payment of arrear of honorarium to the Edusat Chowkidars, apart from other schemes/activities which were approved in original Budget.

इसी तरह से इसी डिमांड में दूसरे हैड में जो पैसा मांगा है वह एस.सी. छात्रों को साइकिल देने के लिए और For purchase of duel desks for Government High/Senior Secondary Schools, apart from other activities which were approved in original Budget.

श्री करण सिंह दलाल : मैडम, आपकी बात ठीक है लेकिन इनमें एटस्ट्रा भी लिखा होता है । बात तो विभाग की होती है । डिमांड विभाग के लिए जाती है और मैंने विभाग का नाम सही लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी, सप्लीमैंट्री में तो जिसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं उसी के लिए होती है ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, जो रूल आपने पढ़कर सुनाया है वह ठीक है । उस रूल में जो मैंशन किया हुआ है उसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, करण सिंह दलाल जैसे वरिष्ठ विधायक के लिए तो ये पुरानी परम्पराएं रही हैं । एजुकेशन का नाम लेकर ये बी.एड. भी कह सकते हैं, डी.एड. भी कह सकते हैं, गीता भी कह सकते हैं, शिक्षा संस्था भी कह सकते हैं । हम इनकी बातों को कबूल करते हैं । हमने इनकी बातों को संज्ञान में ले लिया है ।

19.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल जी, आपको इस समय डिमांड्ज से जुड़े विषय पर ही बोलना चाहिए।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स संज्ञान नहीं लेते हैं लेकिन यदि कोई बात जनहित से जुड़ी हो तो चाहे सप्लीमैंटरी डिमांड्स का मौका हो या कोई दूसरा मौका हो तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों को विषय के हालात के मुताबिक सदन में उठाना ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि कोई बात उठाने से यदि आमजन को उससे राहत मिल जाती है तो इससे ज्यादा बढ़िया बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। (विघ्न)

———————

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदयाः यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजेंः ठीक है, मैडम।

उपाध्यक्ष महोदयाः ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं और इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं जोकि हरियाणा की राजनीति को और हरियाणा के हालात को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। अतः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में टीचर्ज की पोस्ट्स के लिए एच.टी.इ.टी तथा स्क्रीनिंग टैस्ट जैसे दो टैस्टों की जो अनिवार्यता बनाई गई है, इनमें से यदि स्क्रीनिंग टैस्ट खत्म कर दिया जाये तो हमारे टीचर्ज की पोस्ट्स के इच्छुक युवाओं को इससे बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से बी.एड. के लिए दो साल निर्धारित किए गए है, इसके लिए भी पूर्व की तरह एक साल या फिर कम से कम 9 महीने अवधि तय की जाये।

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने टीचर की पोस्ट के लिए अनिवार्य एच.टी.इ.टी तथा स्क्रीनिंग टैस्ट्स में से एक का ही प्रावधान रखने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी तथा हमारे माननीय सदस्य दलाल साहब को भी बताना चाहूंगी कि टीचर की पोस्ट्स के लिए एच.टी.इ.टी. तथा स्क्रीनिंग टैस्ट का प्रावधान तो आज भी है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, जैसाकि अभी गीता जी ने बताया सेम यही बात मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूँ लेकिन मंत्री जी मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं दलाल साहब को आश्वस्त करता हूँ कि अच्छी परंपराओं को किसी भी सूरत में मिटने नहीं दिया जायेगा।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक राइट टू एजुकेशन के तहत आर्टिकल 134–ए की बात है, हमारे पलवल और फरीदाबाद जिले में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें जब प्रशासन की तरफ से 134–ए के तहत एस.सी. बच्चों के एडमिशन की लिस्ट भेजी गई तो यहां के प्राइवेट स्कूलों ने एडमिनिस्ट्रशन की उस लिस्ट को मानने से इंकार कर दिया। उपाध्यक्ष महोदया, बात यही पर खत्म नहीं होती। जब गरीब माता–पिता अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए इन प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो यहां पर उनको धमकियां तक दी जाती है और बेइज्जत करके स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, अगर सरकार चाहे तो मैं पलवल जिले के इन प्राइवेट स्कूलों का नाम तक दे सकता हूँ जो सरकार की इंस्ट्रक्शंज होने के बावजूद भी गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात हमारे सभी माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूँ कि इस सदन में सबसे पहले हम विधायक हैं, पक्ष और विपक्ष का विधायक होना कोई महत्व नहीं रखता। हमारे पास पूरे हरियाणा से पहले भी ऐसी शिकायतें आई थी कि प्राइवेट स्कूलों में आर्टिकल 134–ए के तहत गरीब बच्चों को एडमिशंज नहीं दिए जा रहे हैं और मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि यदि किसी भी प्राइवेट स्कूल ने किसी माता–पिता के बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया हो, उसको ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दी हो या उसको किसी अलग कमरे में बिठाया हो तो ऐसी बातों के बारे में संबंधित माता–पिता मुझे दो लाइन लिखकर भेज दें, निःसंदेह उन स्कूलों पर एक्शन लिया जायेगा।

श्री उदय भान (होडल): उपाध्यक्ष महोदया, आर्टिकल 134–ए के तहत गरीब माता–पिता के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्ज में दाखिला मिलने में हर जगह परेशान आ रही है। इस तरह के केसिज भी आम देखने को मिल जायेंगे कि गरीब बच्चों से पैसा भी ले लिया जाता है और उनको दाखिला भी नहीं मिलता, स्कूलों द्वारा ऐसी कार्यवाही करके एक तरह से आर्टिकल 134–ए का मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में अग्रवाल स्कूल, स्पैक्ट्रम स्कूल तथा डीपीएस स्कूल ऐसे स्कूल्ज हैं जहां पर आर्टिकल 134–ए का मजाक बनाकर रख दिया गया है।

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं फिर से सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरह की अनियमितताओं को देखकर, अनदेखा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह स्पेसिफिक अधिकार देता

हूँ कि यदि किसी भी माननीय विधायक के हल्के में किन्हीं प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आर्टिकल 134–ए की अवहेलना की जा रही है तो ऐसी सूरत में प्रभावित बच्चों के माता–पिता एक चिट्ठी लिखें और संबंधित विधायक उस चिट्ठी पर तसदीक करते हुए मुझे लिखे कि फलां शिकायत उनके पास आई है जिसमें आर्टिकल 134–ए की अवहेलना की गई है तो इस प्रकार की चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जायेगी।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदया, ज्यादातर जिलों में जिला उपायुक्तों को बहुत से अभिभावकों द्वारा ज्ञापन पत्र दिए गए हैं कि जिन प्राइवेट स्कूल्ज में उनके बच्चों के एडमीशंज हुए हैं, ऐसे बच्चों के लिए फीस में छूट का प्रावधान होने के बावजूद भी इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा ज्यादा फीस चार्ज की जा रही है और यही नहीं इन स्कूलों की बस फैसिलिटी उनके गांव व एरिया तक जाती है लेकिन बावजूद इसके स्कूल वाले उनके बच्चों को अपनी बसों में नहीं बिठा रहे हैं। अतः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस तरह की डॉयरेक्शंज जारी कर दें कि वे स्कूल जिनमें आर्टिकल 134–ए के तहत गरीब बच्चों के एडमीशंज होते हैं, उन गरीब बच्चों से एडमीशन फीस व ट्रांसपोर्ट की फीस के तौर पर केवल एग्जैंप्शन फीस ही ली जाये और ट्रांसपोर्ट की सुविधा जरूर प्रदान की जाये।

श्री ललित नागर (तिगांव): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिन बच्चों के आर्टिकल 134–ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशंज हुए है जब उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दी गई तो उनके माता–पिता मेरे पास आये और मैंने स्वयं जब इन प्राइवेट स्कूलों को यह सुविधा देने बारे फोन किया तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने से स्पष्ट मना कर दिया। उनकी बसिज उन गरीब बच्चों के गांवों व एरियॉज तक जाती हैं। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदया, एक बात और माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि अभिभावकों ने 2–3 स्कूलों में एडमीशन लेने की ऑप्शन डाली थी, लेकिन उन 2–3 स्कूलों में बच्चों को एडमीशन न देकर 8–8, 10–10 किलोमीटर दूर स्कूलों में एडमीशन की ऑप्शन दी है। इस प्रकार से बच्चा कैसे 8–10 किलोमीटर दूर जा सकता है? इस चीज में भी सरकार को सुधार करने की जरूरत है।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की शिकायतों पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया हुआ

है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों ने अनुरोध है कि इस प्रकार की जितनी भी शिकायतें हैं उन बच्चों के अभिभावक से लिखवा कर मेरे पास भिजवा दें। सरकार उन पर तुरंत कार्रवाई करेगी।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गांव व शहरों के अंदर लोगों को कुत्ते काट जाते हैं लेकिन तकरीबन सभी सिविल हॉस्पिटलों के अंदर एंटी रैब्बीज वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इस तरह से धान की फसल की बिजाई करते समय सांप के काटने के केसिज़ बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी भी मजदूर या किसान को सांप काट जाता है तो वह अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पर भी इस दवाई का अभाव है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रैब्बीज वैक्सीन की दवाइयां उपलब्ध करवानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, एक बात और मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री से पूछना चाहता हूँ जिसके लिए मैं 5 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूँ कि क्लीनिकल एण्ड इस्टैब्लिशमैंट एक्ट जो भारत के अंदर तो लागू हो चुका है और हरियाणा के अंदर यह एक्ट दो बार पारित हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदया, इस संबंध में सरकार ने अपना एक्ट बनाकर विधान सभा में भी पारित करवाया हुआ है। जितने भी हरियाणा के साथ दिल्ली के सटे हुए इलाके हैं, उनमें बड़े अस्पताल हैं और वहां बहुत बेरहमी से मरीजों को लूटा जा रहा है। कोई भी मरीज जब इन अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए दाखिल होता है तो लाखों रुपये का बिल बनाया जाता है। इस प्रकार से वहां पर मरीजों का इलाज नहीं होता बल्कि मरीजों की जेबों का इलाज होता है। इसका समाधान केवल और केवल क्लीनिकल एण्ड इस्टैब्लिशमैंट एक्ट लागू करने से ही हो सकता है। जो अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट–वाईज और स्टेट–वाईज कॉंस्टीच्यूट होनी हैं, जहाँ पर शिकायतकर्त्ता शिकायत कर सकता हो उनको सरकार को लागू कर देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार को तो आगे नहीं आना है, इसलिए सरकार को जाते–जाते एक अच्छा काम करके जाना चाहिए। (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) उपाध्यक्ष महोदया, वैसे तो माननीय साथी बहुत सीनियर है लेकिन इनको विषय से अलग चलने की आदत है। उपाध्यक्ष महोदया, इस समय सदन में डिमाण्डज पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी सदन में बता चुका हूँ कि क्लीनिकल एण्ड इस्टैब्लिशमैंट एक्ट हरियाणा में लागू हो चुका है और उसके बाद जो अथॉरिटी जिला व राज्य स्तर पर बननी हैं वे भी बन चुकी हैं। परंतु एक्ट के प्रावधान के तहत अभी जो रजिस्ट्रेशन

हो रही हैं वे प्रौविजनल रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, इसलिए इसको इम्पलीमैंट करने में समय लगेगा। एक्ट तो सदन ने ही पास करना है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, अभी यह एक्ट लागू नहीं हुआ है।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से फिर माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि एक्ट लागू हो चुका है और सरकार एक्ट के मुताबिक ही चलेगी। (विघ्न) भाई दलाल जी एक्ट की जानकारी डिपार्टमैंट की वेब–साईट से ले सकते हैं। जो एक्ट केन्द्र की सरकार ने बनाया है अधिकतर राज्यों ने उसी एक्ट को लागू किया है और हरियाणा राज्य ने भी उसी एक्ट को लागू किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भाई करण सिंह दलाल के दूसरे इश्यू यानी कुत्ते के काटने पर एंटी रैब्बीज वैक्सीन दवाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि दवाई कम होने के कारण सिविल अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। मैंने इस चीज का संज्ञान लिया हुआ है और हिन्दुस्तान की एक कंपनी से 30 हजार वैक्सीन का एग्रीमैंट किया हुआ है। जल्दी ही कंपनी से वैक्सीन लेकर सारे सिविल अस्पतालों में सप्लाई करवा देंगे।

श्री करण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर मैडम, पिछले दिनों किलोमीटर स्कीम में प्राइवेट बसिज के टैण्डर में 1600 करोड़ रूपये का घोटाला किया गया था । इसी तरह पिछले दिनों पावर डिपार्टमैंट में असिसटैंट इंजीनियर्स और एस.डी.ओज. की भर्ती की गई थी । इस भर्ती में सरकार ने एप्लीकैंट्स पर न जाने क्या सोचकर गेट क्वालीफाइड की शर्त लगा दी । गेट का एग्जाम हायर स्टडीज में एंट्री के लिए लिया जाता है । इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे प्रदेश के पढ़े–लिखे नौजवान ये नौकरियां प्राप्त करने से लगभग वंचित रह गये । गेट क्वालिफाइड की डिग्री की शर्त लगने से हमारे प्रदेश के सिर्फ 5 परसैंट नौजवान ही ये नौकरियां हासिल कर पाए । हमारे प्रदेश के पढ़े–लिखे बच्चों को इस सरकार ने ग्रुप–डी की भर्ती में सिलैक्ट करके उन्हें माली और हजाम जैसी नौकरियां दी और अन्य प्रदेशों के बच्चों को एस.डी.ओ. जैसी नौकरियां दी । इस तरह से सरकार ने हमारे प्रदेश के बच्चों के साथ अन्याय किया है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : करण सिंह जी, आप किस डिमांड पर बोल रहे हो ?

श्री करण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं डिमांड नं. 40 पर बोल रहा हूं । अब मैं 112 करोड़ रूपये के मीटर खरीद घोटाले के विषय पर बोलना चाहूंगा । मैं इस घोटाले से संबंधित कागजात माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा । इस सरकार ने हरियाणा पुलिस का एक अधिकारी जो अपने पुलिस डिपार्टमैंट को न संभाल सका

उसको बिजली विभाग की कमान सौंप दी । इसकी वजह से आज हरियाणा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि बिजली के बिल से आम लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है । उनको चिंता हो रही है कि मैं अपना घर चलाऊँ या फिर बिजली का बिल भरूँ । अतः डिप्टी स्पीकर मैडम, सरकार को यह बात भी अपने संज्ञान में लेनी चाहिए । (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है । अभी माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल मीटर खरीद घोटाले के विषय पर बोल रहे थे । मैं इस बारे में क्लैरीफिकेशन देना चाहूंगा । इन मीटर्स की खरीद के लिए सबसे पहला ऑर्डर 23.12.2010 को एल.एन.पी. कम्पनी को दिया गया था । उस समय यह ऑर्डर 2,37,500 मीटर्स की परचेजिंग के लिए दिया गया था । इसके बाद एम.एस.जी. एल.यू. कम्पनी को 20.11.2013 को 10,02,760 मीटर्स की खरीद के लिए ऑर्डर दिया गया । इसके बाद वर्ष 2017 में 'पावर इंजीनियर्स एसोसियेशन' ने इन मीटर्स की कम्पलेंट की । जैसे ही यह मामला माननीय मुख्य मंत्री महोदय के संज्ञान में आया उन्होंने तुरन्त विजिलैंस डिपार्टमैंट को इनकी इन्कवायरी करने के ऑर्डर दे दिए । फिलहाल इनकी इन्क्वायरी चल रही है । अतः जिन मीटर्स के घोटाले की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं उनकी खरीद पिछली सरकार में हुई थी ।

श्री करण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर मैडम, वर्ष 2017 में जब सरकार ने असिस्टैंट इंजीनियर्स/एस.डी.ओज. की भर्ती की तो उसमें जनरल कैटेगरी की कुल 64 पोस्ट्स के अगेंस्ट हरियाणा डोमीसाइल के केवल 11 लड़के ही भर्ती हो सके । इसी तरह वर्ष 2018 में असिसटैंट इंजीनियर्स/एस.डी.ओज. की भर्ती में जनरल कैटेगरी की कुल 55 पोस्ट्स के अगेंस्ट हरियाणा डोमीसाइल के केवल 9 लड़के सिलैक्ट हुए । अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना है कि वे इन भर्तियों में गैट क्वालीफाइड की कंडीशन को हटाएं ताकि हरियाणा प्रदेश के बच्चों का भला हो सके । इस तरह की कंडीशंज की वजह से हरियाणा के पढ़े–लिखे बच्चों को ग्रुप–डी की भर्ती में सिलैक्ट होकर माली और हजाम जैसी छोटी–मोटी नौकरियां करनी पड़ रही हैं । इसके अतिरिक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट में जी.एस.टी. का जो नया कानून बनाया गया है उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है । इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि फेक फर्म्ज ने जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन करवाकर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया था । यह ठीक है कि यह मामला सरकार और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद उन्हें एक मुहिम चलाकर पकड़ा जा रहा है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : करण सिंह जी, आप कौन–सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

श्री करण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर मैडम, मैं डिमांड नं. 5 पर बोल रहा हूं । जो नॉन एग्जिस्टिंग फर्म्ज हैं सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, आप कौन सी डिमांड पर अपनी बात कह रहे हैं?

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं डिमांड नम्बर 5 पर अपनी बात कह रहा हूं। इसमें विभाग द्वारा नॉन एग्जिस्टिंग फर्म्ज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सरकार के खजाने में पैसा आ सके। उपाध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त डिमांड नम्बर 34 ट्रांसपोर्ट विभाग से संबंधित है जिसमें पिछले कई दिनों से किलोमीटर स्कीम को लेकर काफी विवाद चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बात से हैरान हूं कि इस किलोमीटर स्कीम से नाराज रोडवेज के कर्मचारियों ने कई दिनों तक संघर्ष किया और भूख हड़ताल भी की थी परन्तु सरकार ने उनकी बातों को दरकिनार करके उनके ऊपर मुकदमें बनाये और उनको चार्जशीट भी किया गया। अब चूंकि संबंधित मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और इसमें सरकार फंसती हुई नजर आ रही है तो सरकार ने किलोमीटर स्कीम की इन्कवायरी विजिलैंस को सौंप दी। इस स्कीम में 1600 करोड़ रुपये का स्कैम है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, आप जो बात कह रहे हैं, वह इस सप्लीमैंटरी डिमांड में नहीं है।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं 34 नम्बर डिमांड पर अपनी बात कह रहा हूं। मैंने भी इस किलोमीटर स्कीम के बारे में गर्वनर साहब को रिप्रजेंटेशन दी थी इसलिए विजिलैंस ने मुझे भी संबंधित जांच में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था और मैं भी विजिलैंस में गवाही देने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि आपके पास कौन–कौन से दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि इस स्कीम में स्कैम हुआ है और इसमें कौन–कौन इन्वॉल्व हैं ? इस पर मैंने जो अधिकारी वहां बैठे हुए थे उनको संबंधित दस्तावेज दिये और कहा कि आप इस संबंध में मेरी स्टेटमैंट भी लिख लें। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उस फाइल को एप्रूव किया है। Deputy Speaker Madam, he has not only approved the file but also appreciated the good work done और उस फाइल में गुड वर्क यह था कि डिपार्टमैंट ने रोडवेज को ठिकाने लगाने के लिए फाइल पर गलत फैक्ट्स प्रस्तुत किये। उसमें कैल्कुलेशन ठीक नहीं की गयी। ऐसी स्कीम बनायी जिसमें रोडवेज को ठिकाने लगाकर अपने चहेतों या जिनके साथ सरकार का लेना–देना था, उनको ही किलोमीटर

स्कीम में शामिल किया गया था। इसमें 1600 करोड़ रुपये का स्कैम हुआ है और इस फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं।

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, आप सप्लीमैंटरी डिमांड पर ही बोलें।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, इस किलोमीटर स्कीम की जांच हरियाणा का विजिलैंस विभाग कर रहा है परन्तु यह विजिलैंस विभाग हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री के खिलाफ जांच कैसे कर सकता है ? उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार ईमानदार है तो इसकी जांच किसी दूसरी एजैंसी से करवाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विजिलैंस विभाग की रिपोर्ट पढ़कर सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, किलोमीटर स्कीम की बात तो इस सप्लीमैंटरी डिमांड में नहीं है।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात को सप्लीमैंटरी डिमांड में ही मान लें। विजिलैंस विभाग ने अपनी रिपोर्ट के 22 नम्बर पेज पर लिखा है कि– "The whole tender process is vitiated as it is marred by collusive bidding cheating and fraud on part of some of the bidders and blatant violations of government instructions/ guidelines, lack of due diligence and malafide on part of some named Transport Department officials/ officers. The whole tender process is proved beyond doubt to be a colourable exercise."

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, आप तो रूल्ज के अनुसार ही बात कहते हैं परन्तु इस समय यह इश्यू नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ सप्लीमैंटरी डिमांड पर ही चर्चा हो सकती है। आप इस बात को जीरो ऑवर में उठाएं। अब तो आप केवल सप्लीमैंटरी डिमांड पर ही बोलें।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, यह 1600 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं ताकि सरकार के समझ में यह बात आ जाए। इसमें छोटे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा गया है परन्तु माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री और आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, यह बात आप जीरो ऑवर में ही कह सकते हैं। इस समय तो आप केवल सप्लीमैंटरी डिमांड पर ही बोलें।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, इस किलोमीटर स्कीम के स्कैम में खुद मंत्री जी भी शामिल हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय सदस्य करण सिंह दलाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट पर जो आरोप लगाये हैं वे सभी निराधार हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश में 700 बसों को परिवहन बेड़े में शामिल करने के लिए दिनांक 8.4.2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें चीफ सैक्रेटरी, परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव, प्रधान सचिव और निदेशक, परिवहन विभाग ने भाग लिया था। इसमें तय किया गया था कि 700 बसें परिवहन बेड़े में शामिल की जाएं और इसके बाद दिनांक 12.5.2015 को इसका अनुमोदन कर दिया गया था। इसके बाद फाईनेंस डिपार्टमेंट ने दिनांक 24.6.2015 को इसके लिए अपनी अनुमति दे दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी विजिलैंस विभाग की रिपोर्ट को पढ़ लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने इस स्कीम के तहत 510 बसों को लेने के लिए टैंडर कॉल किये थे। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस घोटाले में केवल छोटे कर्मचारियों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। यह सरकार केवल ईमानदारी का ढोंग करती है।

श्री कृष्ण लाल पंवारः उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस संबंध में सदन को बताना चाहूंगा कि हमें जैसे ही यह पता लगा कि इसमें कुछ गलत हुआ है तो हमने इसकी विजिलैंस इन्क्वायरी करने के आदेश दिये और विजिलैंस इन्क्वायरी में जो दोषी कर्मचारी और ऑपरेटर पाये गये थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। यह मामला अभी हाईकोर्ट में सब–जूडिस है।

उपाध्यक्ष महोदयाः करण जी, अब आप कौन से डिमांड नम्बर पर बोलना चाहते हैं?

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बोलना चाहता हूं और मैं यह बताना चाहूंगा कि बड़ी हैरानी की बात यह है कि अपने आपको ईमानदारों की सरकार कहने वाली सरकार में भ्रष्टाचार का खेल चला हुआ है। मैं यह

भी बताना चाहूंगा कि यह महकमा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी संभालते हैं। एक सोलर एनर्जी का टैंडर हुआ था। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): डिप्टी स्पीकर मैडम, मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि आपने आनरेबल मैम्बर को जो लिबर्टी दी है, वह ठीक है। फिर भी वे इस महान सदन को पुराने रवायत के अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस सदन में कुछ चीजें कायदे से चलें, इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अगर ये जिम्मेदारी के साथ कुछ चीजें कहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हमें उनके अनुभवों का लाभ भी मिलेगा। माननीय सदस्य इस सदन में किसी भी प्रकार की निराधार बात नहीं कर सकते। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं, उनका तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जा रहा है और इनको जवाब सुनने में दिक्कत हो रही है। माननीय सदस्य जो रिन्यूएबल एनर्जी पर बोल रहे हैं, इसका इन्होंने डिमांड नम्बर नहीं बताया है। इसलिए मेरा आनरेबल मैम्बर से निवेदन है कि वे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड नम्बर इस सदन में बतायें।

उपाध्यक्ष महोदया: करण दलाल जी, आप रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड नम्बर बतायें?

श्री करण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदया, यह डिमांड नम्बर 40 में आता है।

उपाध्यक्ष महोदया: करण दलाल जी, आप डिमांड नम्बर 40 पर बोल चुके हैं।

श्री करण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदया, मैंने अभी इस डिमांड पर बोलना शुरू ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदया: दलाल जी, आप डिमांड नम्बर 40 पर शुरू में ही बोल चुके हैं।

श्री करण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदया, इसमें एक ही कम्पनी ओजास्कर विद्युत एल. एल.पी. को 100 करोड़ रुपये का टेंडर दिया गया था और यह कम्पनी टेंडर में क्वालिफाई ही नहीं करती है।

उपाध्यक्ष महोदया: करण जी, आप इस विषय को जीरो आवर में दोबारा से उठाना और अभी आप केवल सप्लीमैंट्री डिमांड्स के ऊपर बोलेंगे तो ज्यादा उचित होगा।

श्री करण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदया, आप मेरी पर्ची देख लीजिये, उसके ऊपर मैंने इस विषय से संबंधित डिमांड नम्बर लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे ऊपर कम से कम आप तो कृपा रखें और मैं जिस मुद्दे के ऊपर बोल रहा हूं वह डिमांड नम्बर 40 में आता है।

उपाध्यक्ष महोदया: करण जी, आप डिमांड नम्बर 40 के ऊपर बोल चुके हैं।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने अपने पर्ची में डिमांड नम्बर 40 लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर मेरी बात गलत है तो ये मुझसे कहें कि मैं गलत बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस ईमानदार सरकार का पर्दाफाश कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर कितनी बेरहमी के साथ भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और पैसे लेकर लोगों को टैंडर दिये जा रहे हैं।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि वे सरकार के खिलाफ मीडिया और जनता के सामने जैसे बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सदन में सरकार के खिलाफ बोलने की एक पद्धति होती है और इन्हें उस पद्धति के अनुसार ही बोलना चाहिए।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने बता दिया है कि मैं डिमांड नम्बर 40 के ऊपर बोल रहा हूं।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि डिमांड नम्बर 40 रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि डिमांग नम्बर 40 रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित नहीं है, बल्कि एनर्जी एण्ड पावर से संबंधित है और आप इसके ऊपर आलरेडी बोल चुके हैं।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड नम्बर 40 में कवर नहीं है, बल्कि यह तो एक अलग ही डिपार्टमैंट है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, यह रिन्यूएबल एनर्जी पार्ट ऑफ एनर्जी ही है।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमैंट ही अलग है और उस डिपार्टमैंट की कोई सप्लीमैंट्री डिमांड भी नहीं है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, प्लीज आप डिमांड्स से बाहर जाकर बात न करें। आप डिमांड्स तक ही सीमित रहें तो ज्यादा उचित रहेगा।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को डिमांड नम्बर बताना चाहिए कि ये किस डिमांड पर बोल रहे हैं।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये मेरी पूरी बात सुन लें, डिमांड नम्बर में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो माननीय मंत्री जी मुझे बतायें ? उपाध्यक्ष महोदया, इस सदन में माननीय मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी बैठे हुये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि रोहतक के अंदर जो पुलिस स्टेशन खाली हुआ था, उसकी सैकड़ों करोड़ रुपये की बहुमूल्य जमीन पर कब्जा हो गया। (विघ्न)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी से कहना चाहूंगा कि इनको इस सदन में कुछ भी बोलने के लिए खुली छूट नहीं है और ये जिस डिमांड नम्बर पर बोलना चाहते हैं, उसी डिमांड पर बोलें।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी परमिशन से बोल रहा हूं। इन लोगों को किस बात की तकलीफ है। (विघ्न)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदय, इनको दो महीने के बाद अपनी तकलीफ का पता लग जायेगा जब इनको सदन में विपक्ष की सीट भी नसीब नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदया, आपने इन लोगों को बोलने के लिए खुली छूट दे रखी है। जोकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दलाल जी तो खुद एक ******* है (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी, प्लीज आप बैठ जायें। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, ये ऐसे कैसे बोल रहा है? मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं कही है। (विघ्न)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने चेयर को संबोधित करके अपनी बात कही है और दलाल जी को भी चेयर को संबोधित करके अपनी बात कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी, प्लीज आप बैठ जाईये। आप अपने विषय पर काफी बोल चुके हैं, लगता है कि आप सम्पलीमैंटरी डिमांड पर बात नहीं करना चाहते हैं और आप सदन को बाधित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्लीज आप बैठ जाईये। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि सदन में

.....

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

दलाल जी का व्यवहार ठीक नहीं है। जब विपक्ष के हमारे सदस्य दलाल जी अपनी बात सदन में रखते हैं तो हम इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, ऐसा लगता है कि दलाल जी ने सदन को बाधित करने की लिबर्टी ले रखी है।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर *** कहा है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि दलाल जी ने जो *** शब्द का उपयोग किया है उसको रिकॉर्ड न किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल जी ने जो *** शब्द कहे हैं उसको रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदया, इस महान सदन में दलाल जी ने अनपार्लियामैंटरी शब्द का यूज किया है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अगर सदन की कार्यवाही को अच्छे ढंग से चलने दिया जाये तभी उचित होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शंकुतला खटक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : शंकुतला खटक जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जायेगा तब आप सदन में अपनी बात रख लेना। अभी आप प्लीज बैठ जाईये। (विघ्न) बरवा जी, अब आप अपनी डिमांड नम्बर बतायें।

श्री ओम प्रकाश बरवा (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी डिमांड नम्बर 24 ईरीगेशन डिपार्टमैंट से संबंधित है। मेरे हल्के लोहारू में सिवानी ब्लॉक, बहल ब्लॉक और लोहारू ब्लॉक आते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने दो ब्लॉकों को ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है जबकि सबसे बकवर्ड ब्लॉक सिवानी में 65 प्रतिशत की सब्सिडी दी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे इलाके के साथ इतना भेदभाव क्यों किया गया? हमारे इन ब्लॉकों का काम भी इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक एक ही हल्के में पड़ते हैं और सरकार द्वारा सब्सिडी देने में इतना अंतर क्यों किया गया? यह ध्यान देने वाली बात है। उपाध्यक्ष महोदया, सिवानी ब्लॉक में गरीब किसान रहते हैं। उनके पास इरीगेशन के सिवाय और कोई कमाई का

.....

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

साधन नहीं है और जो थोड़ा बहुत पानी आता है तो वे अपने खेतों में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के द्वारा सिंचाई करते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी डिमांड नम्बर 13 हैल्थ डिपार्टमैंट से संबंधित है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने माना है कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि इसी मैडीकल कॉलेज में एम्बूलेंस ही उपलब्ध नहीं है। पूरे मैडीकल कॉलेज में एक ही ड्राइवर है। दो एम्बूलेंस बाहर से मंगवा रखी है लेकिन इन दोनों एम्बूलेंस का एक ड्राइवर है तो ऐसी हालत में पैशेंट कहां जायेंगे? इस मैडीकल कॉलेज में गरीबों के लिए ''आयुष्मान भारत योजना'' लागू कर रखी है और सरकार द्वारा इस योजना का गुणगान भी बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस ''आयुष्मान भारत योजना'' में डी. जी. हैल्थ, एच.सी.एस. ऑफिसर, डॉक्टरों और प्रोफेसरों का नाम भी शामिल हैं जोकि इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, इस योजना का बाकायदा सर्वे भी हो चुका है। मेरे पास ''दैनिक भास्कर'' के अखबार की एक कटिंग भी है, इसमें इन लोगों के नाम हैं। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार बातें तो बड़ी–बड़ी करती हैं कि हम गरीबों को ''आयुष्मान भारत योजना'' के तहत फायदा पहुंचा रहे हैं। (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदया, सदन में जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उसका सर्वे वर्ष 2011 में हुआ था और उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये लोग सदन में अपने ही कुकर्मों का बयान कर रहे हैं।

————————

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए?

आवाजें : ठीक है, जी ।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

————————————

वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमानों (प्रथम किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में कैंसर से संबंधित मरीजों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है इसलिए हरियाणा प्रदेश में एक कैंसर स्पैशलिस्ट अस्पताल

बनाया जाना चाहिए। इसके बाद मैं एग्रीकल्चर से सम्बन्धित डिमाण्ड नम्बर–27 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो सरकार ने कंडीशन लगा रखी है कि किसान से 110 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ना की सरकारी खरीद की जायेगी और आठ क्विंटल प्रति एकड़ सरसों की फसल की सरकारी खरीद की जायेगी। यह कंडीशन पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए और किसान की जितनी भी पैदावार है उसकी पूरी की पूरी सरकारी खरीद होनी चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम मिल सकें। आज की तारीख में किसानों को न तो पूरी बिजली मिल रही है और न ही सिंचाई के लिए पूरा पानी मिल रहा है। प्रदेश में अधिकतर टेल्ज़ पर पानी नहीं जा रहा है। मेरी यह मांग है कि प्रत्येक टेल पर पानी जाना चाहिए जिससे प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। आज की तारीख में मज़बूरीवश किसान को महंगा डीज़ल खरीदना पड़ता है इसलिए किसानों के स्पैशल कार्ड बनने चाहिएं और उनको ट्रैक्टर के लिए रियायती दाम पर डीज़ल मिलना चाहिए। इसी प्रकार से पिछले तीन साल से 5600 किसान फसल बीमा योजना के केस अपने खर्चे पर लड़ रहे हैं। बीमा कम्पनियां उनको बीमे के पैसे के लिए धक्के खिला रही है। मेरी सरकार से मांग है कि इस समस्या का समाधान भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अब मैं लोकल गवर्नमैंट की डिमाण्ड पर बोलना चाहूंगा। लोकल गवर्नमैंट की जो डिमाण्ड है उसमें यह है कि किस ढ़ंग से सरकारी टैण्डर हो रहे हैं। मेरी जानकारी में यह बात आई की 100–100 करोड़ से 200–200 करोड़ रूपये के फर्जी टैण्डर हो रहे हैं। इसी प्रकार से सोनीपत में एक टैण्डर 88 करोड़ रूपये का हुआ था जिसमें अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ है। इस प्रकार के जो काम हैं सरकार द्वारा इनकी प्रॉपर इंक्वॉयरी करवाकर दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवाई जाये। प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पिछले चार–चार महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है जिसके कारण उनको आये दिन धरने प्रदर्शन करने पर मज़बूर होना पड़ रहा है। मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन की अदायगी सुनिश्चित की जाये।

कैप्टन अभिमन्यु : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, इस समय माननीय सदस्य द्वारा हाउस में एक बहुत ही जनरलाईज्ड़ और दिशाहीन डिस्कशन की जा रही है। मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि आप अपनी रूलिंग देकर हाउस की डिस्कशन को सही दिशा में लेकर आयें। यह तो ऐसा हो गया है कि कोई भी विषय उठाकर कुछ भी बोल देना। मेरा यह कहना है कि यह कोई ज़ीरो ऑवर नहीं है क्योंकि इस प्रकार की डिस्कशन

तो ज़ीरो ऑवर में ही की जानी उचित होती है। श्री जगबीर सिंह मलिक इतने सीनियर मैम्बर हैं इनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो ये सुझाव इस समय दे रहे हैं ये सुझाव इन्हें अपनी पार्टी की सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान देने चाहिएं थे लेकिन तब इनको इसकी सुध नहीं आई। इनकी पार्टी की 10 साल हरियाणा प्रदेश में सरकार रही और 10 साल ही केन्द्र में भी इनकी अपनी पार्टी की सरकार रही थी। अगर ये चाहते तो किसानों को मिलने वाले डीज़ल के दाम आधे करवा सकते थे।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया जी, यह कोई रामलीला का मंच थोड़े ही है कि जिसका जैसा मन हो वैसा रोल करके चला जाये। माननीय सदस्य को डिमाण्ड पर ही बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया : जगबीर सिंह जी, आप कृपया यह क्लीयर करे कि आप कौन सी डिमाण्ड पर बोलना चाहते हैं?

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं डिमाण्ड नम्बर 19 पर बोलना चाहता हूं जो कि वैलफेयर ऑफ एस.सी./बी.सी. डिपार्टमैंट से सम्बंधित है। वैलफेयर ऑफ एस.सी./बी.सी. डिपार्टमैंट में स्टूडैंट्स की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 100 करोड़ रूपये का घोटाला है। इस मद में सोनीपत जिले में 3.53 करोड़ रूपये आये थे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 350 लड़कों ने आवेदन दिया जिनमें से केवल मात्र 7 लड़कों को ही इलिजीबल पाया गया।

उपाध्यक्ष महोदयाः मलिक साहब, आप डिमांड्ज से हट कर बोल रहे हैं। आप बैठ जाइये। माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्ज को सदन में मतदान के लिए रखा जायेगा।

मांग संख्या 1 से 27

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रश्न है––

> कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,45,18,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **1–विधानसभा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।
>
> कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 62,84,70,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **3—सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 9,45,49,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **4—राजस्व** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 24,81,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **5—आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 14,43,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 6—**वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 65,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 7—**आयोजना एवं सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 27,45,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 459,76,47,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 8—**भवन तथा सड़कें** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 378,12,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **9—शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 105,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 10— **तकनीकी शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 24,07,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 20,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 11—

खेलकूद तथा युवा कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 95,71,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 12**— कला एवं संस्कृति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 467,81,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 220,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **13—स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 500,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **14—नगर विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1438,34,84,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15—स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **16—श्रम** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 110,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17—रोजगार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 140,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 5,02,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **19—अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण**

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 21,41,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **20—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 70,50,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,66,80,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **21—महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 56,55,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,50,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23—खाद्य एवं आपूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 50,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 260,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **24—सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 40,85,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **25—उद्योग** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,75,10,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **26—खान एवं भू—विज्ञान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 335,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27—कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त

होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 29 से 30

प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **29–मछलीपालन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 6,53,96,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **30–वन एवं वन्य प्राणी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या–32

प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 383,14,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या 34 से 43

प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 50,00,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 255,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **34–परिवहन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 15,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **35–पर्यटन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त

होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 100,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **36—गृह** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 129,40,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **37—निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 16,06,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **38—लोक स्वास्थ्य तथा जल पूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 75,00,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 30,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **39—सूचना एवं प्रचार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1500,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **40—उर्जा तथा विद्युत** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,20,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **41—इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रोद्यौगिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 40,22,61,375 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **42—न्याय प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 3,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **43—कारागार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

मांग संख्या 45

प्रश्न है–

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 275,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या **45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 06 अगस्त, 2019 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***19.35 बजे**

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 06 अगस्त, 2019 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)